खण्ड-343, अंक-6
सोमवार, 15 माघ, शक संवत् 1901
(4 फरवरी, 1980 ई0)

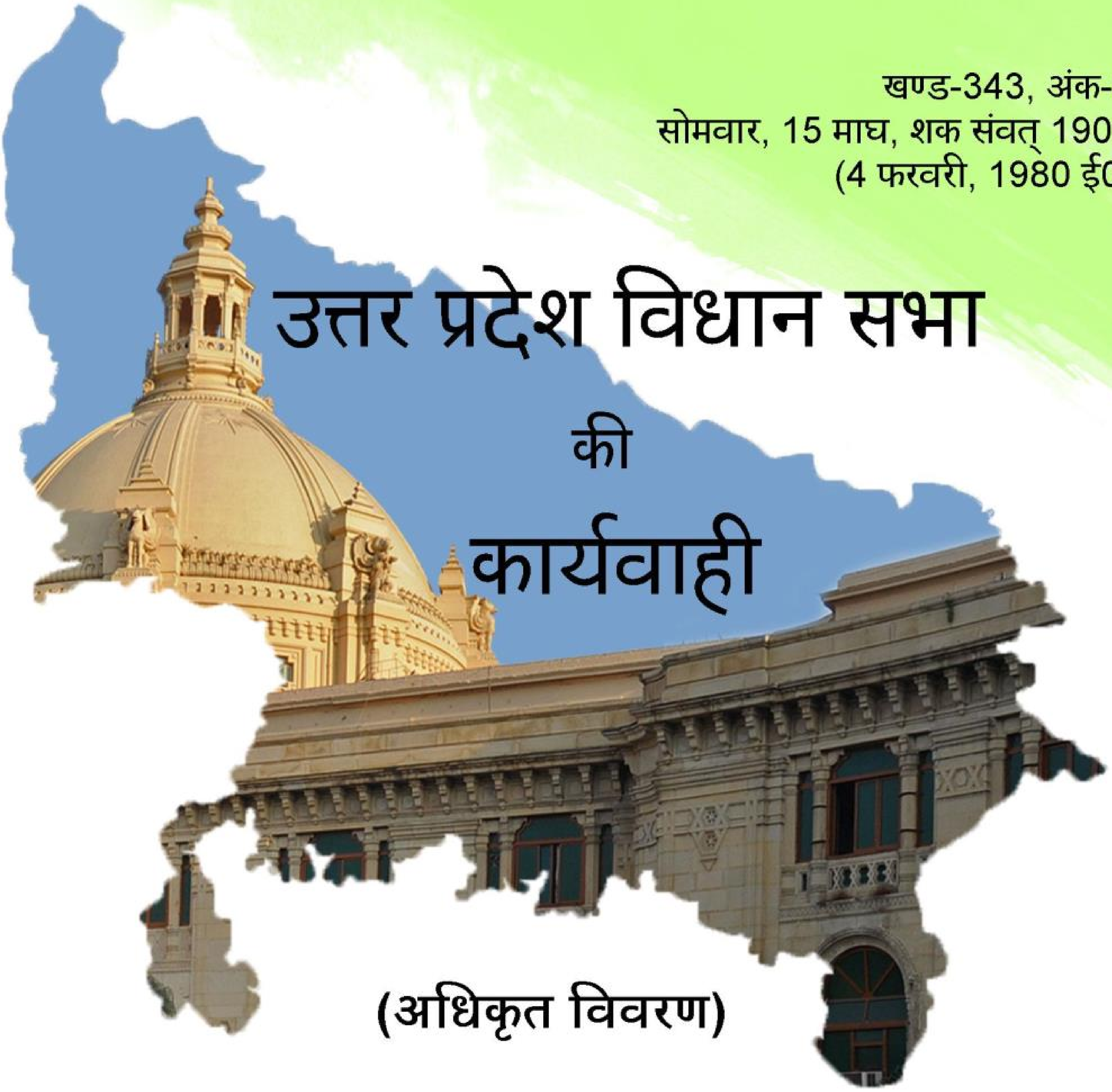

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या


उपस्थित सदस्य .. .. .. .. 471

विद्युत् मंत्री से सम्बन्धित प्रश्नों को बाद में लिये जाने की सूचना .. 475

प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. 476

पिथौरागढ़ में पकड़ी गयी कस्तूरी के गोलमाल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. 507

बांदा जनपद में केन नहर में कबौली ग्राम के पास बनी झील को तोड़ दिये जाने से भूमि असिंचित रह जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 508

अलीगढ़ जिले में थाना अतरौली के कर्मचारियों द्वारा ग्राम नगला लोध में लूटपाट, पिटाई एवं बलात्कार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 508

लखीमपुर-खीरी जिले में मोहम्मदी थाने के थानाध्यक्ष द्वारा मिडवाइफ 'शशिकला श्रीवास्तव' के साथ अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 510

देवरिया जिले के ग्राम खोटही टोला तथा सिरसिया बुजुर्ग और भठियाखुर्द में भीषण अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 510

नरायनपुर, देवरिया में घटी घटना के सम्बन्ध में डी0 आई0 जी0, गोरखपुर द्वारा दिये गये बयान पर औचित्य का प्रश्न (जारी) .. .. 511

1979–80 का द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किया गया) .. 511

नरायनपुर, देवरिया में घटी घटना के सम्बन्ध में डी0 आई0 जी0, गोरखपुर द्वारा दिये गये बयान पर औचित्य का प्रश्न .. .. .. 512

नरायनपुर, देवरिया में घटी घटना के सन्दर्भ में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नरायनपुर के प्रस्तावित दौरे के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 512

विगत सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. 514

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1978–79) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।) .. .. .. 515

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. 515

सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दल द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) .. 518

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. .. .. .. 518

सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दल द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन न देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. 519

नरायनपुर में घटी घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने पर संसद सदस्य, श्री संजय गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) 519

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने का प्रयत्न (जारी) .. .. 520

नरायनपुर में घटी घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने पर संसद सदस्य, श्री संजय गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. 521

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने का प्रयत्न .. .. 526

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 528

दिनांक 24 मई, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु वक्तव्य .. .. .. 531

दिनांक 13 जून, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य .. .. 532

अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों के आमरण अनशन के संबंध में वक्तव्य .. 533

जिला कानपुर में अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी कथित अनियमितता के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन .. .. .. 536

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में शारदा महेश इण्टर कालेज के छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य .. .. .. 536

लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये श्री राज मंगल पाण्डेय के त्याग पत्र से रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. .. 539

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. .. 540

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 540

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. 581

प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. 581

दर्शक दीर्घा से सदन में तौलिया फेके जाने वाले व्यक्ति श्री हरपाल सिंह निर्भय की रिहाई का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. 585

नतिथयां .. .. .. .. .. 586

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सोमवार, दिनांक 4 फरवरी, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

**उपस्थित सदस्य--395**

अकबर हुसैन,श्री
अजब सिंह,श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह,श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी,श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी,श्री
अब्दुल रऊफ लारी ,श्री
अब्दुल वहीद ,श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन,श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव ,श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह ,श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव ,श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश , डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ ,श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री उर्फ राम मिलन सिंह
ओम प्रकाश सिंह ,श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह ,श्री
कन्हैया लाल गुप्त,श्री
कन्हैया लाल सोनकर ,श्री
कमल किशन पाण्डेय ,श्री
कमला प्रसाद वर्मा ,श्री
कमला प्रसाद सिंह ,श्री
करन सिंह ,श्री
कल्पनाथ सिंह ,श्री
कल्याण सिंह ,श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन ,श्री
काली चरण ,श्री
कासिम हसन ,श्री
किशन लाल ,श्री
किशन लाल दिलेर ,श्री
कुदसिया बेगम ,श्रीमती ( बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य ,श्री
कृष्ण कान्त मिश्र ,श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल ,श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप ,श्री
कृष्णा राय ,श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी ,श्री
कैलाश नाथ सिंह ,श्री
कौशल किशोर ,श्री
खान गुफरान जाहिदी ,श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री ,श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव ,श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री ( उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदालाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी देवी, श्रीमती
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्रभान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री

प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह भाटी, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री ( एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री ( जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बूज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह श्री
भागी यादव, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री

रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम लखन दुबे, श्री
राम शिरोमणी दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री

शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

---

## प्रश्नोत्तर

---

## सोमवार, 4 फरवरी, 1980

### विद्युत् मंत्री से संबंधित प्रश्नों को बाद में लिये जाने की सूचना

पशु धन मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, विद्युत मंत्री जी के आने में जरा-सा विलम्ब है। तब तक दूसरे प्रश्नों को ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

इस पर मुझे आपत्ति हैं। बिजली का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल भी इतना महत्वपूर्ण हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थगन नहीं चाहते हैं। अगर वह नहीं आयेंगे तो दूसरे मंत्री जवाब दे देंगे। इस समय मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नहीं ले रहा हूं। इनको तारांकित प्रश्नों के बाद लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

प्रश्न प्रहर के बीच में इसका उत्तर जरूर हो जाये, मान्यवर।

## तारांकित प्रश्न

**उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की गोरखपुर व वाराणसी में प्रस्तावित इकाइयां**

*1---श्री राज किशोर तिवारी ( जिला जौनपुर)---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जिसका सम्भागीय कार्यालय, फैजाबाद है, के अधीन और उप इकाइयां, जो कि गोरखपुर और वाराणसी मंडल (वाराणसी) में खुलने वाली थीं, वे कब तक खुल रही हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)---

संस्था की उप इकाई गोरखपुर में दिनांक 3-8-1979 से प्रारम्भ हो गई है। वाराणसी मे संस्था की उप इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री राज किशोर तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि वाराणसी और गोरखपुर दोनों मण्डलों में एक साथ ही खोलने का विचार किया गया था, तो क्या कारण है कि वाराणसी में अभी तक प्रस्तावित नहीं हुआ और गोरखपुर में आरम्भ भी हो गया है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

बीज प्रमाणीकरण संस्था के लिये कम से कम एक हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिये। विचार यह किया गया था कि गोरखपुर और वाराणसी दोनों जगहों में देखा जाये। अगर उपयुक्त क्षेत्रफल है, तो यह इकाई स्थापित की जाये। लेकिन वाराणसी में जो क्षेत्रफल मिला वह 337.69 हेक्टेयर ही था। जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम एक हजार हेक्टेयर भूमि हो, यह क्षेत्रफल बहुत कम था। निर्धारित क्षेत्रफल के अभाव में नहीं खोला जा सका। भविष्य में अगर भूमि की व्यवस्था हो जाती है, तो वाराणसी में भी उक्त इकाई की स्थापना की जायेगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की व्यवस्था करेंगे कि जो 300 हेक्टेयर जमीन है, जैसा कि वाराणसी के बारे में कहा गया। कौन-कौन सी जमीनें इसमें है ? सरकारी जमीने हैं या गैरसरकारी हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह---

सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की जमीनें हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मैं यह जानना चाहूंगा कि योजना यह थी कि प्रदेश में जितने भी मण्डल हैं, प्रत्येक में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की जायेगी। यह संस्थायें कबतक कायम कर दी जायेंगी इसमें क्या विलम्ब है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

मान्यवर, अभी तक जिन मण्डलों में स्थापना की जा चुकी है, वह हैं मेरठ, द्रपुर, काशीपुर, बरेली, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर। बुन्देलखंड में भी हो गया है। वाराणसी मण्डल में रह गया है। उसके लिये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी यह भी हो जाये।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बीज प्रमाणीकरण का जो कार्यालय फैजाबाद में स्थापित किया गया है, वह कब से कार्य कर रहा है, इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इसका क्षेत्र क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बड़ा विस्तृत है।

श्री शिव मंगल सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के लिये विश्व बैंक से रुपया मिलता है ? यदि हां, तो इस कार्य के लिये जल्दी न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, इसका केवल एकमात्र कारण इस प्रकार के क्षेत्रफल का न होना है। जब यह क्षेत्रफल हो जायगा, तो निश्चित रूप से यहां की इकाई स्थापित कर दी जायगी।

एक सदस्य--

मान्यवर, बिजली मंत्री आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नत्थी 'ख' के प्रश्न रोक कर नत्थी 'क' के प्रश्नों को लेता हूं।

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### बिजली में कटौती के कारण कृषकों व उद्यमियों के लिये न्यूनतम चार्ज का प्रतिबन्ध समाप्त करने की मांग

** 1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री रामचरनशाह (जिला खीरी)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों तथा उद्यमियों को बिजली आपूर्ति में भीषण कटौती को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम चार्ज के बन्धन को समाप्त न करने का कारण क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

कृषकों तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को बिजली आपूर्ति म कटौती न करके उनके चलाने में समय का प्रतिबन्ध लगाया गया। इन्हें बिजली आपूर्ति इतने कम समय की नहीं की गयी कि वे न्यूनतम चार्ज पूरा न कर पाते। अतः इन्हें न्यूनतम चार्ज के बन्धन से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। बड़े उद्यमियों पर बिजली आपूर्ति में भीषण कटौती की गयी जिसके कारण उन्हें न्यूनतम चार्ज में आवश्यक छूट प्रदान की गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जानकारी दी, बड़े उद्यमियों और बड़े पूंजीपतियों से सरकार को हमदर्दी है। उनको छूट भी दी है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो छोटे उद्यमी हैं या जो छोटे काश्तकार हैं, उनके बारे में मंत्री जी ने कहा कि उनकी कटौती नहीं की गयी है, बल्कि समय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कटौती न करने और समयपर प्रतिबन्ध लगाने में क्या फर्क है? सरकार ने इस तरह का क्यों नहीं नियम बनाया कि जिस काश्तकार की जिस अनुपात में कटौती की जाती है या समय सीमित किया जाता है, उसी अनुपात में मिनिमम चार्ज कम कर दिया जाय?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्योंको मालूम होगा पहली अप्रैल से 12 रुपया प्रति हार्स पावर की दर से कृषकों से वसूल किया जाता है जिसका मतलब यह हुआ कि 34 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। इसके लिये अगर 2 घंटे 40 मिनट हम बिजली उपलब्ध करा दें, तो 12 रुपये क्या 15 रुपये हो जाता है। इसतरह 12 रुपये करने से 8 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसमें और कटौती करने से सरकार वहन नहीं कर पायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जानकारी करनी चाही थी कि समय को सीमित करने में और कटौती करने में क्या अन्तर है लेकिन मंत्रीजी ने वह नहीं बताया है। मेरा अगला प्रश्न है, मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि यदि किसी काश्तकार को लगातार 2 घंटे 40 मिनट बिजली मिलती है, तो वह 12 रुपये की बिजली कंज्यूमकर लेगा, तो मेरी सुनिश्चित जानकारी को सही मानकर कि मेरे जिले में 2 घंटे 40 मिनट बिजली किसी काश्तकार को नहीं मिलती, तो क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे और घोषणा करेंगे कि जिस प्रकार से बड़े उद्मियों को छूट है, उसी तरह से गरीब काश्तकार को छूट देने की कृपा करेंगें?

श्री रेवती रमण सिंह—

मैंने पहले बताया था कि 2 घंटे 40 मिनट वह पूरा कर लेता है, तो 15 रुपये का पूरा हिसाब आ जाता है। दूसरे अगर 2 घंटे 40 मिनट से कम बिजली कहीं पर मिली हो, तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें कि कहां कहां कम मिली, मैं जांच कराने के बाद व्यवस्था करवा दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब किसान कंजूमर और विद्युत परिषद् के एग्रीमेन्ट में 2 घन्टे 40 मिनट मिनिमम समय इंगित नहीं हैं, तो किसान बिजली यह समझकर कंजूम करता है कि उसे 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन वह न मिलकर बिजली कम मिल रही है। तो फिर जब एग्रीमेन्ट 2.40 घंटे इंगित नहीं है तो इसको किस आधार पर किसान से जोड़ा जा रहा है?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जो मिनिमम चार्ज लिया जाता है, वह मिनिमम चार्ज के आधार पर ही लिया जाता है।

श्री रियासत हुसैन—

मिनिमम गारन्टी का जो एग्रीमेन्ट है, उसमें मिनिमम समय 2.40 इंगित नहीं है या कोई भी समय इंगित नहीं है और किसान 24 घंटे समझकर बिजली लेता है और आपने 24 घंटे बिजली दिया नहीं, तो जब 24 घंटे बिजली नहीं देते हैं, तो उस रेशियो मेंजितनी बिजली दे रहे हैं, उस आधार पर चार्ज न करने का क्या मतलब है?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्रीमन्, जैसा मालूम है कि सूखे के कारण समय-समय पर यह कटौती करना पड़ा और इसका आधार यह रहा कि किसान को कम से कम इतनी बिजली मिलती रहे कि वह सिंचाई कर सके। इसीलिये 12 रुपये से 15 रुपये मिनिमम चार्ज किया गया। यू0 पी0 के अलावा 2–4 राज्य और ऐसे हैं, जहां 12 रुपये मिनिमम चार्ज है, बाकी राज्यों में अधिक है जिसके कारण यू0पी0 को 12 करोड़ का घाटा हो रहा है। इसलिये हिसाब समझकर ही 2.40 घंटे बिजली प्रतिदिन कम से कम दी जायेगी तो 15 रुपये प्रति हार्स पावर पर 12 रुपये से 15 रुपये मिनिमम चार्जेज प्रति महीने हो जाता है। इसमें घटाने का सवाल नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सूखे के समय किसानों को नियमित तरीके से 2 घंटे तक भी बिजली नहीं मिल रही है। किसान परेशान है, इसलिये सहानुभूति-पूर्वक विचार करके कुछ छूट किसान को देने पर मंत्री जी यहां सदन में आश्वासन देंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जहां इस तरह केसेस ऊदल जी बतायें तो हम उन पर विचार जरूर करेंगे।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का तो उत्तर नहीं आया है। मंत्री जी मेरे प्रश्न को तो समझे ही नहीं है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश में मिनिमम चार्ज 12 रुपये है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां इतनी कम बिजली मिलती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2 घंटे 40 मिनट जब बिजली मिले, तो 12 रुपये चार्ज हो जाता है यदि कुल 6 घंटे या 22 घंटे बिजली देंगे, तो इस तरह से और बिजली के चार्जेज बढ़ा देंगे, तो इसके पीछे कहीं मंत्री जी की यह दुर्भावना तो नहीं है कि बिजली के रेट बढ़ायेंगे और इस बात की भूमिका तैयार कर रहे हैं कि बिजली का मिनिमम चार्ज बढ़ने वाला है। इसलिये मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन दें कि कहीं बिजली के रेट को बढ़ाने की साजिश तो नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने आक्षेप किया है और दुर्भावना कहा है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र —

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के घाटे से हम लोगों को सहानुभूति है लेकिन जब यह कहते हैं कि घाटा है और घाटा उस कारण यह कर रहे हैं, तो क्या यह बतायेंगे कि जहां और प्रदेशों में घाटा है इसकी तुलना में तो क्या यह सही है कि केवल यही प्रदेश है जहां न्यूनतम 12 रुपये लागू हों लेकिन दो घंटे बराबर बिजली न मिलती हो। मेरे इलाके में दस-दस मिनट बिजली मिलती है और मैंने बराबर मंत्री जी को लिखा है परन्तु मंत्री जी कहते हैं कि लिखा जाय। हमें इस मंत्रालय द्वारा पत्र का उत्तर तो मिलता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार का पत्र लिखा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

क्या बिजली मंत्री इस प्रश्न पर विचार करने का कष्ट करेंगे कि न्यूनतम चार्ज और बिजली की आपूर्ति के जो घंटे हैं, उन में संबंध बना कर मिनिमम चार्ज घोषित करने का आश्वासन सदन को देने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आ चुका है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मेरा प्रश्न यह है कि आप ने अपने उत्तर में यह कहा कि हम ने बिजली नहीं काटी केवल घंटों में परिवर्तन किया है । घंटों में परिवर्तन किसानों के लिए भी होना चाहिए क्योंकि इस परिवर्तन में आप छूट दे रहे हैं । उद्यमियों को घंटों में परिवर्तन से छूट मिलती है, तो काश्तकार भी परिवर्तन पर छूट के हकदार हैं । क्या इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

दोनों में भेदभाव क्यों है ?

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए कोई घंटे निश्चित नहीं हैं । साढ़े छियासठ परसेन्ट कटौती है और 24 घंटे में . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मोदी का बता दें . . .

श्री उपाध्यक्ष---

वह अलग है. . . .

श्री रेवतीरमण सिंह---

मैं जनरल बता रहा हूं । साढ़े छियासठ प्रतिशत कटौती हर इण्डस्ट्री में है उतनी बिजली वह 24 घंटे में कनज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते । इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए घंटे निश्चित नहीं हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मुझे यह जानकारी विद्युत मंत्री जी से चाहिए कि यह जो छूट की प्रणाली अपनायी गयी उस वक्त कौन-कौन से मुद्दे थे, क्या उन में यह मुद्दा भी था कि बिजली कितन घंटे दी जायगी ?

श्री रेवती रमण सिंह---

क्या कहा . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

वह यह पूछ रहे हैं कि जब यह प्रणाली अपनायी गयी तब कौन-कौन से मुद्दे शासन के मद्दे नजर थे और कितने घंटे बिजली देने की बात थी ?

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, यह असल में इसलिए किया गया था कि पहले मीटर सिस्टम था किसानों के यहां भी उसमें देखा यह गया कि बहुत गड़बड़ी होती थी । 100, 200 रुपये के स्थान पर बिल

500या 1000रु0 का आ जाता था। बाद म कम किया जाता था। इसको देख कर शासन ने निर्णय लिया कि एक फिक्स्ड रेट कर दिया जाय प्रति हार्स पावर के हिसाब से जिससे किसानों को परेशानी न हो। इसको देखते हुए कि किसानों को अधिक से अधिक बिजली दी जाय, पिछले मार्च में उनको 18 घंटे बिजली दी गयी लेकिन सूखे की वजह से हाईडिल का जनरेशन गिरने के कारण 6 घंटे दी जा रही है। हो सकता है फीडर ठीक न होने से कम बिजली दी जा रही हो उसकी व्यवस्था करा दी जायगी।

श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त---

माननीय मंत्री का कहना है कि बड़े उद्योगों को 66 प्रतिशत बिजली काट दी गयी और एक निर्धारित मात्रा में उनको बिजली दी जा रही है, लेकिन काश्तकार जिनको 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब केवल 3, 4 घंटे बिजली दी जा रही है, तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जिस आधार पर बड़े उद्योगों को मिनिमम चार्ज में छूट दी गयी है, तो काश्तकार को भ मिनिमम चार्ज में छूट देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका उत्तर कई मर्तबा दिया जा चुका है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

बड़े उद्योगों को किस आधार पर बिजली में छूट दी गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

सरकार ने किसान को मिनिमम चार्ज में छूट देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया इसलिये मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार के इस दृष्टिकोण के खिलाफ सदन त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये।)

## सुहागिन फैक्टरी, सीतापुर द्वारा बिजली की चोरी

**2---श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाला जी एन0 बी0 पी0 (सुहागिन फैक्ट्री), सीतापुर द्वारा की जाने वाली बिजली की चोरी विद्युत् विभाग, जनपद सीतापुर के अधिकारी ने सितम्बर, 1979 में पकड़ी थी ? यदि हां, तो इस विद्युत् चोरी में कितनी धनराशि का मामला सामने आया तथा आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जी हां,

बाला जी एन0बी0पी0 (सुहागिन फैक्ट्री), सीतापुर का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, सीतापुर एवं उनके स्टाफ द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1979 को किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि फैक्ट्री के पावर लोड की सप्लाई से आवासीय भवनों में विद्युत् का उपयोग किया जा रहा है, जो अनियमित था। इस अनियमितता के लिये राज्य विद्युत परिषद् द्वारा रु0 9,23,243.32 पैसे की धनराशि का अतिरिक्त बिल उनको भेजा गया, जिसके भुगतान न किये जाने पर दिनांक 13 दिसम्बर, 1979 को उक्त फैक्ट्री का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन विच्छेद किये जाने पर उपभोक्ता ने सिविल जज, सीतापुर

के न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। उक्त न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 23 दिसम्बर, 1979 को कनेक्शन पुन: जोड़ दिया गया। अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(प्रश्न संख्या 3 पुकारने पर)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

विद्युत् विभाग में बड़ा घुटाला है। किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बाद में प्रश्न कर लेंगे।

(श्री नाथू राम शिक्षक के खड़े रहने तथा कुछ बोलते रहने पर।)

श्री नाथूराम शिक्षक जो कुछ बोलेंगे लिखा नहीं जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक--

जो कदम सरकार ने उठाये हैं वह किसानों के विरुद्ध हैं। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नाथूराम शिक्षक सदन त्याग कर चले गये।)

**विद्युत् अभियन्ताओं की हड़ताल के कारण किसानों को विद्युत् की निर्धारित दरों में छूट की मांग**

* 3--श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री जयराम, (जिला गाजीपुर), श्री मित्रसेन तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर दिसम्बर, 1979 में विद्युत् अभियन्ताओं की हड़ताल से प्रदेश के किसानों को बिजली आपूर्ति में कठिनाई रही है और किसानों को बिजली प्रतिदिन वांछित घंटों में नहीं दी जा सकी, जिससे किसानों को भारी हानि हुई है? क्या यह भी सही है कि किसानों से प्रतिदिन का पूरा रुपया कम बिजली दिये जाने के बावजूद वसूल किया गया? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बिजली आपूर्ति की कमी के कारण उन्हें बिल से मुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह--

12 नवम्बर, 1979 से अभियन्ताओं द्वारा नियमानुसार काम शुरु कर देने के बाद 28 नवम्बर, 1979 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को औसतन 5 घंटे प्रतिदिन की निर्धारित विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध औसतन लगभग 4 घंटे प्रति दिन की विद्युत आपूर्ति की गयी। 29 नवम्बर, 1979 से अभियन्ताओं की गिरफ्तारियां शुरु होने के बाद 10 दिसम्बर, 1979 को उनके पुन: काम पर वापस आने तक ग्रामीण क्षेत्रों को औसतन लगभग 5 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गयी।

1 दिसम्बर, 1979 से 10 दिसम्बर, 1979 के बीच विद्युत आपूर्ति का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका था।

किसानों को बिजली आपूर्ति में कटौती न करके उनके चलाने में समय का प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन्हें बिजली आपूर्ति इतने कम समय की नहीं दी गयी है कि उनकी नियत दर, जो कि 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह है, में कमी की जावे।

श्री रघुवरदयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 12 नवम्बर, 1979 से 28 नवम्बर, 1979 तक अभियन्ताओं की हड़ताल हुई और उसके बाद 1 दिसम्बर से 10 दिसम्बर के बीच में किसानों को बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं की गई। ऊपर उन्होंने यह भी बताया है कि हड़ताल के समय 4 घंटे औसतन बिजली दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने 5 घंटे बिजली देने को बात कही है और जो उन्होंने प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में बताया है उसको मद्दे नजर रखते हुए किसानों को छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह तो पहले प्रश्न के जबाब में माननीय वर्मा जी को बताया जा चुका है और मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा कि उसमें अब कमी नहीं हो सकती है क्यों कि पहले ही उसमें कमी की जा चुकी है। अब इसके अलावा कमी की जायेगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप लगाने की जो योजना है और हरिजन बस्तियों और गांवों में विद्युतीकरण की जो योजना है, वे सारी योजनायें ठप हो जायेंगी। इसलिये उसमें अब कमी नहीं की जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका मतलब है छूट देना सम्भव नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, हम लोगों का प्रश्न आपके सामने है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 29 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक सारे अभियन्ता हड़ताल पर थे और उस समय विद्युत् आपूर्ति नहीं हुई है, जनरेशन नहीं हुआ है, कोई सप्लाई नहीं हुई है। यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि किसानों को कुछ घंटों तक बिजली नहीं मिली है। इन 12 दिनों तक तो उन्हें बिजली मिली ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि माननीय राजेन्द्र कुमारजी गुप्त के प्रश्न के उत्तर में जैसा मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि बड़े उद्योगपतियों को बिजली में कोई कटौती नहीं हुई है और किसानों की आपूर्ति में कटौती हुई है तो क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि किसानों को किस रेट प्रति यूनिट पर और बड़े उद्योगपतियों को किस रेट प्रति यूनिट पर बिजली दी गई है ? अगर उनके पास पूरे प्रदेश के आंकड़े हों तो वे कृपया देख लें....

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह भाषण दे रहे हैं या सवाल कर रहे हैं ?

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहूंगा कि 29 नवम्बर और 10 दिसम्बर के बीच बिजली की आपूर्ति कितने घंटे हुई ? यदि किसानों को कोई बिजली नहीं दी गई तो क्या मंत्री जी उन पर लगाये गये बिजली के सर चार्ज को माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर जैसा कि सबको मालूम है कि जब बिजली अभियन्ता हड़ताल पर थे तो उस समय 2/3 रोज तक बिजली अनियमित थी। मैं भी इस सिलसिले में ग्रामीण क्षेत्रों में गया था मुझे मालूम हुआ कि उस समय जितनी बिजली उनको मिल रही थी उतनी बिजली भी बाद में उनको नहीं मिली, जितनी हड़ताल के समय मिल रही थी। पूरे प्रदेश में केवल कुछ जिलों को छोड़कर 16/17 घंटे किसानों को बिजली मिली है। 2/3 दिन के लिये पूरे रेट बदल दिये जायं मैं समझता हूं इसे माननीय मित्रसेन जी भी नहीं चाहेंगे। पैसा कहां से आयेगा ? उद्योगों के बारे में इन्होंने कहा कि कोई कटौती नहीं की गई, तो उद्योगों की साढ़े 66 परसेंट कटौती की गई जो कि बहुत बड़ी कटौती है इससे ज्यादा कटौती की नहीं जा सकती।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं भी खड़ा हो रहा हूं। आपको नहीं दिखाई दे, तो दो चश्मा लगा लीजिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय विद्युत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे उन्होंने इस सदन में स्वीकार किया है कि बिजली की सप्लाई नहीं हो पायी, फिर कहा कि हड़ताल के समय पर दो-तीन दिन छोड़ बाकी समय ग्रामीण अंचलों में ठीक रही। मैं जानना चाहता हूं सूखे और अकाल के समय जिन अधिकारियों ने यह सूचना दी कि दो-तीन दिन छोड़ कर विद्युत सप्लाई होती रही, मेरी निश्चित जानकारी है, विद्युत सप्लाई बिलकुल ठप रही.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल करिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने सूखे के समय मंत्री जी को यह सूचना दी कि ग्रामीण अंचलों में बिजली की सप्लाई होती रही, तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि दो-तीन महीने से बिजली नहीं मिली है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर; दीक्षित जी ऐसा सवाल पूछते हैं मैंने जवाब दिया हड़ताल के समय और सवाल कर रहे हैं सूखे के समय का.....

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आप किसानों के नेता बनते हैं और किसानों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री रेवती रमण सिंह--

सदन में आने के पहले दीक्षित जी गांव में रहते थे और वही खाते का काम बहुत अच्छा करते थे, इनको नहीं मालूम था कि गांव के बाहर सूखा पड़ा है। सूखे से बांधों में पानी नहीं रहा जिससे हाईडिल जनरेशन कम हो गई और केवल थरमल जनरेशन हो रही है।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

इनको कोई अधिकार नहीं है मंत्री रहने का।

(श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री राम आधार जी को बुला लिया है आप क्यों खड़े हो रहे हैं पाण्डेय जी।

श्री रणजीत सिंह "जू देव" (जिला झांसी)--

यह कह कर कि आप दो चश्मे लगाइये उन्होंने बेइज्जती की है। उनकी डर से आप उनको बुलवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह उनका अपनी बात कहने का तरीका है कि किस प्रकार हमारा ध्यान उनकी तरफ जाय। (व्यवधान) उसको मैं आक्षप नहीं मानता। (व्यवधान) हमारी दृष्टि आकृष्ट की कोई बुरी बात नहीं है।

श्री राम आधार--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन के बयान में आया था कि 11 सौ मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। उत्पादन क्षमता 17, 18 सौ मेगावाट है, तो 2/3 प्रोडक्शन हो रहा है, तो 11 सौ मेगावाट में कम से कम 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिये वह कहां जा रही है? नम्बर दो, क्या मंत्री जी बताऐंगे कि चुनाव के पूर्व जो मंत्री जी ने कहा था कि शनिवार और रविवार को चौबीसों घंटे बिजली मिलेगी, तो यह नीति क्यों बदली गई? आप जबकि प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कहते हैं, तो यह प्रोडक्शन कहां चला गया कि शनिवार और रविवार को बिजली पूरे दिन नहीं मिल पा रही है?

श्री रेवती रमण सिंह--

बिजली के बारे में वह स्वयं बहुत जानकारी रखते हैं, जो कुछ उन्होंने कहा सही फरमाया है। इस समय 9 सौ से 11 सौ मेगावाट के बीच थर्मल प्रोडक्शन है और 1865 हमारी कुल इंस्टाल्ड कैपिसिटी है। इस हिसाब से इस समय 50 फीसदी जनरेशन है। बिजली प्रदेश में और प्रदेश के खेतों में जाती है। लेकिन डिमाण्ड इतनी अधिक है--साढ़े तीन लाख नलकूप हैं और सभी निर्धारित समय में एक साथ चलते हैं, इसलिए बिजली ज्यादातर नलकूपों में जा रही है। 62 फीसदी बिजली इस समय गांवों में दी जा रही है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इलाहाबाद के समस्त विद्युत् उपभोक्ताओं को नोटिस दी जा चुकी है। कि वह भय जुर्माने के सारा बिजली बिल जमा कर दें, चाहे उनको बिजली मिली हो या न मिली हो, तो क्या मंत्री जी, जो इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में आप अलग से सवाल कर लीजिए, यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

जैसा मंत्री जी ने अभी पहले कहा था कि वह रेट कम करने की स्थित में नहीं है, किन्तु जैसी परिस्थित विशेष रही है, प्रदेश के समस्त विद्युत अभियन्ताओं ने हड़ताल किया यह सब देखते हुये क्या मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके घोषणा करेंगे कि कम से कम वह 15 दिन या एक माह का चार्ज माफ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब तो वह कई बार दे चुके हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

विद्युत् अभियन्ताओं की हड़ताल के दौरान जिन काश्तकारों के नलकूपों को एक घन्टा या पांच मिनट भी बिजली नहीं मिली है, उनके बारे में क्या मंत्री जी उन दिनों के बिलों को मुक्त करने की घोषणा सदन में करेंगे?

श्री रेवतीरमण सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा उस समय तो बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा बढ़ गयी थी, क्योंकि कल कारखाने वालों को मिल नहीं रही थी। इसलिए उस समय कम करने का सवाल ही नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि जो यह किसानों का एग्रीमेन्ट हुआ, उसके अनुसार हड़ताल या उसके बाद भी बिजली उनको कम मिलती रही या मिलती ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थित में क्या वह उनके लिये आदेश देंगे कि जहां पर बिजली नहीं दी गयी है उनके चार्ज सदन में समाप्त करने की घोषणा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न तो कई बार आ चुका है।

मुख्यमंत्री (श्री बनारसीदास)---

पहले प्रदेश के ट्यूबवेलों के मालिकों को मीटर रीडिंग के अनुसार बिल अदा करना पड़ता था, फिर यह फैसला हुआ कि एवरज को देखकर हार्स पावर के हिसाब से कृषकों को भुगतान देना पड़ेगा और यह नियम बनाया कि अगर 2 घंटे बिजली मिली है, तो प्रत्येक घंटे का जो चार्ज होता है वह उसे देना होगा, तो जो प्रश्न अभी यहां पर किया गया है, हम उसके लिये भी तैयार हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति का यूनिट्स के हिसाब से बिल देना पड़ता है। तो जितने यूनिट्स कन्ज्यूम किये गये हैं उनके बिल अगर कम बैठते हैं तो यकीनन हम उनको उतनी छूट देंगे लेकिन जितनी बिजली कन्जूयम की गयी है, उसका व्यय उससे अधिक होता है, तो भी उनसे अधिक वसूल नहीं करेंगे। जितनी भी बिजली इस समय उनको दे रहें हैं अगर मीटर होते और उस हिसाब से उनको बिल पहुंचते तो जितना उनसे चार्ज करते हैं, वह अधिक होता। कोई भी ट्यूबवेल आपरेटर यू0पी0 में कहीं भी बिजली का खर्च यूनिट्स के हिसाब से कम करता है जितना कि हम चार्ज करते हैं, तो अवश्य ही कम कर देंगे।

श्री मित्रसेन---

मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कहीं भी देख लें विभिन्न जिलों में हर फीडर्स ऐसे हैं जहां से बिजली नहीं गयी है और उस इलाके में पड़न वाले उपभोक्ताओं से चार्जेज मांगे जा रहें हैं, तो क्या वह उनसे चार्जेज को माफ कराने का आश्वासन सदन में देंगे ? मुझे निश्चित जानकारी है कि हमारे क्षेत्र में फीडर पर सात दिन बिजली नहीं गयी है, तो उसका आधार मानकर सारे प्रदेश में सरकार बिजली के चार्जेज को माफ करने का आदेश देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो बड़े विस्तार का प्रश्न है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मीटर नहीं लगे हैं, तो आंकलन कैसे होगा। मेरी जानकारी है कि अलीगढ़ में सिकन्दरराव में एक फीडर पर महीनों बिजली नहीं गयी, तो क्या सरकार उस फीडर वालों से सारे चार्जेज माफ कर देंगे ?

श्री बनारसी दास---

प्रत्येक फीडर लाइन पर कितनी बिजली कन्ज्यूम हुई उस हिसाब से ली जाती है। अगर किसी फीडर लाइन से, जहां पर ट्यूबेल्स मौजूद हैं, जो निर्धारित रकम है, उससे कम बनती है, तो अवश्य ही विचार करेगें लेकिन इस बड़े प्रदेश में जहां पर हजारों की संख्या में फीडर लाइन्स है यह कार्य आसान नहीं है। फिर भी यदि कोई इस तरह की चीजें हैं, अगर माननीय सदस्य विद्युत मंत्री को या विद्युत परिषद् को लिखाकर देगें, तो उसी हिसाब से कर देगें। मैंने तो केवल एक आधार की बात कही है। किसानों, को बिजली के अन्य उपभोक्ताओं से कनसेशन रेट पर हम बिजली देते है। घंटे के हिसाब से कि एक घंटे में कितने यूनिट कन्ज्यूम होते है लेकिन अगर माननीय सदस्य विवरण देगें, तो अवश्य विचार करेगें।

---

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या के 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## तारांकित प्रश्न (क्रमागत)

*2—श्री हरिचरन यादव—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

**ग्राम कहेलिया, जिला शाहजहांपुर में, कूप निर्माण में शिकायतें**

*3—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेगें कि जिला शाहजहां पुर विकास खण्ड भावल खेड़ा के ग्राम कहेलिया में सन् 79 में हरिजन बस्ती में विकास खण्ड की ओर से किसी पानी पीने के कूप का निर्माण हुआ यदि हां, तो क्या इसके निर्माण में कमी रखे जाने की कोई शिकायत जिला पंचायत राज्य अधिकारी, शाहजहांपुर से की गयी ? यदि हां, तो अब तक इसमें कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

जी हां । शिकायत की जांच की गयी परन्तु कूप निर्माण में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी ।

**विकास क्षेत्र वर्डपुर जिला बस्ती में, राजस्व ग्राम तथा ग्राम सभा गठित करने की मांग**

*4—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि अपने अर्ध पत्र संख्या 1317 बी/33-2-79 दिनांक 17 मई, 1979 तथा जिला परिषद् बस्ती की परामर्श दात्री समिति के दिनांक 27-11-78 के प्रस्ताव संख्या 3 (4) द्वारा गठित उप समिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 11-12-1978 के अनुसार बस्ती जिले के विकास क्षेत्र वर्डपुर के अन्तर्गत गठित सेक्टरवार गांव सभाओं के स्थान पर 500 तक की आबादी वाले टोलों को अलग अलग गांव सभा बनाने की घोषणा कब तक करेंगें और उन 500 तक की आबादी वाले टोलों को अलग-अलग राजस्व गांव गठित करने की विज्ञप्ति करायेंगें ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वर्डपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 500 तक की आबादी वाले टोलों को पृथक ग्राम घोषित करने के संबंध में जिलाधिकारी, बस्ती की आख्या मांगी गई है जो अभी प्रतिक्षित है। जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर ही वर्डपुर क्षेत्र की कथित ग्रामों को अलग-अलग राजस्व ग्राम घोषित करने और तत्पश्चात् उसमें गांव सभायें गठित करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा ।

*5-20—

[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

*21—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

*22—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

## अतारांकित प्रश्न

### "काम के बदले अनाज" योजना में बहराइच जनपद की भिनगा तहसील में किये गये कार्य

1—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1979-80 में काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत बहराइच जनपद के भिनगा तहसील व उनमे पड़ने वाले विकास खण्डों में कौन-कौन कार्य कब-कब किये गये और वे कार्य पूरे हो गये ? यदि कार्य अपूर्ण है, तो उसके दोषी कौन-कौन हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

बहराइच जनपद में भिनगा तहसील के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड, सिरसिया तथा हरिपूररानी में 24-11-79 से पूर्व स्वीकृत सम्पर्क मार्गों की प्रगति का विवरण संलग्न तालिका क' में अंकित है। इन मार्गों पर कार्य चल रहा है। विकास खण्ड सिरसिया में कार्य की प्रगति मुख्यत: मजदूर न मिलने तथा तकनीकी स्टाफ की उदासीनता के कारण नहीं लायी जा सकी। दोषी अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है। अब के पूर्व में स्वीकृत दो मार्गों का कार्यप्रगति पर है।

24-11-79 को स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का विवरण संलग्न तालिका 'ख' में अंकित है। नवम्बर, 1979 में होने वाले वर्षा के कारण मजदूर रबी की बुवायी में व्यस्त हो गये थे जिससे मजदूरों के अभाव में इन मार्गों पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। रबी की कटायी के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा। अत: इसके लिए किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 586 पर।)

### मत्स्य निरीक्षण के पदों पर नियुक्तियां तथा नियमितीकरण

2—श्री छोटे लाल निर्भय (जिला जौनपुर)—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि वर्ष 1966 में मत्स्य निरीक्षक के पद, लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति हुए थे तथा उनकी आयोग द्वारा, साक्षात्कार की तिथि भी निश्चित हो गयी थी परन्तु उनका साक्षात्कार इस कारण नहीं हुआ कि मत्स्य निरीक्षक के पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो गये थे ? क्या यह सही है कि निदेशक, मत्स्य ने 7 पदों पर सीधी भर्ती उन अभ्यर्थियों की, जिन्होंने वर्ष 1966 में आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु आवेदन-पत्र दिया था एवं साक्षात्कार रद्द करके उनको आयोग ने सूचित किया था कि अब निदेशक, मत्स्य ही नियुक्तियां करेंगें एवं उनके नियुक्ति आदेश में तदर्थ नियुक्ति का उल्लेख नहीं था, किन्तु उन्हें नियमित नहीं माना गया ? ऐसा क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 589 पर।)

3—श्री छोटे लाल निर्भय—

उपर्युक्त नियुक्तियों के पूर्व जो पूर्व वर्षों में जो तदर्थ नियुक्तियां की गयी थी, उन्हें निदेशक, मत्स्य ने 24-9-66 से 6-7-67 की अवधि में नियमित नहीं किया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या अब इन व्यक्तियों को वर्ष 1966 से नियमित किया जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 590 पर 1)

**श्री आजादसिंह, कनिष्ठ लिपिक भूमि संरक्षण कार्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर के प्रत्यावर्तन के संबंध में जानकारी**

4—श्री जगन्नाथ सिंह गौतम (जिला फतेहपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि भूमि संरक्षण कार्यालय, बिन्दकी, (फतेहपुर) में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत श्री आजाद सिंह को कनिष्ट लिपिक पद से 17 जुलाई, 78 ई0 में क्षेत्रीय उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कोई अपील प्रशासक रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, आजाद नगर, कानपुर के यहां कर रखी है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**ग्राम सभा, खादी, जिला ललितपुर में बन्धी का निर्माण एवं बकाया सिंचाई और मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि**

5–6—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने कि कृपा करेंगें कि त्वरित योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा खादी ब्लाक तालबेहट जिला ललितपुर में 7,500 रुपये की लागत से जो बंधी वर्ष 65–66 से 67–68 तक ढलवाई है उसकी सिंचाई 11 वर्षो से वसूल न हो सकने का क्या कारण है और सिंचाई किन-किन काश्तकारों पर बाकी है और यह रुपया कब तक वसूल हो जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगें कि उक्त बंधी अभी तक कितने बार टूट चुकी है और सन् 1979 में 806 रु0 मरम्मत पर खर्च करने के पूर्व कितना रूपया और मरम्मत पर खर्च किया गया है ? उक्त मरम्मत और पूर्व लागत को मिलाकर के कुल कितना रूपया 1979 अगस्त तक व्यय किया गया और आज ब्याज सहित केवल बंधी के ऊपर ग्राम सभा को कितना रुपया कर्जा अदा करना है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**फैजाबाद जिले के वरियावम बाजार में परिवहन निगम के बुकिंग आफिस की स्थापना की मांग**

7—श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेगें कि जनपद फैजाबाद में स्थान वरियावम बाजार में राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश की बसों के रुकने का तथा टिकट बुकिंग आफिस खोलने के लिए सन् 1977से 1979 तक आदेश दिये गये है? यदि हां, तो आदेश का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? आदेश के पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? टिकट बुकिंग कार्यालय कब तक खोला जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

वर्ष 1977 से 1979 तक वरियावम बाजार में परिवहन निगम की बसों के रुकने तथा वहां पर बुकिंग आफिस के संबंध में कई बार निर्देश भेजे गये । नये स्थान पर बुकिंग आफिस खोलने

के लिए वहां पर 1000 रु0 की दैनिक आय का होना आवश्यक है। चूंकि वरियावन बाजार की दैनिक आय 1000 रु0 से कम पायी गयी इसलिए अलाभकर होने के कारण, वहां पर बुकिंग आफिस नहीं खोला जा सका। ऐसी दशा में किसी भी अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त स्थान पर बसों के रुकने की व्यवस्था पहले से ही है।

**फैजाबाद–बसरवारी मार्ग पर परिवहन निगम का बुकिंग आफिस**

8—श्री हरी राम वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद और बसखारी के बीच उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों की टिकट बुकिंग कार्यालय किन-किन स्थानों पर है ? क्या सभी टिकट बुकिंग कार्यालयों से नियमित रूप से टिकट बिक रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

फैजाबाद–बसखारी के बीच में पूरा बाजार, गोसाई गंज, कटेहरी, अकबरपुर स्थानों पर परिवहन निगम के बुकिंग आफिस हैं। कुछ दिनों के लिए फैजाबाद तथा अकबर पुर स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर बुकिंग क्लर्क हटा लिये गये थे तथा परिचालक बुकिंग प्रणाली अपनायी गयी थी। लेकिन अब पूर्व को भांति क्लर्क द्वारा बुकिंग करायी जा रही है और टिकट पूर्ववत् बेचे जा रहे हैं।

9—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव—

[3, मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**श्री एल0 एन0 श्रीवास्तव, सहायक फिजियोलोजिस्ट, पैडी रिसर्च स्टेशन, फैजाबाद की पेंशन व ग्रे च्युटी**

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि यू0 पी0 ए0 एस0 जूनियर स्केल (500–1200) में नियुक्ति जो सहायक फिजियालोजिस्ट, पैडी रिसर्च स्टेशन, फैजाबाद (श्री एल0 एन0 श्रीवास्तव) वर्ष 1974 में रिटायर हुए, उन्हें अभी तक स्थायी पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि के धन न मिल पाने के कारण क्या है तथा कब तक मिल जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री एल0 एन0 श्रीवास्तव सहायक फिजियोलोजिस्ट दिनांक 27–12–1974 को सेवानिवृत्त हुए थे। इनके सम्पूर्ण पेंशन प्रपत्र महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किये जा चुके हैं। इनके पक्ष में पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृत का अधिकार पत्र महालेखाकार उ0 प्र0, इलाहाबाद से अपेक्षित है जहां तक इसके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान का प्रश्न है, महालेखाकार से स्थिति ज्ञात की जा रही है।

**जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के संचालक मण्डल के संचालकों का निष्कासन एवं अवक्रमण किये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र**

11—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ के संचालकमण्डल में कुल कितने निर्वाचित संचालक हैं ?

क्या यह सही है कि संचालक मण्डल में से कुछ निर्वाचित संचालक अवैध रूप से निकाल दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या निष्कासित संचालक मण्डल के स्थान पर नये संचालक नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद में जिला सहकारी बैंक लि0, प्रतापगढ़ में दिनांक 1–10–78 को कुल 13 संचालक निर्वाचित हुए थे। उक्त संचालकों में से 7 संचालकों को संचालक मण्डल द्वारा नियमित रूप से निष्कासित किया गया है।

निष्कासित संचालकों के स्थान पर शेष अवधि के लिए कार्य के हित में 6 संचालकों को नियमतः आमेलित किया गया।

12—श्री विद्या शंकर—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद प्रतापगढ़ के चार विधायकों नें मुख्य मंत्री को दिनांक 5 सितम्बर, 1979 को जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ को सुपरसीड करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया था ? क्या मुख्य मंत्री जी ने सुपरसेशन की कार्यवाही का आदेश दिया था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रतापगढ़ जनपद के चार विधायकों नें मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र प्रतापगढ़ के सहायक निबन्धक के स्थानान्तरण के लिए 5–9–1979 को दिया था। मुख्य मंत्री जी ने जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ को अवक्रमित करने पर विचार करने तथा पूर्ण अध्ययन करके नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। आवश्यक जांच करायी जा रही है।

**जिला परिषद, खीरी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति**

13—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रोन्नतियों में आरक्षण लागू होने के पश्चात् कुल कितनी प्रोन्नतियां जिला परिषद् खीरी में की गयी है और इनमें कितनी अनुसूचित व पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नतियां हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्रोन्नतियों में आरक्षण लागू होने के पश्चात् जिला परिषद् खीरी में कुल 13 प्रोन्नतियां की गयी है इनमें से दो पिछड़ी जाति के थे। अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी प्रोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं था। दफ्तरी के एक पद पर पदोन्नति हेतु चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध थे परन्तु उन्होने दफ्तरी पद पर पदोन्नति के लिए लिखकर अनिच्छा जाहिर की।

**एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के कर्मचारी श्री निर्दोष कुमार का बकाया वेतन एवं भविष्य निधि की धनराशि**

14—श्री मोहम्मद शमीम अन्सारी (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन (संतुलित पशु-आहार मंडल) के भूतपूर्व कर्मचारी श्री निर्दोष कुमार जिनकी दिनांक 1-11-76 से छटनी कर दी गयी थी, को निम्नलिखित मदों की धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है:– (1) मास जुलाई, 76 का वेतन (2) सम्पूर्ण अनिवार्य जमा धनराशि (3) कर्मचारी भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशियां (4) जमानत की धनराशि (5) वर्ष 1976–77 का बोनस (6) यात्रा भत्ता के बिलों का भुगतान ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**भूमि संरक्षण विभाग, सिसवा बाजार, गोरखपुर द्वारा गूल निर्माण एवं ठेकेदार का भुगतान**

15—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि सिसवा बाजार, गोरखपुर के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1979 में हो रहे गूल निर्माण कार्य का निरीक्षण करते समय गण्डक आयुक्त ने गूल नं0 9 बेतवा के निर्माण कार्य की जांच की ? निर्माण कार्य में घटिया सामानों को पाकर लिखित आदेश दिया कि निर्माण कार्य को तुड़वाकर पुनः बनवाया जाये और संबंधित ठेकेदार का सारा भुगतान तब तक के लिये रोक दिया जाये जब तक नये निर्माण की पुनः जांच न कर ली जाये ? तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, सिसवा बाजार ने मार्च, 1979 मे बिना नव निर्माण कार्य कराये अपने स्तर से ठेकेदार को सारा धन भुगतान कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री शिवमंगल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

**परिवहन निगम, उप प्रधान प्रबन्धक, मैटीरियल मैनेजमेन्ट, लखनऊ तथा सेन्ट्रल स्टोर एलन फारेस्ट, कानपुर में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति**

16—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रधान प्रबन्धक, मेटीरियल, मैनेजमेन्ट लखनऊ के कार्यालय तथा सेन्ट्रल स्टोर एलन फारेस्ट, कानपुर में वर्ष 1977 से अब तक कितने क्लर्क, स्टेनों, टाइपिस्ट, स्टोर कीपर तथा चपरासी की नियुक्तियां किस अधिकारी के माध्यम से की गयी तथा उनका क्या आधार था ? इन नियुक्तियों में पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण किस प्रकार रहा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**परिवहन निगम, सेन्ट्रल वर्कशाप के प्रबन्धक, श्री जी0 एस0 टण्डन के स्थानान्तरण की मांग**

17—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री नरेश चन्द्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल वर्कशाप के सेवा प्रबन्धक, श्री जी0 एस0 टण्डन को कितने वर्ष इस वर्कशाप में कार्य करते हो गये हैं तथा इनका स्थानान्तरण अभी तक न करने का क्या कारण है ? जब श्री टण्डन इलाहाबाद में थे तब इनके विरुद्ध क्लर्क, टाइपिस्ट, मेकेनिक, स्टोरकीपर आदि पदों पर अनियमित नियुक्तियां करने के संबंध में वर्ष 1978 से 79 तक कितने शिकायती पत्र शासन को दिये जा चुके हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण तुरन्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**भूमि संरक्षण अधिकारी, चोपन, जिला मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायतीपत्र**

18—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर की भूमि संरक्षण इकाई, चोपन क भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध तृतीय वर्गीय भूमि संरक्षण कर्मचारी संघ एवं क्षेत्रीय विधान सभा सदस्य द्वारा माह मार्च, अप्रैल एवं 6 जून, 1979 को भृष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ? जांच रिपोर्ट पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

भूमि संरक्षण अधिकारी, चोपन, मिर्जापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का उत्पीड़न, ठेकेदारों व यात्रा भत्ता में कर्मचारियों से पैसा लेने, स्वजातीय कर्मचारियों को सुविधा देने, राजकीय साधनों के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं आदि आरोपों से संबंधित, भूमि संरक्षण कर्मचारी संघ एवं माननीय विधायक से माह मार्च, अप्रैल व जून, 1979 में शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच विषय विशेषज्ञ (शस्य) से कराई जा रही है ।

**कृषि विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन**

19—श्री बंश गोपाल चतुर्वेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग में एक वर्ग से दूसरे वर्ग या श्रेणी में हजारों कर्मचारी पिछले वर्षों में पदोन्नत हुए हैं ? क्या यह सही है कि इन्हें 15–20 वर्ष से अनुमोदित नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इस शिथिलता के लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 से वर्ग 2 तथा वर्ग-2 से वर्ग-1 में समय-समय पर प्रोन्नतियां दी गई हैं किन्तु 1964 के पश्चात् लोक सेवा आयोग का अनुमोदन नहीं प्राप्त किया जा सका । इसका मुख्य कारण यह था कि वर्ग–2 में ग्राम सेवक संवर्ग से 15 जून, 1961 के शासनादेश के अन्तर्गत प्रोन्नति पाये और वर्ग–3 से प्रोन्नत हुए लोगों की मिली-जुली ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई जा सकी थी। 18 नवम्बर, 1978 के शासनादेश से इसके संबंध में अन्तिम निर्णय लेकर नियुक्तियों के विनियमितीकरण के संबंध में जो कठिनाई थी उसका निराकरण कर लिया गया है ।

**श्री बृजेन्द्र सिंह, कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच**

20—श्री बंश गोपाल चतुर्वेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेन्द्र सिंह, कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध दवाइयां आदि खरीदने में भ्रष्टाचार तथा कुछ अन्य संबंधों में गुप्तचर विभाग व कृषि विभाग द्वारा जांच की जा रही है ? क्या इनके विरुद्ध उपनिदेशक, कृषि, आगरा ने जीप के दुरुपयोग की कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो उपरोक्त में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां, श्री बृजेन्द्र सिंह, कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध दवाइयों की खरीद में अनियमितताओं के संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है । जांच अभी जारी है । इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही हैं ।

कुछ अन्य प्रशासनिक शिकायतों के संबंध में विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

जी हां, जीप के दुरुपयोग के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है । जिस पर जांच करायी जा रही है ।

**श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी, संयुक्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम के विरुद्ध शिकायतें**

21—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त प्रधान प्रबन्धक, मैटीरियल मैनेजमेंट, श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की कितनी शिकायतें शासन को सन् 1978 से अब तक प्राप्त हुई हैं तथा उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी, परिवहन निगम में संयुक्त प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0 एवं का0) के पद पर तैनात हैं । संयुक्त प्रधान प्रबन्धक (मैटीरियल मैनेजमेंट) का कोई पद परिवहन निगम में नहीं है ।

श्री द्विवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं का कोई परिवाद शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

**परिवहन निगम में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति**

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा सन् 1976 से अब तक उनके क्षेत्रों में जूनियर फोरमैन, मैकेनिक, लिपिक, स्टेनों व चपरासी के पदों पर नियुक्तियां किस आधार पर की गयी हैं ? इसमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति को आरक्षण प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ में सहायक शाखा आंकिक एवं अवर लिपिकों की सेवा समाप्ति**

23—श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रा0 स0 भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ में स0 आंकिक/ अवर लिपिक पदों पर कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं ? उसमें किन-किन लोगों की कितनी-कितनी अवधि की सेवायें थीं ? इनको काम से हटाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय तथा उसके विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में एकीकृत/दैनिक वेतन पर सहायक शाखा आंकिक/अवर लिपिक के पद पर कुल 473 तदर्थ नियुक्तियां की गई

थीं जिनकी सेवा अवधि की †सूची दी हुई है। सेवा मण्डल से नियमित चयन द्वारा आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर तथा 30 जून को वार्षिक वसूली अभियान समाप्त हो जाने के कारण तदर्थ तौर पर नियुक्त सहायक शाखा आंकिक/अवर लिपिक की सेवायें समाप्त कर दी गई।

**जिला परिषद् खीरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक**

24—श्री नरेश चन्द्र—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, खीरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य व एल0 टी0 व सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की कुल कितनी संख्या है और उनमें वर्गश: अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के अध्यापकों की संख्या क्या है और इस संबंध में आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिये अब तक कितनी नियुक्तियां हुई है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जिला परिषद खीरी द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, एल0 टी0 व सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की कुल संख्या निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| प्रधानाचार्य . .. .. .. | 8 |
| एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापक .. .. .. | 32 |
| सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक.. .. .. | 64 |
| कुल योग .. | 104 |

अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के अध्यापकों की संख्या वर्गश: इस प्रकार है :

| | अनुसूचित जाति | पिछड़ी जाति |
|---|---|---|
| समूह "ख" | | |
| प्रधानाचार्य शून्य .. .. .. | | 2 |
| समूह "ग" | | |
| एल0 टी0 ग्रेड अध्यापक .. .. | 2 | 4 |
| सी0टी0 ग्रेड अध्यापक .. .. | 5 | 13 |
| योग .. | 7 | 19 |

आरक्षण का कोटा पूर्ण करने के लिये परिषद् ने इस वर्ष 2 अनुसूचित जाति तथा 3 पिछड़ी जाति के अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं।

**धनरौल जलाशय, जिला मिर्जापुर के मछली के ठेकेदार की जमानत की धनराशि**

25—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कोटा पूरा करने हेतु बी0 क्लास मछली के वजन का समावेश भी किया जाता है? क्या पशुधन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974—75 में धनरौल जलाशय, मिर्जापुर से मछली निकालने वाले ठेकेदार की जमानत पूरी वापस की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

†छापी नहीं गई।

श्री लक्ष्मण सिंह—

कोटा पूरा करने की गणना करते समय 'बी' क्लास मछली का समावेश नहीं किया जाता है। वर्ष 1974–75 में घनरौल जलाशय मिर्जापुर के ठेकेदार की पूरी जमानत वापस नहीं की गई थी क्योंकि उनके वार्षिक कोटे में 33–54–400 कुन्तल मछली की कमी थी जिसका मूल्य रुपये 6,585.69 पैसे होता है। अत: ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत रुपये 9,700 में से उक्त हानि की धनराशि काट कर उनको केवल रुपये 3,114.31 पैसे की शेष जमानत की धनराशि वापस की गई थी।

**मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकीय वाहन से की गयी यात्रा**

26—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग के पी0 सी0 एस0 अधिकारियों द्वारा पिछले 2 वर्षों में जो राजकीय यात्रायें की गयी हैं उनमें कितने किलोमीटर राजकीय वाहन द्वारा, कितने कि 0 मी0 अन्य साधनों द्वारा की गयी है? क्या शासन इस बात पर बराबर जोर देता रहा है कि अधिकारियों द्वारा राजकीय वाहन का कम से कम उपयोग किया जाय? यदि हां, तो शासनादेशों के उल्लंघन के कौन-कौन अधिकारी दोषी है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मत्स्य विभाग के पी0 सी0 एस0 अधिकारी, द्वारा राजकीय हित में पिछले दो वर्षों में राजकीय वाहन से कुल 17,991 किलोमीटर की यात्रा की गयी है। अन्य साधनों से 2089 किलोमीटर यात्रा की गई है।

इस संबंध में जारी किये गये शासनादेशों का उल्लंघन किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

27—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 2 वर्षों में मत्स्य विभाग के किन-किन प्रथम श्रेणी अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहन का निजी प्रयोग किया गया है? क्या एक माह में गाड़ी के निजी प्रयोग की शासन द्वारा कुछ सीमा निर्धारित है? विभिन्न अधिकारियों द्वारा अलग-अलग एक माह में अधिकतम कितने कि0 मी0 यात्रा की गयी? क्या इन अधिकारियों द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया? 15 अक्तूबर, 1979 तक निजी वाहन व्यय का कुल कितना बकाया है? इसकी वसूली अब तक क्यों नहीं की गयी है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

पिछले दो वर्षों में जनवरी से दिसम्बर, 1978 एवं 1979 के दौरान केवल एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी ने सरकारी वाहन का निजी प्रयोग किया है।

जी हां, शासनादेश संख्या 3253-टी/तीस-4-4 जे0बी0/77 दिनांक 30 जून, 1979 द्वारा एक माह में 250 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है।

उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 23 व 24-4-79 दो एक माह की अवधि में कुल 279 किलोमीटर की निजी यात्रा की गयी जिसका भुगतान हो चुका है।

15 अक्तूबर, 1979 तक निजी वाहन व्यय का कुछ भी बकाया नहीं है। अत: इसकी वसूली का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

## परिवहन सलाहकार समिति, बदायूं की बैठक

28--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में परिवहन सलाहकार समिति की बैठक किन-किन तिथियों में सम्पन्न हुई हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं क्या बदायूं जनपद के समस्त विधायकों ने समिति की बैठक बुलाने के लिये पत्र लिखा था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

बदायूं जनपद में परिवहन सलाहकार समिति की अभी तक कोई बैठक सम्पन्न नहीं की जा सकी है। प्रत्येक जनपद के लिये शासन द्वारा दो समितियां गठित की गयी हैं। एक सलाहकार समिति में जनपद के समस्त संसद सदस्य, समस्त विधायक, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सदस्य के रूप में रखे गये हैं। दूसरी परिवहन सलाहकार समिति में अध्यक्ष के रूप में जनपद के जिलाधिकारी तथा सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा कुछ अन्य विभागों के अधिकारी तथा 6 अशासकीय सदस्य रखे गये हैं। पहली सलाहकार समिति का मुख्य कार्य परिवहन सम्बन्धी मामलों में सलाह देने का है तथा दूसरी सलाहकार समिति का सड़क यातायात की समस्याओं पर विचार करके शासन को सलाह देने तथा आपरेटरों की न्यायोचित शिकायतों का सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित करके निराकरण करवाना है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली को यह भ्रम रहा कि दूसरी सलाहकार समिति गठित होने पर पहली सलाहकार समिति समाप्त हो गयी। अतः वे उसकी बैठक नहीं बुला सके। बाद में मध्यावधि लोक सभा निर्वाचन के कारण भी बैठक नहीं बुलाई जा सकी। अब उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह दोनों समितियां अलग-अलग हैं। अतः उन्होंने माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों वाली सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9-2-80 को बुलाई है।

बदायूं जनपद की सलाहकार समिति की बैठक बुलाने के लिये माननीय सदस्य श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य ने शासन को दिनांक 4-9-79 को लिखा था परन्तु उक्त भ्रमवश बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

29--श्री कृष्णस्वरूप --

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## कृषि विभाग में सहायक लेखाकारों के रिक्त पद

30--डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस समय उनके विभाग में सहायक लेखाकार के कितने पद रिक्त हैं तथा उन पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का प्राविधान है ? यदि हां, तो परीक्षा कितने वर्षों से आयोजित नहीं की गई तथा कब तक आयोजित होगी ? परीक्षा आयोजित न होने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्तमान समय में कृषि विभाग में सहायक लेखाकार के लगभग 150 पद रिक्त हैं। इन पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा का प्राविधान है। परीक्षा 1973 से आयोजित नहीं हुई है। वर्ष 1973 के बाद पहले नई नियुक्तियों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने और बाद में परीक्षा सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। नीति निर्धारित हो जाने पर उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**मत्स्य विभाग के तालाबों की सफाई एवं मत्स्य बीज का वितरण एवं मत्स्य बीज के उत्पादन का कार्यक्रम**

31—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में कितने तालाबों में विभाग द्वारा हावड़ा से प्राप्त जीरा वितरित किया गया है और इनमें से कितने तालाबों की वितरण से पहले विभाग द्वारा सफाई कराई गई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्रदेश में पिछले दो वर्षों (1977–78 एवं 1978–79) में क्रमशः 46 एवं 978 तालाबों में हावड़ा से प्राप्त जीरा विभाग द्वारा वितरित किया गया है। वितरण से पहले मत्स्य पालकों द्वारा स्वयं अपने तालाबों की सफाई की गई है। विभाग द्वारा सफाई के निर्देश एवं तकनीकी मार्गदर्शन करा दिया जाता है। वर्ष 1978–79 एवं 1979–80 में मत्स्य पालक विकास अभिकरण मेरठ के सहयोग से मेरठ जनपद में क्रमशः 6 एवं 12 तालाबों की सफाई करायी गयी है।

32—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या सरकार बतायेगी कि निजी मत्स्य पालकों को हावड़ा सीड वितरित करने से पहले क्या किसी प्रदर्शन तालाब में मत्स्य उत्पादन संबंधी परिणाम जानने का प्रयोग किया गया ? यदि हां, तो वह प्रयोग कहां किया गया और क्या परिणाम रहे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

हावड़ा सीड से किसी प्रदर्शन तालाब में मत्स्य उत्पादन का प्रयोग नहीं किया गया। प्रदर्शन तालाब में मत्स्य उत्पादन संबंधी कार्यक्रम विभाग द्वारा नहीं किया जाता। हावड़ा से प्राप्त मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों के तालाबों में सीधे संचित कराया जाता है ताकि अंगुलिकाओं की मृत्यु की सम्भावना न रहे। संचय के पश्चात् मत्स्य पालकों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर संचित अंगुलिकाओं की वृद्धि की जांच की जाती है।

मेरठ जनपद में हावड़ा से प्राप्त मत्स्य बीज का तालाबों में संचय करके उत्पादन का अध्ययन किया गया एवं देखा गया कि 11 माहों में ही संचित अंगुलिकाओं की औसत वृद्धि बिना कृत्रिम आहार दिये हुए 800 ग्राम हो गयी जो कि बहुत अच्छे परिणाम का सूचक है। इसी प्रकार के अध्ययन बरेली मण्डल एवं इलाहाबाद जनपद में भी किये गये जिनके परिणाम संतोष-जनक हैं।

**श्री एस० एन० शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, लखनऊ के खिलाफ शिकायती-पत्र**

33—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० एन० शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य, लखनऊ के खिलाफ वर्ष 1978 एवं वर्ष 1979 में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां। अधिकांश शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। कुछ पर जांच अभी जारी है।

**सिरसी जलाशय, मिर्जापुर से निकाली गयी मछलियों का वजन**

34—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 में सिरसी जलाशय, मिर्जापुर में "बी" श्रेणी की मछली किस वजन तक निकालने की अनुमति मांगी गई थी तथा वर्ष 1974-75 में सिरसी जलाशय, मिर्जापुर से "बी" श्रेणी के 500 ग्राम से कम वजन की कितनी मछली निकाली गई और उनका वजन क्या था और सिरसी जलाशय, मिर्जापुर से वर्ष 1974-75 में "बी" श्रेणी की मछली 500 ग्राम से कम वजन की निकालने की वैधानिकता का तकनीकी दृष्टि से क्या औचित्य था ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वर्ष 1974-75 में सिरसी जलाशय मिर्जापुर से "बी" श्रेणी की 'नैन' 500 ग्राम तथा उसके ऊपर के वजन की, एवं रोहू एक किलोग्राम तक के वजन की, निकालने की अनुमति सहायक निदेशक, मत्स्य, मिर्जापुर द्वारा मांगी गई थी। 500 ग्राम से कम वजन की 231 मछलियां, जिनका वजन 78 किलो ग्राम था, निकाली गयी थी। सिरसी जलाशय एक ऐसा जलाशय है जिसमें मछलियों की बाढ़ अत्यधिक कम है। चूंकि इस जलाशय में रोहू, नैन की बहुतायत है और जब तक उनकी संख्या घटाई न जाय तब तक मछलियों के बढ़ने की सम्भावना नहीं होती। अतः तकनीकी दृष्टि से छोटी मछलियों को इस जलाशय से निकालना उचित था।

**श्री अजब सिंह, ग्राम जौली जिला मथुरा को गेहूं क्रय केन्द्र बासमऊ द्वारा निर्गत फर्जी चेक**

35—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला सहकारी बैंक द्वारा दिनांक 28-5-79 चेक संख्या 161839 श्री अजब सिंह पुत्र कुंवर पाल, नि० जौली, विकास खंड सादाबाद, जिला मथुरा के नाम 4360 रु० 50 पैसा गेहूं खरीद केन्द्र, बासमऊ द्वारा जारी किया गया और उस पर जिला सहकारी संघ, मथुरा के केन्द्र इंचार्ज बच्चू सिंह, मानसिंह मुनीम इस केन्द्र पर कार्यरत थे ? यदि हां, तो किसान को उसके गेहूं के मूल्य का धन का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? इस सन्दर्भ में किसान और प्रश्नकर्ता द्वारा जो शासन को शिकायत की गई उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत बैंक जिला सहकारी बैंक मथुरा द्वारा नहीं अपितु जिला सहकारी संघ मथुरा द्वारा संचालित गेहूं खरीद केन्द्र बांसमऊ से निर्गत किया गया था। उक्त गेहूं खरीद केन्द्र पर उस समय श्री बच्चू सिंह इन्चार्ज तथा श्री मानसिंह मुनीम कार्यरत थे। श्री अजब सिंह के नाम जारी उक्त चैक पर श्री बच्चू सिंह के हस्ताक्षर न मिलने के कारण बैंक द्वारा चैक का भुगतान नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र की जांच कराई गई। जांच आख्या के अनुसार श्री अजब सिंह को निर्गत चैक की धनराशि का गेहूं उक्त क्रय केन्द्र पर प्राप्त नहीं हुआ तथा फर्जी चैक निर्गत किया गया। जिला सहकारी संघ मथुरा के संचालक मण्डल ने इसकी जांच हेतु दिनांक 26-11-79 को एक उप-समिति का गठन किया है।

**श्री नरेन्द्र देव पचौरी, सहायक बोरिंग मैकेनिक, गंज डुंडवारा, जिला एटा का निलम्बन एवं जीवन निर्वाह भत्ता और उनकी पत्नी श्रीमती कान्ती देवी पचौरी का पत्र**

36—श्री नेतराम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री नरेन्द्र देव पचौरी, सहायक बोरिंग मैकनिक, गंज डुंडवारा, जिला एटा कब से निलम्बित हैं और इनका कितना जीवन निर्वाह भत्ता बंध है और अब तक भुगतान न करने का क्या कारण है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

37—श्री नेतराम सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री जी को ज्ञात है कि माह दिसम्बर, सन् 1978 में श्री नरेन्द्र देव पचौरी की धर्मपत्नी श्रीमती कान्ती देवी पचौरी का कोई पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित मंत्री जी को मिला था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या पचौरी को बहाल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, फैजाबाद में कर्मचारियों की नियुक्ति**

38—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1977 से जनवरी, 1979 तक कुल कितनी नियुक्तियां प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, शाखा फैजाबाद में की गयी और जो नियुक्ति की गयी हैं उनमें से बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर के कितने लोग हैं और कितने अन्य जिले के हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन शाखा फैजाबाद में जुलाई, 1977 से जनवरी, 1979 तक कुल 32 नियुक्तियों की गयीं, जिनमे से बस्ती के एक, फैजाबाद के दस, गोण्डा तथा बाराबंकी का कोई नहीं, सुल्तानपुर के एक तथा शेष व्यक्तियों की नियुक्तियां अन्य जिलों से की गयी हैं।

**फर्रुखाबाद जिले के ग्राम दर्राशाही नगर के निवासियों का केन्द्र चडुइया के विरुद्ध खाद संबंधी शिकायती पत्र**

39—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम बासी, ग्राम दर्रा शाही नगर परगना कशमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद की यह शिकायत दिनांक 26-10-79 को भेजी हुई मिली है कि उन्होंने केन्द्र चडुइया से कोई खाद नहीं ली और उनसे अनुचित रूप से धन वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें जांच किसके द्वारा करवाई गई और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**परिवहन निगम के कर्मचारियों के रिट के निर्णय पर की जा रही कार्यवाही**

40—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिसलीनियस रिट नं0 8193 वर्ष 1978 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जुलाई तथा 9 अक्तूबर, 1979 को दिये गये निर्णय के अनुसार परिवहन निगम के उन कर्मचारियों को बहाल किया गया जो कि यू0पी गवर्नमेंट रोडवेज के कर्मचारी थे तथा एक जून, 1972 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा निकाले गये थे ? अब तक फैसले के मुताबिक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

रिट संख्या 8193 वर्ष 1978 तथा सिविल मिसलीनियस रिट संख्या 1511 वर्ष 77/3971 वर्ष 1978 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय क्रमशः दिनांक 12-7-79

तथा 9–10–79 पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है।

41—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

**मत्स्य विभाग के मत्स्य निरीक्षक का प्रत्यावर्तन के विरुद्ध प्रत्यावेदन**

42—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को दिनांक 7–10–78 से मत्स्य निरीक्षक के पद से मत्स्य विकास कार्यकर्ता के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा चुका है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां, केवल एक मत्स्य निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया गया।

43—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या इन पदाधिकारियों के प्रत्यावर्तन, बकाया तथा प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टियों के खिलाफ प्रत्यावेदन दिनांक 13–8–79 एवं संघ की मांग दिनांक 21–10–79 विभाग तथा शासन को प्राप्त हुए है? यदि हां, तो उन पर विभाग तथा शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां। प्रत्यावेदन शासन के विचाराधीन है। मांग औचित्य पूर्ण नहीं पायी गयी।

**मत्स्य विभाग, लखनऊ मण्डल के कर्मचारियों का स्थानान्तरण**

44—श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कमिश्नरी में मत्स्य विभाग में मत्स्य विकास कार्यकर्ता, मत्स्य निरीक्षक तथा ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के स्थानान्तरण 15–6–77 से 10–8–79 तक कितने बार किये गये हैं ? क्या उक्त स्थानान्तरण शासनादेश 19/13/1977 कार्मिक अनुभाग—1 उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 का उल्लंघन है ? यदि हां, तो इस प्रकार शासनादेश संख्या 19/13/1977–कार्मिक–1, दिनांक 7–7–77 का उल्लंघन करने के कारण मत्स्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

लखनऊ मण्डल के दिनांक 15–6–77 से 10–8–79 तक ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य विकास कार्यकर्ता के क्रमशः 5, 12 व 18 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। उनमें से केवल एक मत्स्य निरीक्षक का स्थानान्तरण दो बार एवं 2 मत्स्य विकास कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण दो बार किये गये थे किन्तु उक्त तबादले प्रशासनिक आधार पर आवश्यक होने के कारण किये गये थे।

**कटेहरी ब्लाक, जिला फैजाबाद के ग्राम सेवकों को विकास कार्य हेतु दी गयी धनराशि**

45—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में अक्तूबर, 1979 तक 31 हजार रुपये की धनराशि ग्राम सेवकों पर बकाया और 8 हजार रुपये क्षेत्र समिति में जमा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त 31 हजार रुपये की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और बी0डी0ओ0, कटेहरी के लिखने के बावजूद परगनाधिकारी अकबरपुर पंचायत उद्योग के लिये धन नहीं दे रहे हैं जिससे सारा कार्य रुका है ? यदि हां, तो इन सारी बातों के लिये कौन दोषी है और इस मामले में सरकार क्या कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कटेहरी ब्लाक की क्षेत्र निधि से ग्राम सेवकों को पुलियों, खड़न्जा, स्कूल एवं नाली निर्माण हेतु 31,600 रुपये की धनराशि अग्रिम के रूप में दी गयी थी। इसमें से 28,600 रुपये की धनराशि का उपयोग निर्माण कार्यों पर किया जा चुका है जिसके व्यय संबंधी वाउचर्स विकास खंड कार्यालय में मौजूद हैं।

अवशेष धनराशि 3,000 रु0 की वसूली श्री रण विजय सिंह ग्राम सेवक से किये जाने हेतु विभागीय कार्यवाही की गयी है।

अक्टूबर, 1979 को क्षेत्र निधि में केवल 8,800 रुपये उपलब्ध थे जिसमें से जिलाधिकारी की स्वीकृति से 7,500 रु0 सूखाग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा के उद्देश्य से हैन्डपम्प निर्मित कराने के लिये दिया गया था। अतः धनाभाव के कारण पंचायत उद्योग अकबरपुर को अनुदान नहीं दिया जा सका।

अतः इसमें किसी को दोषी ठहराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**अकबरपुर–गौहनिया मार्ग पर पुलियों का निर्माण**

46—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद फैजाबाद अकबरपुर–गौहनियां मार्ग पर जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा कुल कितनी पुलियों का कब तक निर्माण किया जाना था और उसमें से आज तक कितना काम हुआ है और शेष काम न होने के लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर, गौहनिया मार्ग पर जिला परिषद् द्वारा 6 पुलियों का निर्माण प्रस्तावित था। इनमें से चार पुलियों के निर्माण का ठेका हुआ था। एक पुलिया का 31 अक्टूबर, 1978 तक तथा तीन का 31 दिसम्बर, 1978 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाना था परन्तु सामान की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया।

अब प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, अतः जिला परिषद् द्वारा पुलियों का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है। इस मामले में किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

**फैजाबाद, बस स्टेशन पर पकड़ा गया पाकेट मार**

47—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद रोडवेज बस स्टेशन पर गिरहकटी की घटनायें व्यापक पैमाने पर हो रही हैं ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 19–10–79 को जब एक पाकेट मार बस स्टेशन पर रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस रोडवेज के ड्राइवर श्री आर0 के0 गुप्ता और वर्कशाप के फोरमैन श्री सेठ ने भगा दिया ? यदि हां, तो बस स्टेशन पर पाकेटमारों से यात्रियों की सुरक्षा हेतु तथा पाकेटमारों को संरक्षण देने वाले रोडवेज कर्मचारियों को दंडित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं।

तारीख 19-10-1979 को एक पाकेटमार उक्त बस स्टेशन पर पकड़ा गया था जो पुलिस के आने के पूर्व ही भागने में सफल हो गया। निगम के किसी कर्मचारी पर इस पाकेट मार को भागने में सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस स्टेशन पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है।

**पहितीपुर-मंशापुर मार्ग जिला फैजाबाद पर पुलिया निर्माण की मांग**

48--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में काम के बदले अन्न योजना के अन्तर्गत निर्मित पहितीपुर-मंशापुर मार्ग पर पुलिया बनाने के लिये इस वर्ष 65 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक पुलिया बनाने का कार्य आरम्भ न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा उक्त मार्ग पर स्वीकृत पुलियों के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जने की संभावना है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित पहितीपुर-मंशापुर मार्ग पर पुलिया बनाने का कार्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सड़क निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश देने के कारण तुरन्त रोक दिया गया। कार्य रोकने हेतु कुछ ग्रमीणों ने उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में याचिका संख्या-81/1979 दायर कर दी थी। याचिका के निर्णय के बाद ही पुलिया निर्माण का कार्य संभव हो सकेगा। अतः किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

49--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[4थे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

50--श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार--

[3रे-शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

**बटलर पैलेस तालाब, लखनऊ में मछलियों के उत्पादन पर व्यय की गयी धनराशि**

51--श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बटलर पैलेस तालाब, लखनऊ पर पिछले 2 वर्षों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दौरे, वेतन सुधार, सफाई वाहन एवं खाद आदि पर कुल कितना धन व्यय हुआ है? कब-कब और कितनी-कितनी अंगुलिकाओं का संचय किया गया है ? इस समय तालाब में कुल कितनी मछलियां हैं और उनका औसत वजन कितना है। अब तक संचित अंगुलिकाओं से कुल कितना मत्स्य उत्पादन हुआ है और उसके विक्रय से कितनी आय हुई है ? क्या इस तालाब की तली में कीचड़ है ? यदि हां, तो कीचड़ निकलवाने हेतु आंकलन बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

पिछले दो वर्षों में कुल रुपये 7, 732, 72 व्यय हुआ।

बटलर पैलेस तालाब में संचित अंगुलिकाओं की संख्या 24006 है । संचय से संबंधित विवरण निम्नांकित है ।

| संचय तिथि | संचित अंगुलिकाओं की संख्या |
|---|---|
| 12-10-78 .. .. .. | 53 |
| 12-11-78 .. .. .. | 325 |
| 11-12-78 .. .. .. | 7800 |
| 27-4-79 .. .. .. | 5000 |
| 6-9-79 .. .. | 223 |
| 7-9-79 .. .. .. | 10000 |
| 12-10-79 .. .. .. | 605 |
| योग ... | 24006 |

इस समय तालाब में अनुमानतः 10,000 मछलियां है जिनमें से एक का औसत बजन लगभग 500 ग्राम आंका गया है । बटलर पैलेस तालाब से मत्स्योत्पादन वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ होगा परन्तु प्रयोगात्मक शिकार माही से अब तक 68.00 किग्रा0 मछली प्राप्त हुई जिसके विक्रय से 322.00 आय हुई ।

तालाब की तली में कीचड़ है । कीचड़ निकलवाने हेतु आंकलन नहीं प्राप्त हुआ है ।

**मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दौरा**

52---श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार---

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को तकनीकी दौरे न करने के लिए शासन द्वारा आदेश दिये गये हैं ? क्या उसके पश्चात् दिनांक 14-9-79 को भी किसी अधिकारी द्वारा शासन के उस आदेश का उल्लंघन कर तकनीकी दौरा किया गया है ? यदि हां, तो वह दौरा किस वाहन द्वारा किया गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मत्स्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तकनीकी दौरा न करने के लिए शासन द्वारा कोई आदेश नहीं दिए गए हैं । अतः आदेश के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

**मत्स्य प्रक्षेत्र, चिनहट, लखनऊ में मछलियों के उत्पादन पर व्यय की गयी धनराशि**

53---श्री रणवीर सिंह तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार ---

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 2 वर्षों में चिनहट मत्स्य प्रक्षेत्र, लखनऊ के निर्माण, मरम्मत, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन, यात्रा भत्ता, कन्टीन्जेन्सी वाहन, खाद आदि विभिन्न मदों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ? इस समय क्षेत्र में कुल कितनी मछलियां हैं और उनका औसत वजन क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

पिछले दो वर्षों में चिनहट मत्स्य प्रक्षेत्र के मरम्मत पर कोई धन व्यय नहीं किया गया । निर्माण, कन्टीजेन्सी, खाद, वेतन आदि पर कुल 2,37,140 रुपये व्यय किया गया है ।

प्रक्षेत्र पर मछलियों की कुल संख्या लगभग 3255 तथा औसत भार 902 ग्राम है ।

## पीलीभीत, पशुधन विकास सहायक का कार्य-काल

54—श्री करन सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में ऐसे कितने पशुधन विकास सहायक कार्यरत है जिनको 1-8-79 को 10 वर्ष से ऊपर लगातार एक ही जनपद में हो गये हैं ? इनको एक जगह इतने लम्बे अरसे तक लगातार रखने के क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

तीन ।

पशुधन विकास सहायक के एक ही जनपद में लगातार पदस्थ रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

55—श्री श्रीनारायण—

[ 6 ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## देवरिया जिले के देवरिया-बनटिकरा-लक्ष्मीगंज-रामकोला-कसया मार्ग पर रोडवेज बस के परिचालन की मांग

56—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सा0नि0वि0 की सड़क देवरिया वाया टिकराहाटा-कप्तानगंज तथा कप्तानगंज-लक्ष्मीगंज-रामकोला-टकुआटार-कसया मार्ग प्राइवेट बसे प्रति घंटे आधे घंटे पर आती जाती रहती हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों पर रोडवेज की बसें किन कारणों से नहीं चलाई जा रही हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां ।

देवरिया बनटिकरा तथा कप्तानगंज-लक्ष्मीगंज-रामकोला तक का भाग राष्ट्रीयकृत है जिस पर रोडवेज बसें चल रही है । शेषभाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण उन पर रोडवेज बस चलाया जाना सम्भव नहीं है ।

## परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र में परिचालकों की परीक्षा एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी

57—श्री श्रीनारायण—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि दिसम्बर, 76 से रोडवेज में परिचालकों के पद हेतु कोई परीक्षा हुई थी और उसकी वरिष्ठता सूची बनाई गई थी जिसके आधार पर विभाग में दिसम्बर, 78 तक नियुक्तियां हुई हैं ? जिसमें क्रमांक 925 तथा 1132 को प्रशिक्षण हेतु आदेश दे दिय गये हैं ? यदि हां, तो उक्त सूची में कुल कितने लोगों क नाम थे । और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नियुक्त किये गये तथा क्रमांक 891 को किन

कारणों से प्रशिक्षण हेतु नहीं बुलाया गया है ? क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वरिष्ठता की सूची में कुल कितने नाम थे उनमें से कितनों की नियुक्ति की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हां 157 ।

वर्ष 1976 के दिसम्बर माह में लखनऊ क्षेत्र में सम्पन्न परीक्षा के आधार पर चयन सूची बनायी गयी, जो 23-2-79 तक वैध रही ।

उपर्युक्त सूची में रोल नम्बर 925 और 1132 के प्रशिक्षण के आदेश दिये गये थे । 1093 व्यक्तियों की चयन सूची में 56 व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे । अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में से 12 को नियमित नियुक्तियां और 35 को अल्पकालिक रिक्ति में नियुक्तां दी गयी । रोल नम्बर 891 के अभ्यर्थी को चयन सूची की वैधता समाप्त हो जाने के कारण प्रशिक्षण के लिये नहीं बुलाया जा सका ।

कुल 1093 अभ्यर्थियों में से 706 अभ्यर्थियों को नियमित तथा अल्पकालिक पदों पर नियुक्तियां की गयी ।

**परिवहन निगम, उन्नाव के श्री केशव देव तिवारी, कोषाध्यक्ष की प्रतिकूल प्रविष्टि**

58---श्री गिरीशचन्द्र तिवारी---

क्या परिवहनमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें 30 अगस्त, 1979 को केशव देव तिवारी, सहायक कोषाध्यक्ष, उन्नाव के प्रतिवेदन के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 की प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना स्टेशन इन्चार्ज द्वारा 5 वर्ष बाद 2-8-79 को दी गई ? यदि हां, तो अभी तक उनके प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हां । श्री तिवारी का प्रतिकूल प्रविष्टि का आवेदन-पत्र निगम के स्तर पर विचाराधीन है ।

59---श्री बाबू लाल वर्मा---

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

**सीतापुर जिले की न्याय पंचायत, पगरोई के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण**

60---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सामूदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला के विकास खण्ड परसेंडी की न्याय पंचायत पगरोई के अन्तर्गत बनने वाले सम्पर्क मार्ग (1) गोरिया-फरिकपुर घाट, (2) बड़ागांव-पगरोई, (3) फरेखापुर-नब्बा महमूदपुर, (4) गौसापुर कब स्वीकृत किये गये तथा उनका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ ? इतने दिन बाद काम प्रारम्भ करने के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

जनपद सीतापुर के विकास खंड परसेंडी की न्याय पंचायत पगरोई के अन्तर्गत बनने वाले सम्पर्क मार्गों के संबंध में वांछित विवरण निम्नकित है :---

| सम्पर्क मार्ग का नाम | | स्वीकृति की की तिथि | निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1---गोरिया फारिकपुर घाट | .. | 23-2-79 | 22-11-79 |
| 2---बड़ा गांव पगरोई | .. | 23-2-79 | 2-12-79 |
| 3---फरेखापुर नब्बा महमूदपुर | .. | 23-2-79 | 2-12-79 |
| 4---गौसापुर | .. | 23-2-79 | 28-11-79 |

प्रश्नगत मार्गों के विवादग्रस्त होने के कारण इनका निर्माण कार्य प्राम्भ करने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ। अतः विलम्ब के लिये किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

---

## पिथौरागढ़ में पकड़ी गयी कस्तूरी के गोलमाल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूं ।

रामदत्त जोशी (जिला-नैनीताल)---

मान्यवर, प्रदेश के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में लगभग 3 लाख रुपये अनुमानित मूल्य की "कस्तूरी" श्री मोती सिंह नामक व्यक्ति के पास से बरामद हुई, पकड़ी गयी। अभियुक्त के विरुद्ध मुंसिफ मैजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ की अदालत में मुकदमा चला । दौराने मुकदमा, अभियुक्त की मृत्यु हो गयी। अतएव मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। पिथौरागढ़ के एक धनी व्यक्ति श्री रतनसिंह ने उपरोक्त कस्तूरी को हथियाने के लिये प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट श्री एन0सी0 पांडेय, अभियोजन अधिकारी, श्री बी0 डी0 पाठक, इन्चार्ज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तथा प्रभारी अधिकारी श्री आर0 ए0 एन0 मिश्रा को पटा लिया और एक वकील की मार्फत मुंसिफ मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ की अदालत में इस आशय की दरख्वास्त दी कि "सरकार बनाम मोतीसिंह" नामक केस से संबंधित माल उसे दे दिया जाये, जिस पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने तत्काल आदेश कर दिया कि "यदि कोई आपत्ति न हो तो वापस कर दिया जाये"। आश्चर्य का विषय है कि अभियोजन अधिकारी से बिना कोई रिपोर्ट मांगे और बिना यह जाने कि उस माल का मालिक कौन है, उपरोक्त मजिस्ट्रेट ने सीधे आदेश क्यों कर दिया कि वह माल आवेदक को दे दिया जाय। अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त दरख्वास्त अपने सहायक अधिकारी के पास इस टिप्पणी के साथ भेजी कि वह उस पर अंकित मजिस्ट्रेट के आदेश के सन्दर्भ में अपनी आख्या शीघ्र दे। सहायक अभियोजन अधिकारी श्री राजवीरसिंह ने मजिस्ट्रेट के उपरोक्त असाधारण आदेश तथा अभियोजन अधिकारी की टिप्पणी में निहित संकेत के बावजूद अपनी रिपोर्ट में आवेदन के सन्दर्भ में स्पष्ट लिखा कि उपरोक्त माल के स्वामित्व का कोई सबूत मुकदमें की पत्रावली तथा अन्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जाहिर है कि यह माल आवेदक को वापस नहीं किया जा सकता था, आश्चर्य का विषय है कि सहायक अधिकारी की उपरोक्त रिपोर्ट के बावजूद अभियोजन अधिकारी श्री पाठक, मैजिस्ट्रेट श्री पांडेय, से उपरोक्त माल आवेदक रतनसिंह को दे दिये जाने के आदेश कराने में सफल हो गये। प्रभारी अधिकारी श्री आर0एन0 मिश्रा ने अपनी उपस्थिति में उपरोक्त माल को श्री रतनसिंह के हवाले करते हुए अपने हस्ताक्षरों सहित टिप्पणी लिखी कि" माल नं0 135/76 मुहरबन्द पोटली, जिसमें कस्तूरी होना कहा गया है, रतनसिंह धारचूला निवासी को वापस की गयी।

[श्री रामदत्त जोशी--]

मृतक अभियुक्त श्री मोतीसिंह के वारिस ने यह पता लगने पर कि कस्तूरी वापस दी जा रही है इसे विरासत में पाने के लिये अदालत में आवेदन पेश किया तो भ्रष्ट अफसरों की चौकड़ी में खलबली मच गयी। कस्तूरी जो सरकारी कब्जे से निकल चुकी थी; खुर्द-बुर्द कर दी गयी और उसके बदले उसी रंग का मिलता-जुलता नकली माल बनाकर पेश कर दिया गया और उसे रसायनिक परीक्षण करा कर, बड़ी आसानी से साबित कर दिया गया कि वह माल कस्तूरी नहीं है। साथ ही अफसरों के संगठित भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री राजवीर सिंह जिसने अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त माल को स्वामित्व विहीन बतला कर, उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार से असहयोग किया था और उसे नौकरी से पृथक करके, उसकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी कि उसने उपरोक्त माल के संबंध में तथ्यों को छिपाया था। इस प्रकार सी0जे0 एम0, मुन्सिफ, पब्लिक प्राजीक्यूटर तथा प्रभारी अधिकारी जैसे अफसरों की श्रंखला में सबसे नीचे श्रेणी के अधीनस्थ अधिकारी श्री राजवीर सिंह को, बड़े अफसरों के सामूहिक भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिये बलि का बकरा बनाया गया। जाहिर है कि भ्रष्ट तत्वों के भीषण बहुमत के चलते हुये, भ्रष्टाचार में बाधक बनना या उसका विरोध करना कितना जोखिम का काम है। माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त कस्तूरी कांड में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये तथा कर्त्तव्यनिष्ठ सहायक अधिकारी श्री राजवीरसिंह के साथ न्याय किया जाये।

**बांदा जनपद में केन नहर में कबौली ग्राम के पास बनी झाल को तोड़ दिये जाने से भूमि असिंचित रह जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कर रहा हूं। बांदा जनपद की केन नहर के अतर्रा ब्रांच के 5 वें मील, ग्राम कबौली के पास की झाल को पिछले सालों तोड़ दिये जाने से लगभग 10 गांवों के हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह गयी है और उसमें खरीफ की फसल अच्छी नहीं हो सकी और न ही रबी की फसल की सिंचाई होने की उम्मीद है। कबौली ग्राम की खरीफ की फसल पूरी सूख जाने से कबौली ग्राम का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अतः कृपया अविलम्ब केन नहर के अतर्रा ब्रांच के 5 वें मील, ग्राम कबौली के पास तोड़ी गयी झाल का निर्माण करवाया जाये, जिससे इस क्षेत्र की सिंचाई हो सके, साथ-साथ पूरी केन नहर के निकाले हुए कुलाबे अविलम्ब लगवाये जायें ताकि सिंचाई में असुविधा न हो, वरना फसल सूख जायगी।

**अलीगढ़ जिले में थाना अतरौली के कर्मचारियों द्वारा ग्राम नगला लोध में लूटपाट, पिटाई एवं बलात्कार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ की पुलिस और उच्चाधिकारियों की शह पर किये जा रहे अमानवीय दुराचारों, भक्षक बनकर जनता की अस्मत और सम्पत्ति की खुली लूट, डकैतों के साथ साठ-गांठ और इससे जनता में व्याप्त भीषण आतंक तथा असुरक्षा की ओर सदन और शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिनांक 24/25 जनवरी, 1980 की रात्रि को लगभग एक बजे डकैतों ने शस्त्रास्त्रों से लैस होकर नगला लोधा, थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ की भारी लूट-पाट की और लोगों को गम्भीर चोटें पहुंचाई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 27–1–80 को प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह जी और मैंने स्वयं स्थल का निरीक्षण करके तथ्यों की जानकारी की है। लोगों का खुला आरोप है कि इस डकैती में थाना अतरौली के सब-इन्सपेक्टर पुलिस श्री सी0 पी0 एस0 चौहान और कांस्टेबुल श्री विजय भी सम्मिलित थे। डकैती की वारदात में इन दोनों को चोटें भी आई हैं। गांव वालों ने इन दोनों को मौके पर पकड़ भी लिया।

25–1–80 को प्रातः सर्वश्री शिव शंकर, गोवर्धन सिंह, फकीर चन्द्र, राम स्वरूप और फतेहसिंह (निवासीगण-नगला लोधा) जब रिपोर्ट करने एस0 एस0 पी0, अलीग के यहां पहुंचे, तो रिपोर्ट लेने के बजाय उल्टे इन्हें गिरफ्तार करके अतरौली पुलिस को सौंप दिया। अतरौली की पुलिस ने बड़ी ही बर्बरतापूर्वक इनकी पिटाई की, हाथ-पैर तोड़ डाले, बेलन चढ़ाकर इन्हें जीवन भर के लिये अपंग बना दिया और चालान करके अलीगढ़ जेल भेज दिया, जहां वह जीवन और मौत के झूले में झूल रहे हैं। थाने में जब इन्होंने पीने के लिये पानी मांगा तो पेशाब पीने के लिये विवश किया गया।

दिनांक 25–1–80 को अतरौली की पुलिस भारी फोर्स के साथ नगला लोधा पहुंची और वहां जो बहिशयानेपन का नंगा नाच किया, उसमें इन्सानियत का सिर शर्म से झुक जाता है। जो भी मिला उसे निर्ममता पूर्वक पीटा गया। महिलाओं की सरे-आम बेइज्जती की गयी। जेवरात तथा कपड़े आदि पुलिस बंदूक की नोक पर लूट कर ट्रेन में भर कर ले गई। 15 लोगों की डाक्टरी मुआइना भी किया गया है, जिनमें 5 महिलाएं भी हैं। अनेक लोगों को पुलिस ने अनधिकृत रूप से हिरासत में रखा। अभी भी पुलिस गांव का घेरा डाले हुए हुए हैं। लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं। सारा गांव वीरान कर दिया गया है।

पुलिस ने नगला लोध को बरबाद करने लूट कराने, और हत्यायें कराने का खुला एलान भी कर दिया है। बन्दूकों के लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करके गांव को असुरक्षित तथा असहाय अवस्था में छोड़ने का षड़यन्त्र किया जा रहा है। इससे नगला लोध तथा पूरे क्षेत्र में असुरक्षा, आतंक, क्षोभ और आक्रोश व्याप्त है।

शांति तथा व्यवस्था को भारी संकट उत्पन्न हो गया है। डकैती में शामिल उक्त पुलिस जनों को बचाने के लिये, इस काण्ड को पुलिस के साथ मजामत का निराधार केस बनाने का षड़यन्त्र रचा जा रहा है। इस सारे काण्ड के तथा पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध क्षेत्र के लगभग 10 हजार नागरिकों ने 27–1–80 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया है। कल फिर लगभग 20 हजार लोगों न प्रदर्शन किया है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि:—

1—सारे काण्ड की न्यायिक जांच कराई जाय।

2—दोषी पुलिसजनों को तुरन्त स्थानान्तरित करके निलम्बित किया जाय और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

3—पुलिस जो सामान लूट कर ले गयी है, उसे ग्रामीणों को वापिस कराया जाय।

4—जेल में बन्द निर्दोष लोगों को तुरन्त रिहा किया जाय।

5—लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय।

6—गिरफ्तारियों का सिलसिला बन्द किया जाय।

[श्री कल्याण सिंह]

इस संबंध में, मैं शासन से सदन में वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

मान्यवर, यह देवरिया जिले के नरायनपुर जैसा काण्ड हुआ है। उसी प्रकार का यह दूसरा काण्ड हमारे जिला अलीगढ़ में नगला लोधा क्षेत्र में हुआ है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसके ऊपर सदन में वक्तव्य देने का कष्ट करें।

**लखीमपुर खीरी जिले में मोहम्मदी थाने के थानाध्यक्ष द्वारा मिडवाइफ 'शशिकला श्रीवास्तव' के साथ अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान लखीमपुर खीरी जिले के महेशपुर गांव जो थाना मोहम्मदी के अन्तर्गत आता है वहां पर 23 जनवरी को मिडवाइफ के साथ थानाध्यक्ष द्वारा किये गये आत्याचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मिडवाइफ चौबीस वर्षीया शशिकला श्रीवास्तव 12 बजे दिन में जब ग्राम बगचन मरीज देखने जा रही थी तब थानाध्यक्ष सादी वर्दी में अपने कुछ साथियों के साथ आये और उसे अपने साथ चलने को कहा। जब उसने जाने से मना किया तो उसकी डायरी और सामान छीन कर जबरदस्ती ले जाना चाहा। उसके शोर व प्रतिरोध पर सारा गांव व सत्यपाल तथा अन्य ग्रामीण आ गये। जिन ग्रामीणों ने बचाना चाहा, उनकी तथा शशिकला की लाठियों से पिटाई की। शशिकला को, दौरान पिटाई नंगा किया गया व उसके कपड़े फाड़े गये, थाना मोहम्मदी व हैदराबाद में उक्त मिडवाइफ की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। 25 जनवरी को थाना कोतवाली लखीमपुर में बर्जा मजबूरी रिपोर्ट लिखी गयी और सदर अस्पताल में डाक्टरी हुई। उक्त घटना से स्वास्थ्य विभाग में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है और मिडवाइफ एसोसियेशन हड़ताल करने को कटिबद्ध है। राजकीय महिला कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दोषी थानाध्यक्ष को तुरन्त निलंबित कर स्थानान्तरित किया जाये और सदन में वक्तव्य दिलवा कर स्थिति स्पष्ट की जाय।

**देवरया जिले के ग्राम खोटही टोला तथा सिरसिया बुजुर्ग और मठियारखुर्द में भीषण अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्रीनारायण (जिला देवरिया)

मान्यवर, देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम खोटही टोला, धोबीपुर मेहतर बस्ती तथा विकास खण्ड, नौरंगिया के ग्राम मठियाखुर्द तथा सिरिसिया बुजुर्ग-बेनीटोला मे भीषण अग्निकांड हो जाने से लोग इस कठोर जाड़े में भूखे-नंगे खुले आकाश के नीचे रहने के लिये विवश हो गये हैं। लोगों के घर में जो भी अन्न-वस्त्र था वह सभी जलकर राख हो गया है। लोग दान-दाने के लिए मुहताज हो गये हैं। लोग इस कठोर जाड़े में ठिठुर-ठिठुर कर संकट के दिन काट रहे हैं। खोटही के मेहतरों की दुर्दशा एवं करुण क्रंदन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुर्दिन में भी उनकी दुर्दशा देखने, न तो कोई अधिकारी ही गया है और नहीं उन्हें कुछ सहायता ही प्राप्त हुई है। सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता से लोगों में भीषण असन्तोष एवं रोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि इस भीषण अग्निकांड से पीड़ित लोगों की हर प्रकार से सहायता अविलम्ब दी जाय तथा उन्हें शीघ्र राहत दिया जाय। सके अलावा उन्हें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तकावी तथा कम सूद या ब्याज रहित सरकारी ऋण भी उपलब्ध कराया जाय ताकि उन्हे राहत मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रामदेव दूबे । मैं आपको बीच में टोक दूंगा क्योंकि 2 मिनट बाद अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जायेगा ।

(श्री राम देव सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री सुख पाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपकी सूचना स्वीकार नहीं किया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा ।

## नारायणपुर, देवरिया में घटी घटना के संबंध में डी० आई० जी०, गोरखपुर द्वारा दिये गये बयान पर औचित्य का प्रश्न

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, डी० आई० जी०, गोरखपुर और नारायण र में जो कुछ हुआ उस पर मुख्य मंत्री ने सदन में एक आश्वासन दिया और उसके बाद उस पर कुछ कार्यवाही भी हुई । 28-1-80 को मेरे कामरोको प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया । डी० आई० जी० गोरखपुर का ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर के साथ-साथ उन्होंने 31-1-80 को एक बयान दिया और कहा कि जो कुछ भी घटना है वह सत्य है, अमानवीय है । मान्यवर, जो घटना का स्थान दिया है जिस पर न्यायिक जांच होनी है उसको उन्होंने हाटा थाने की जगह पर कप्तान गंज कर दिया । डी० आई० जी० जान-बूझकर इस घटना पर पर्दा डालना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए ।

## 1979-80 का द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1979-80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी कापियां वितरित कर दी जायं ।

---

नोट--[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**नारायणपुर, देवरिया में घटी घटना के संबंध में डी0 आई0 जी0, गोरखपुर द्वारा दिये गये बयान पर औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)**

**(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)**

**श्री उपाध्यक्ष**—

माननीय पाण्डेय जी, आप इस तरह से सदन का समय नष्ट न किया कीजिए।

माननीय ओझा जी, जो औचित्य का प्रश्न आपने उठाया है वह बात आपकी पूरी हो गयी या नहीं? मैं समझता हूं कि पूरी हो गयी होगी।

**श्री शत्रु प्रकाश (जिला वाराणसी)**—

उसी से संबंधित मेरी बात भी सुन लीजिए।

**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

मान्यवर, डी0आई0जी0, गोरखपुर ने लगभग 10 पेज की एक रिपोर्ट शासन को भेजी है और डी0आई0जी0 ने एक बयान 31 तारीख को दिया। अपने उस बयान में उन्होंने सारी घटना ही बदल दी। हालांकि वह यह सब स्वीकार करते हैं कि अनाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन मान्यवर, इसमें घटना का स्थान बदल दिया गया है। कप्तानगंज थाना बताया गया है जबकि वस्तुतः यह सारी घटना हाटा थाने की है। इस प्रकार मान्यवर, डी0आई0जी0, गोरखपुर, श्री टिंगल ने जानबूझ कर माननीय सदन एवं माननीय मंत्री जी को गुमराह करने का प्रयत्न किया है ताकि इन्क्वायरी सही ढंग से न हो सके। न्यायिक जांच का सही रुख मोड़ने के लिए ही उन्होंने अपने गलत बयानों को अखबारों में भी प्रकाशित करा दिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप व्यवस्था दें कि उन दोषी अधिकारियों के प्रति शासन की तरफ से कौन सी कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में अविलम्ब न्यायिक जांच होगी।

**श्री उपाध्यक्ष**—

जब माननीय मंत्री जी का वक्तव्य इस संबंध में आता तब श्री ओझा इस पर अपनी आपत्ति उठा सकते थे। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**—

मान्यवर, देवरिया जिले के नरायणपुर का काण्ड इस समय काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

**श्री उपाध्यक्ष**—

आप इस संबंध में पुनः चर्चा न करें। आप उस अंश को कहें जो आपने लिखकर दिया है।

**नारायणपुर, देवरिया में घटी घटना के सन्दर्भ में प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नारायणपुर के प्रस्तावित दौरे के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, नारायणपुर काण्ड को तो मैं सिर्फ उदाहरण स्वरुप पेश करना चाहता था। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था। दिनांक 28 जनवरी, 80 को नेता सदन ने सदन में नारायनपुर काण्ड के संबंध में न्यायिक जांच की घोषणा की थी। 5 फरवरी को प्रधान मंत्री नारायणपुर जा रही हैं। मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र और परम्पराओं के आधार पर जब न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, निरीक्षण करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए.... (शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधान मंत्री को नारायणपुर नहीं जाना चाहिए। यह प्रदेश के प्रशासन में हस्तक्षेप माना जायेगा.....

(शोर)

और कानून व्यवस्था का प्रश्न राज्य सरकार का है केन्द्र का नहीं। राज्य सरकार जब कानून व्यवस्था बनाने तथा जांच करवाने की घोषणा कर चुकी हो, उस समय प्रधान मंत्री का वहां जाना प्रदेश सरकार पर हस्तक्षेप है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इस संबंध में एक कड़ा पत्र लिखे कि जब न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई तो प्रधान मंत्री को नरायणपुर नहीं जाना चाहिए।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न उठाया है मैं इसे स्वीकार नही करता हूं। देश के प्रधान मंत्री कहीं भी किसी भी मामले को देखने के लिए जा सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करता।

(शोर)

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इसी घटन के संबंध में.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री अरुण कुमार—

मेरा प्रश्न यह है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में अपने नियम 301 में दिया था, उसको मैं अस्वीकार कर चुका हूं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न 2 उठाये गये। पहला 28 जनवरी, 1980 को...

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा केवल इतना कहना है कि मुख्य मंत्री प्रदेश के प्रधान मंत्री के दौरे के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रेस में आपत्ति करें और यह आरोप लगाये कि ला-एण्ड-आर्डर प्रभावित होगा ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अलग से लिखकर दे दें दूसरे दिन।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो निर्णय दिया है वह सही है कि देश की प्रधान मंत्री को इस देश में कहीं भी जाने का अधिकार है और सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है वहीं पर मुख्य मंत्री को अधिकार है कि अपने प्रशासन में कोई दखलन्दाजी करें तो

[श्री मैनेजर सिंह]

उस पर आपत्ति करने का। जो आपने निर्णय दिया है उसमें केवल यह जोड़ना चाहता हूं कि नारायणपुर की घटना की जांच करें, वहीं प्रधान मंत्री सुल्तानपुर में जो कुकृत्य हुआ उसकी भी जांच करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच की बात है। इसको मैं उठाने की इजाजत नहीं देता।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न इसलिए उठाया गया है कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है तो.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

(शोर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कोई व्यवस्था का प्रश्न हम लोगों ने नहीं उठाया है। यह प्रश्न शतरुद्र प्रकाश ने राम आसरे वर्मा और हम लोगों ने लिखित रूप से दिया था। प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री निश्चित रूप से जो करना चाहें, कर सकते हैं। इस मामले में आदेश नहीं दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या उचित है और क्या अनुचित।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे समाप्त कर चुका हूं। आपने फिर उसे ही प्रारम्भ कर दिया।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ आप लोग नियमों का भी ध्यान रखें। जब मैं खड़ा हूं, तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। (शोर)

सदन की कार्यवाही आप लोग चलने दें। सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

**विगत सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण†**

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण (चतुर्थ संस्करण) के कारण 9-ङ (3) के अनुसार विधान सभा के विगत सत्र 1979 (28 अगस्त, 1979 से 4 सितम्बर, 1979) में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान)

---

†छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें। वरना मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह बड़ी भद्दी बात है। कृपया बैठें।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर)

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। जो 6-7 माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

**उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1978-79) का पंचम प्रतिवेदन †**

*श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--

मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1978-79) का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसका संबंध छठी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) के पर्यटन विभाग से संबंधित पंचम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से है।

मूल प्रतिवेदन में की गयी समिति की संतुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना नवम्बर, 1978 में प्राप्त हुई और प्राक्कलन समिति 1978-79 ने अपनी 16 जनवरी, 1979 की बैठक में उस पर विचार किया तथा प्राक्कलन समिति 1979-80 ने अपनी 20 सितम्बर, 1979 की बैठक में प्रारुप प्रतिवेदन पर विचार करते हुए संस्तुति संख्या 19(42-19-ख) तथा 20 (42-20) पर शासन से प्राप्त उत्तरों को अपर्याप्त मानते हुए दिनांक 9 अक्तूबर, 1979 को समिति के समक्ष विभागीय सचिव को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु बुलाया और उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने पर उत्तरों को स्वीकार किया तथा दिनांक 24 अक्तूबर, 1979 की बैठक में प्रारुप प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

एक सदस्य--

कृपया मेरी बात सुन लें।

(बार-बार बोलते रहने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप चाहते हैं कि आप को मैं इंगित करूं और सदन के बाहर निकालने के आदेश दूं।

(शोर)

**विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह इसका अन्तिम सप्ताह है और आज हम लोग यहां बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इस संबंध में कार्यक्रम कुछ निश्चित किया जायेगा। तो मैं चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में कोई कार्यक्रम तय हुआ है अगर कुछ प्रगति हुई हो तो वह सदन को मालूम हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

आज प्रातः काल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री गुलाब सेहरा ने इस बात को उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि.....

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, शासन पक्ष को इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। अभी तक घोषणा न किये जाने का कारण क्या है? सारे सदन के सदस्य उस को जानना चाहते हैं। अध्यक्ष के चुनाव को टालने का जो सिलसिला शुरू हो गया है वह पूरे सदन की बात है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि विरोधी पक्ष के जितने माननीय नेता हैं, उन्हें बुला कर सब की सहमति से कोई हल निकाला जायेगा। हम जानना चाहेंगे कि विरोधीपक्ष के नेताओं से कोई विचार विमर्श किया है या नहीं और यदि किया है तो सदन को बता दें कि क्या हुआ है?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, यह जो मसला अध्यक्ष के चुनाव का आपके सामने है, माननीय रियासत जी ने जिसको उठाया, इसके बारे में कोई राय मशविरा सरकार की तरफ से और विरोधी दलों की तरफ से अभी तक हुआ नहीं। कोई सूचना नहीं मिली। यही मैं जानना चाहता हूं कि जो इस तरह का आश्वासन है, सत्र के कार्यक्रम के बारे में जो आपने कार्यक्रम घोषित किया वह आज तक है।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है वह 6 फरवरी, 1980 तक है।

श्री ऊदल---

परसों तक तो असम्भव मालूम हो रहा है। कब बातचीत होगी, कब इसके लिए निश्चय करेंगे, कौन-सी तारीख को करेंगे, दिघे जी को आपन बुलाया है, हम को बताएं।

श्री राम आसरे वर्मा---

ऐसा तो नहीं है कि शासन नयी विधान सभा का इंतजार कर रा है?

श्री मैनेजर सिं (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मसला काफी अरसे से लटकता आ रहा है। मुझे अफसोस है कि आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में गाड़ी विलम्ब से आने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। पहले भी इस प्रकार का विचार था कि चुनाव करा दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इस सत्र के अन्दर ही यह चुनाव सम्पन्न कराया जाय। विरोधी दल के नेताओं से इस बात पर विचार करना है, उम्मीदवारी के बारे में, लेकिन तिथि निश्चित करवानेका उपाय इस सरकार को करना चाहिए। इस सत्र म चुनाव टाला न जाय। विधान सभा क माननीय सदस्य विधान सभा के भंग होने की चर्चा करते हैं, अल्पमत और बहुमत की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि एक ही मुद्दा ऐसा है कि केन्द्रीय सरकार को इस विधान सभा को भंग कर देने का औचित्य है। वह यह कि विधान सभा इतनी सक्षम नहीं है कि अपने अध्यक्ष का निर्वाचन कर ले। यह इस बात का द्योतक है कि इस विधान सभा को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको भंग हो जाना चाहिए। यदि कांग्रेस (आई) के लोग इस सवाल को ले कर भंग करवा दें तो जनता इसका समर्थन करेगी। आप इस विधान सभा को भंग करवाइये, यह अक्षम है अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। मैं कहना चाहता हूं कि आज ही तिथि के लिए पहल करें।

* श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मुझे एक विशेष बात यह कहनी है कि आपको याद है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 16 जनवरी को हुई। 16 जनवरी को यह बात उठायी गयी कि इस सत्र में स्पीकर का चुनाव हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि मैं सब से बुला कर बात कर लूंगा। फिर 27 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति में उठाया गया। बार-बार आश्वासन दिया गया, इस सत्र में अवश्य स्पीकर का चुनाव हो जाय। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार इस सदन को दो दिन कार्य करना है। जब सब ने कहा, तो इस बात में सब सहमत है कि चुनाव हो जाना चाहिए। तो कहां व्यवधान है? अगर व्यवधान है, तो प्रयास किया जा सकता है कि सर्वसम्मति से चुनाव हो। सब लोगों से बात करने के बाद मान लीजिए वह बात तय नहीं हो पाती है, शासन की जो इच्छा है वह भी पता लग जायगी, सर्वसम्मति का प्रयास करने के बावजूद अगर सर्वसम्मति नहीं होती है, एक पक्ष किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहा है, तो उस बात को छोड़ते हुए चुनाव की तिथि और घोषित कर दें। वह सर्वसम्मति से चुनाव चाहते हैं तो साथ देंगे। अन्यथा बात स्पष्ट हो जायेगी सदन में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कल की तिथि इस चुनाव की रख ली जाय।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप की आज्ञा से एक स्पष्टीकरण शासन से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये। (शोर)

श्री दीप नारायन--

मान्यवर मैं यह कह रहा हूं कि आपने यह कहा कि कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है। कि यह विधान सभा 6 ता0 तक चले। मैं आपके माध्यम से यह पूंछना चाहूंगा कि क्या बनारसी दास जी इस षड़यन्त्र में लगे हैं कि इस विधान सभा को बजट सेशन में परिवर्तित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मुझे आश्चर्य है कि कई माननीय सदस्य आपके कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति के सिलसिले में या अन्य सम्बन्ध में उपस्थित थे, जब कार्यमंत्रणा समिति में इस संबंध में बातचीत हुई थी। कहा गया कि इस संबंध में कोई न कोई तारीख सदन में जल्दी से जल्दी निश्चित कर दी जाये तो मैंने शासन की तरफ से स्वीकृत दे दी थी। विरोधी दल के नेता श्री राजमंगल पाण्डेय जी ने कहा था कि अभी वह इस संबंध में अपने दल के लोगों से बात चीत कर लेंगे, जिससे कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का नाम आ सके। जैसे ही वह बात कर लेंगे हम तारीख स्वीकृत कर लेंगे और आपसी विचार-विमर्श से उनकी राय भी मिल जायेगी गुलाब सेहरा और रामआसरे वर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया है। विभिन्न नेताओं की बैठक में यह बात भी हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रियासत हुसैन जी ने अभी आपत्ति उठाई थी। वह उस बैठक के सदस्य नहीं थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे ---

विरोधी दल के नेता ने आपके सामने सूचित किया कि हमारी मीटिंग होने जा रही है। इसके बाद वह सूचना दे देंगे। जैसे ही यह सूचना मिल जायेगी, तारीख घोषित कर देंगे। औचित्य की दृष्टि से हम यह महत्वपूर्ण मानते हैं कि विरोधीदल के नेता की इसमें सम्मति हो। आज सूचना मिल जायेगी तो कल तारीख घोषित कर देंगे। हमें राज्यपाल महोदय को यह सूचना भेजनी पड़ेगी। हमारी तरफ से कुछ नहीं है। उनकी तरफ से आ जायें। मैनेजर सिंह जी से बात चीत की थी वह एग्रीड हैं कि जल्दी से जल्दी तिथि निश्चित हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष---

आज अगर सूचना मिल जाये तो सदन उठने के पहले तारीख बता दें।

श्री मैनेजर सिंह---

तिथि तो आप निश्चित करेंगे। विरोधी दल के नेता से परामर्श तो उम्मीदवारों के बारे में करना है।

**सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दल द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन न देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न किस विषय के संबंध में है?

श्री गुलाब सेहरा---

कार्यसूची के बारे में।

राज्यजाल के अभिभाषण पर आज मतदान होना है। यह परम्परा रही है कि विरोधी दल राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव रखता रहा है। इस विधान सभा में यह पहला मौका है जब कि विधान सभा के इतिहास में राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी दल ने जो मान्यता प्राप्त है, संशोधन नहीं दिया। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या वह विरोधी दल की भूमिका अदा करना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं चाहते हैं तो उधर की सीटों पर चले जांय।

श्री उपाध्यक्ष---

यह उनकी मर्जी की बात है। कई ऐसे मौके आते हैं कि उनको रूलिंग पार्टी का समर्थन करना पड़ता है यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। (शोर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तरीका नहीं है। यह जनतंत्र की हत्या है। इनसे जनतंत्र की रक्षा कराइये।

**उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन†**

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

† छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय मोती लाल देहलवी का नाम पुकार लिया है। इस समय इजाजत नहीं है। इसके बाद उठाइयेगा।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दल द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)**

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि अभी माननीय गुलाब सेहरा ने एक प्रश्न उठाया और उसके संबंध में आपने व्यवस्था दी। मुझे वह व्यवस्था पूरी तौर से मान्य है। शायद गुलाब सेहरा जी को यह ख्याल है कि अगर माननीय विरोधी दल के नेता ने संशोधन नहीं दिया है तो क्या इस कारण से उनको मान्यता मिल गयी, मुझे तो विरोधी दल का नेता नहीं मान लिया गया।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसी तो कोई बात नहीं है।

**नरायणपुर में घटी घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने पर संसद सदस्य, श्री संजय गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना**

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक सूचना मेरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

2 नोटिसें मेरे पास प्राप्त हुयीं है। एक श्री शतरुद्र प्रकाश की और दूसरी श्री सोहनवीर सिंह तोमर की है। इनको मैंने अभी तक देखा नहीं हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, सुन लीजिये। नियम 63 के अन्तर्गत मैंने, श्यामधर मिश्र जी ने और राम आसरे वर्मा जी ने एक सदन की अवमानता का प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित किया है। 28 जनवरी, 80 को इसी सदन में माननीय नेता सदन ने नरायनपुर कांड के बारे में न्यायिक जांच की घोषणा की थी और घोषणा के बाद 31 जनवरी, 80 को लखनऊ स्थित अमौसी हवाई अड्डे पर संसद सदस्य, श्री संजय गांधी ने जो न्यायायिक जांच की घोषणा की थी उसके बारे में आपने वक्तव्य में कुछ बातें कहीं हैं यह जानते हुये कि सदन के अंदर इस तरह की घोषणा हो गयी। मान्यवर, 31 जनवरी को जो उन्होंने पत्रकारों से कहा है उसका कुछ अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। "जनपद देवरिया के नरायणपुर कांड के सिलसिले में देवरिया के जज द्वारा जो जांच करने की घोषणा की गयी है वह बेमतलब है और जनता को इसमें विश्वास नहीं है। और अगर न्यायायिक जांच करानी है तो उत्तर प्रदेश के बाहर के जज द्वारा करायी जाय।" मान्यवर, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस तरह का समाचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

पत्रों में प्रकाशन हो गया। 28 जनवरी को सदन के अंदर की कार्यवाही के तहत माननीय सदस्यों की मांग पर न्यायायिक जांच की घोषणा कर दी गयी और सारी बातें जानते हुये जानबूझकर इस मामले पर बयान देना और यह कहना कि जांच की घोषणा बेमतलब है, साफ तौर पर सदन के अंदर की गयी घोषणा पर और सरकार पर संदेह उत्पन्न करता है। यह उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर अविश्वास ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश विधान सभा पर साफ तौर से संदेह और अविश्वास उत्पन्न करता है जो लोकतंत्र की परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद् सदस्य, संजय गांधी ने जो बयान दिया है वह जान बूझकर दिया है, वह समाचारपत्रों में आया है, इससे सदन की अवमानना हुयी है और अवमानना ही नहीं हुयी बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर आंच आयी है।

× × ×

श्री उपाध्यक्ष—

यह अंश निकाल दिया जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उन्होंने हमेशा अंदर जाकर, नारे लगाकर न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचायी है। इसलिये जो हमने नियम 63 के अन्तर्गत दिया है उसको स्वीकार किया जाय और श्री संजय गांधी को विधान सभा के सामने बुलाकर दंडित किया जाय।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

विधान सभा की गरिमा को नष्ट करने के लिये और न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचाई है। इसलिए निवेदन है कि नियम 63 के अन्तर्गत श्री राम आसरे वर्मा और श्री श्यामधर मिश्र ने जो प्रस्ताव रखा है, सदन की अवमानना का, उसको स्वीकार किया जाय और संसद सदस्य श्री संजय गांधी को विधान सभा में बुलाकर दंडित किया जाय। यही मेरी गुजारिश है।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर मैं निर्णय बाद में दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने का प्रयत्न**

(श्री मोहन वीर सिंह तोमर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' (जिला—आगरा)—

25 जनवरी, 80 को जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया तो मेरा अपमान हुआ है

(व्यवधान)

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या जो विशेषाधिकार का प्रश्न श्री शतरुद्र प्रकाश ने उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में कहना चाहते हैं? (व्यवधान) दूसरी बात की इजाजत नहीं देता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

---

नोट—[×××]—यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध क्योंकि उनका अपमान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो श्री कालरा कह रहे हैं उसकी सूचना मेरे पास लिखित नहीं आयी है।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

मैंने सूचना लिखकर दिया है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष लिख कर नहीं भेजा है। उसे भेज दें। (व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश—

राम आसरे वर्मा और श्री श्यामधर मिश्र ने एक ही बात को कहा है। श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा ने कोई लिखित नोटिस मेरे पास नहीं भेजा है। इसलिये श्री कालरा को मैं इजाजत नहीं देता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आप लोग एक साथ क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

यह लिखा नहीं जायेगा। कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। यह कार्यवाही का अंग किसी का भी नहीं बनेगा। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें.....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और व्यवस्था इस बात की चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो इस सदन के मेम्बर हैं, के साथ स्वयं ही कोई घटना घटी और वह उसे इस माननीय सदन और आप के संज्ञान में लाना चाहते हैं। मेरा यह आग्रह है कि माननीय सदस्य को मौका मिलना चाहिए कि चूंकि माननीय सदस्य के साथ स्वयं घटना घटी है उनको सुनने के लिए मौका देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उनको बाद में सुन लूंगा।

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)। (कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप की एक बात आ गई फिर भी आप बार-बार खड़े होकर उस पर जोर दे रहे हैं। मैं इसको सुनने की आवश्यकता नहीं समझता फिर भी आप बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। यह कोई उचित बात नहीं है।

**नरायणपुर में घटी घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने पर संसद सदस्य, श्री संजय गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)**

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि 28 तारीख को सदन में काम रोको प्रस्ताव आया। आपस में काफी गरमागरमी के बाद आपने हाउस एडजर्न करके आपस में सलाह मश्विरा किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]—

सलाह मश्विरा करने के बाद नरायनपुर काण्ड के संबंध में चर्चा हुई और सरकार ने जांच की घोषणा की । मैंने आब्जेक्ट किया था लेकिन सारे सदन ने स्वीकार किया कि इसके संबंध में न्यायिक जांच होनी चाहिए । हर व्यक्ति को, संजय गांधी को सरकार की आलोचना करने का, मुख्य मंत्री की आलोचना करने का, सब कुछ करने का अधिकार है लेकिन मान्यवर, जब सदन एक निर्णय ले लेता है तो एक न्यायालय हो या सदन हो उसके अपने अधिकार हैं । सवाल विचार करने का इतना है कि न्यायिक जांच का निर्णय सरकार का अपना निर्णय था या सदन का निर्णय था । मान्यवर, सदन में चर्चा होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो वह निर्णय माननीय सदन का निर्णय हो जाता है । कोई भी एक्सटरनल एथारिटी अभ्यान्तरिक शक्ति भी उस निर्णय की आलोचना करता है, भर्त्सना करता है तो वह इस सदन का कन्टैम्प्ट है । मान्यवर, न्यायालय के निर्णय की आलोचना करना कन्टेम्प्ट है । उसकी आलोचना करने का हमें अधिकार नहीं है । इसलिए मेरा आप से यह कहना है कि इस सदन के अधिकार और न्यायालय के अधिकार दोनों बराबर हैं । न्यायालय में जब किसी मसले पर विचार हो तो उस पर कोई कमेन्ट करना न्यायालय का कन्टेम्प्ट है । उसी प्रकार सदन की परिपाटी है । हाउस आफ कामन्स की परिपाटी है । सदन ने जब किसी मसले पर फैसला कर लिया,तो उसके बाद कोई अभ्यान्तरिक शक्ति उस की भर्त्सना करती है तो यह हाउस का कन्टेम्प्ट है । श्री संजय गांधी इस देश के प्रधान मंत्री के सुपुत्र हैं और इस सदन को भंग करने की धमकी दें,इस सदन के निर्णय की भर्त्सना करे और कहे कि यह कोई जांच नहीं है, इससे तो जूडीशिय ी का मखौल करना होगा । कल जो न्यायाधीश जांच करेगा उस जांच की भर्त्सना इस देश के प्रधान मंत्री का लड़का और एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट कर रहा है । क्या स्थिति होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का जो प्रश्न आपने दिया है इसकी जांच मैं करा लूंगा और विचार करने के बाद में निर्णय दूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इस विषय पर हमको भी सुन ले . . .

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जिन लोगों ने प्रश्न उपस्थित नहीं किया . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आप दोनों ने दस्तखत किये हैं । इसमें दस्खत हैं श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री श्यामधर मिश्र . . .

श्री श्यामधर मिश्र—

इसीलिए श्यामधर मिश्र खड़े हैं आपके सामने . . .

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा और श्री ऊदल के दस्तखत नहीं हैं । लेकिन जब एक आदमी ने प्रस्तुत किया तो अन्य सदस्य भी विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

*श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं तथ्य नही दोहराऊंगा। मेरा तर्क सुनिये। मैं यह कह रहा था कि श्री संजय गांधी संसद् सदस्य हैं। उनको संसद में विशेषाधिकार प्राप्त हैं यहां के माननीय सदस्यों को भी तथा इस सदन को विशेषाधिकार प्राप्त हैं और हमारे निर्णय भी विशेषाधिकार से सुरक्षित हैं। हमने यह निर्णय लिया था जिसमें मुख्य मंत्री का भी निर्णय है कि न्यायपालिका के जरिये अमुक स्थान पर जांच होगी और उस जांच की घोषणा की गयी। अब संजय गांधी ने संसद के बाहर अमौसी एरोड्रोम पर यह कहा कि प्रदेश के बाहर की न्यायपालिका होती तो अच्छा होता। प्रदेश की न्यायपालिका की वह कोई इज्जत नहीं करते हैं। ऐसी बात अखबार में थी अमृत प्रभात पत्रिका में। (व्यवधान) पांडेय जी मेरी बात सुन लें पहले। अगर यह तर्क संसद के लिये लगाया जाय। संसद् में कोई कमीशन आफ इंक्वायरी होती है। लेकिन भारतवर्ष का जज उसके लिये इसलिये न लगाया जाय क्योंकि प्रधान मंत्री कांग्रेस (आई) की श्री मती इन्दिरा गांधी हैं, कोई विदेश का जज हो तब क्या कहा जायगा। तो यह तर्क यहां की सरकार के लिये, बनारसीदास की सरकार के लिये सीधा अपमान है और श्री संजय गांधी को सदन की अवमानना में लाकर यहां खड़ा किया जाय और उन्हें दंडित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 28 जनवरी को सदन में जिस समय नरायनपुर कांड के बारे में मसला उठा तो सभी दलों के सदस्यों ने एक मत से यह मांग उठाई थी कि न्यायिक जांच कराई जाय और सबसे ज्यादा इस आवाज को उठाने वाली हमारे पड़ोसी श्री गुलाब सेहरा थे। जिस समय माननीय नेता सदन ने सदन के तमाम सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह घोषणा की थी कि न्यायिक जाँच कराई जायगी पूरे सदन ने हर्ष ध्वनि की और सभी ने इसका स्वागत किया था। इस घोषणा के बाद 31 जनवरी, को संजय गांधी नरायनपुर जाते हैं और लौटकर (अमौसी हवाई अड्डे पर इस सदन के अन्दर जो न्यायिक जांच की घोषणा की गयी थी और जिससे सारा सदन एक मत से सहमत था), उसके बारे में टीका टिप्पणी करते हुए पत्रकारों के बीच यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जज नाकाबिल है, बाहर के जज से जांच कराई जाय तो इससे सबसे पहले अवमानना माननीय सदन की हुई क्योंकि मुख्य मंत्री ने सदन की राय के अनुरूप ही घोषणा सदन में की थी। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका के बारे में संजय गांधी नये नहीं है। देहरादून में जज की मेज के ऊपर भी वे खड़े हुये थ और उन्होंने कोई संकोच नहीं किया था। इसलिय मैं चाहूंगा कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को स्वीकार किया जाय और संजय गांधी को इस सदन के सामने बुलाया जाय और उन्हें दंडित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल यही कह सकते है कि विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार किया जाय। उसके ऊपर क्या किया जाय, यह तो समिति का काम है।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं उन बातों को जो माननीय श्यामधर जी ने और अन्य माननीय सदस्यों न कहीं है, नहीं कहूंगा। उस दिन इस मसले को लेकर सदन के अन्दर सभी तरफ से जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस को तरफ से भी-उत्तेजना हुई थी और उसी उत्तेजना में आपने हाउस को एक बार 20 मिनट के लिए बन्द भी किया था। उसका मतलब यह था कि सब दलों के लोगों को बुलाकर नेता सदन और सरकार के लोगों को बुलाकर इसके बारे में बातचीत हो। जब मैं आपके कक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल—]

मे पहुंचा तो यह बातचीत हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी थे, उप मुख्य मंत्री जी थे, दिघे जी भी थे, शारदा भक्त सिंह जी थे, गुप्ता जी, गुलाब सहरा और राम रतन जी भी थे और सब लोग थे। सब लोगों ने सर्व सम्मति से यह तय किया कि इस मामले की न्यायिक जांच हो और जो अपराधी हों उनको सस्पेंड किया जाय या जो इस मामले में दोषी हों उनको हटा दिया जाय साथ हीजिन गरीबों के ऊपर फरजी मुकदमे कायम हो गये है उनको वापस ले लिया जाय। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि पांच हजार रूपये . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो घटना की बात कह रहे हैं। विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपको क्या कहना है वह कहें।

श्री ऊदल—

श्रीमन, इस माननीय सदन के सभी पक्षों के लोगों की राय से ही न्यायिक जांच मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार की थी। इस न्यायिक जांच के सम्बन्ध में अगर कोई व्यक्ति चाहे इस सदन का हो या कोई भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, इस जांच के बारे में कुछ कहता है तो मैं समझता हूं कि वह न्यायपालिका में हस्तक्षेप है ही, इस माननीय सदन का अपमान भी होता है क्योंकि वह घोषणा यहां हुई है और यहां की घोषणा के तहत ही न्यायिक जांच का काम सुपुर्द किया गया है। इसलिये इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न निहित है, बनता है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का समर्थन करता हूं।

*गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया गया है वह बिलकुल मिथ्या है। उस प्रेस कांन्फ्रेस में मैं भी बैठा था और यह बात थी कि जो भी व्यक्ति नारायणपुर होकर लौटा है उसको बड़ा रोष है, पीड़ा है, वेदना है। संजय गांधी ने इतनी बात कही थी कि वहां जो कोड हुआ है वह बहुत ही घृणित और कलंकित है और न्यायिक जांच के लिये जिस डिस्ट्रिक्ट जज को मुकर्रर किया गया है उनके बारे में उनका कहना था कि उस अदालत में जिसमें पुलिस ने जिनके साथ अत्याचार किया है जिन पर 395 और 307 का अभियोग लगाया उनकी जमानत की अर्जी को उस डिस्ट्रिक्ट जज ने कैंसिल कर दिया है तो वह क्या निर्णय दे पायेगा। और क्या न्यायिक जांच होगी। उन्होंने कहा कि यहां की पुलिस, पी० ए० सी० और नारायणपुर के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जुडीशियसरी की कोई बात उन्होंने नहीं की। प्रदेश के भीतर या बाहर को जुडिशियरी हो . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अदालत का नाम न लीजिये।

श्री गुलाब सेहरा—

उन्होंने यह कहा कि नरायनपुर के लोगों से जब उनकी बात हुई तो वहां के लोगों ने कहा कि वह डिस्ट्रक जज जो हमारे व्यक्तियों की जमानते नहीं ले रहे है. . .

[ × × × ]

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:—[ ××× ] यह अंश भी उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक सदस्य—

यह उचित नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं देखूंगा जो अंश आपत्तिजनक होगा उसको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि यह अखबारों में स्पष्ट रूप से छपा था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो प्रश्न इस समय विधान सभा में उठा है जो श्री शतरूद्ध प्रकाश तथा श्री श्यामधर जी ने उठाया है उसके बारे में बात हो रही है।

श्री उदित नरायन—

यह स्पष्ट रूप से कहा कि जो जज मुकर्रर किया जाय वह प्रांत के बाहर का होना चाहिये। अब जो सेहरा साहब कह रहें हैं, ऐसा नहीं कहा, यह कदापि नहीं है। ट्रान्सफर के लिये तो वह चाहे तो मूव कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यदि किसी को माननीय संजय गांधी और श्रीमती गांधी के खिलाफ शिकायत हो तो क्या उसके लिये इंग्लैन्ड से जज आयेगा और हिन्दुस्तान का जज नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष— (व्यवधान)

अब इसको समाप्त करिये।

श्री गुलाब सेहरा—

बात केवल इतनी है कि जांच के लिये नरायनपुर के लोग कहते हैं, उस डिस्ट्रिक जज पर हमारा भरोसा नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इधर भी देख लें। एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि इसके ऊपर निर्णय मैं बाद में दूंगा, दोनों प्रश्नों पर निर्णय मैं बाद में दूंगा।

श्री अरुणकुमार (जिला जौनपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहें हैं? (व्यवधान) इसके बारे में मैं नहीं सुनूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[ × × × ]

---

नोटः—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

**श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने का प्रयत्न (क्रमागत)**

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु' (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री फजलुलवारी (जिला गोण्डा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं श्री सिंधु को बुला चुका हूं। कुछ नियमों का भी ध्यान रखा करें।

श्री फजलुलवारी—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु'—

मुझे मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री अरुण कुमार—

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा कर रहें हैं। हर सवाल पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं।

श्री फजलुलवारी—

उपाध्यक्ष जी मुझे भी अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठें।

श्री फजलुलवारी—

आप उनको मौका दे रहें हैं। मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं बोलने के लिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

मान्यवर, मै आपको बताना चाहता हूं कि 25 जनवरी, 80 के शाम को 4 बजे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया। बाहर बोर्ड लगा हुआ है विधायक गण अपने क्षेत्र की शिकायतें मेरे पास लायें (व्यवधान)

(व्यवधान—घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और वह सुनने को तैयार हैं तो उसमें आप लोगों को आपत्ति क्यों है ?

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

जब मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर उस दिन उस समय पर मुख्यमंत्री जी के पास गया तो उस समय लोक दल के लोग और दो-चार महिलायें वहां बैठी हुई थी। वह व्यस्त थे और मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। किन्तु जब वह फारिक हुये तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी भी सुन लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने हाथ पकड़कर कहा कि निकलो बाहर। ऐसा अपमानजनक व्यवहार कोई मुख्यमंत्री किसी विधायक के साथ करे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और लज्जा की और कौन बात हो सकती है। जिसको हम विधायक लोग पिता तुल्य समझते हैं वह सदन का नेता है, वह एक विधायक को धक्का देकर बाहर निकाले तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात के लिये सदन में माफी मांगे, नहीं तो हम इस सदन को छोड़कर जाने को तैयार हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि इस चुनाव के बाद किस कदर मद में चूर और किस कदर इस वक्त मदांन्ध लोग हो गये हैं और हमें कलंकित और बदनाम करने के लिये इस तरह की मनगढ़न्त घटनाओं का जिक्र कर रहें हैं। यह बिलकुल गलत है, मैंने श्री सिंधु का कोई किसी प्रकार का अपमान नहीं किया है। .....

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

मैं सबूत दे सकता हूं, मैं वहां बैठी महिलाओं की साक्षी दिला सकता हूं।

श्री बनारसीदास—

आप इससे अंदाजा लगा लीजिये कि इनके दिमाग का सन्तुलन क्या है, गुलाब सेहरा और रामरतन जी आदि मुझसे मिलने जाते हैं कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है। मैं सभी का पूरा सम्मान करता हूं यह नहीं हो सकता कि मैंने किसी का आदर न किया हो। यह मेरे लिये अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि इस तरह की चीजें भी मनगढ़न्त रूप में सामने आ रहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों पर वही असर आ गया है, हिटलर का मेन कैम्प पड़ा हो कि मनगढ़न्त और बेबुनियाद बातों का प्रचार कर दिया गया कि रेशकोर्श में आग लग गयी है पार्लियामेंट में आग लग गयी है और उसने इस चीज का बहाना लेकर लोगों को गिरफ्तार कराया था। तो लगता है कि वह भी इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक झूंठ को 1000 बार कहो तो लोग विश्वास कर लेते हैं। यह बात एक से सौ तक बिलकुल गलत और झूठ है।

(व्यवधान)

(स्वायत्त शासन मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मुझे एक मिनट का समय दे दें..... (व्यवधान)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हरिकिशन श्रीवास्तव)—

उपाध्यक्ष महोदय,..... (व्यवधान)

(स्वायत्त शासन मंत्री के शोधन वक्तव्य के मध्य निरन्तर घोर व्यवधान होता रहा, कुछ भी सुना नहीं जा सका)

श्री गुलाब सेहरा—

मुझे श्रीमन्, एक बात कहनी है। मुख्य मंत्री जी ने जो मदान्ध वाली बात कही है, हमारे दल की ओर से कोई ऐसी बात नहीं है। सिन्धु जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप पिता समान हैं.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या इसी तरह से इस पर होता रहेगा इनको कैसे समय मिल गया ....

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

आप मुझे कहने दीजिये, नहीं तो मैं आप की भी नहीं कहने दूंगा। जब उपाध्यक्ष जी ने समय दिया है ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं बल्कि अपने दल की ओर से आश्वासन दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, उन्होंने यह बात कही है और कहा है कि नेता सदन है और वे पिता के तुल्य है और कहा कि जब मैं गया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी बात को नहीं सुना और कह दिया कि बाहर चले जाओ। मेरे माननीय सदस्यों की यह नियम कभी नही रही कि बुजुर्गों के साथ अशिष्टता का व्यवहार करें। यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें न जानते हों और पब्लिक का आदमी समझ कर कह दिया हो। यह हो सकता है।

## कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 फरवरी, 1980 की बैठक में दिनांक 4 से 6 फरवरी, 1980 के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित संस्तुति की है:—

फरवरी, 1980

| | |
|---|---|
| 4 सोमवार | श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान। |
| 5 मंगलवार | वित्तीय वर्ष 1979-80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धीत विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुनःस्थापन, उस पर विचार एवं उनका पारण। |
| 6 बुधवार | निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—<br>(1) उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980<br>(2) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980।<br>(3) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980।<br>(4) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 |

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, असरकारी दिवस का क्या हुआ वह तो पहले ही तय हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब हम 5 को फिर बैठेंगे तो उसके बारे में तय कर लेगें ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह तो प्रहसन जैसा हो रहा है । गुलाब सेहरा को तो कौमिक होने दिया जाता है । असरकारी दिवस कब लिया जायेगा, उसकी घोषणा आज सदन में क्यों नहीं की गयी ? जो मंत्री हैं वह असरकारी दिवस का हनन करते हैं । मैं कार्य मंत्रणा समिति से इसलिए त्याग-पत्र दे देता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, जिस दिन आयेगा उसी दिन तो लेंगें ।

श्री मैनेजर सिंह--

जो मंत्री बन जाते हैं उनका [ × × × × ]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मैनेजर सिंह ने यह आपत्ति उठायी है कि पिछली जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुयी थी, उसमें यह निश्चित किया गया था कि 8 तारीख को असरकारी दिवस होगा । बीच में हाउस स्थगित हो गया था जिसके कारण यह परिवर्तन करना पड़ा । यह तय किया गया है कि 6 फरवरी तक की कार्यवाही लेते हैं और जो असरकारी दिवस पहले तय किया गया है वही रहेगा । 8 तारीख को तय किया गया था। 8 तारीख उनकी मर्जी से किया गया था । असरकारी दिवस को समाप्त करने की कोई मन्शा नहीं है । 5 तारीख को प्रात: काल फिर बैठेंगे और उसमें तय कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आप मेरी बात सुनलें । यह जो मामला उठा है वह बहुत ही गम्भीर है । कार्य-मंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं और जो उसका प्रस्ताव होता है उसको सदन स्वीकार कर लेता है । कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य को ही आपत्ति है तो मेरा निवेदन है कि आप 2 घंटे में फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को बुला लें । माननीय मैनेजर सिंह वरिष्ठ सदस्य है और उनका इस्तीफा देना उचित नहीं है । यह बड़े दुख की बात है । असरकारी दिवस का सम्पूर्ण प्रतिपक्ष का अधिकार है । इसलिए इस पर मतदान न हो जाय इस अप्रिय प्रसंग को बचाने के लिए आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक फिर से बुला लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

8 तारीख को शुक्रवार है । पूरा दिन असरकारी दिवस रहेगा ।

---

नोट --[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आज के लिए था। मै भी कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। मै चाहता हूं कि इस अप्रिय प्रसंग को बचाया जाय और फिर से बैठक कर ली जाय।

श्री मधुक दिघे--

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है कि कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य है, जो बात वहां पर तय होती है वही उसी को फिर यहां पर दूसरे तरीके से कहते है। जब तय हो गया था कि 8 तारीख शुक्रवार को गैर सरकारी दिवस होगा और माननीय मैनेजर सिंह की ही संस्तुति पर पूरा दिन लिया गया था, आधा दिन था परन्तु मैंने पूरा दिन मान लिया था। 6 तारीख तक का कार्यक्रम निश्चित किया गया है और 5 तारीख को फिर बैठक होगी। 8 तारिख को असरकारी दिवस के लिए हमने पहले ही मान लिया है। विधान परिषद् से जब तक बिल नहीं आते है तब तक कैसे उनको रखा जा सकता है। 6 तारीख तक का प्रोग्राम इसलिए तय किया गया है। 5 तारीख को बैठकर फिर कार्यक्रम तय कर लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

सरसर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं बराबर इस पक्ष का रहा हूं कि असरकारी दिवस शुक्रवार के लिए है उसे अवश्य ही शुक्रवार को लिया जायें। मुझे दुख है कि सदन में जो साथी उधर बैठे है उधर की सरकारी कुर्सियों पर बैठे हैं वह असरकारी दिवस के पक्ष में नहीं रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है। अगर न कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री मैनेजर सिंह--

आधा दिन क्या है। शुक्रवार असरकारी दिवस के लिए है। आधा और चौथायी दिन तो अधिकारी कराया करते हैं। इनके पास एक अधिकारी बैठते हैं, नाटे से हैं। आधा डेढ़, वह कहते रहते हैं आधा दिन और चौथायी क्या है। शुक्रवार को पूरा दिन लिया जाना चाहिये। 2 शुक्रवार हो गये और फिर कह दिया कि 8 तारीख को होगा। आपने आज ही फैसला क्यों नहीं ले लिया कि 8 तारिख को होगा। ये असरकारी दिवस की महत्ता को स्वीकार करते ही नहीं है। माननीय मंत्रियों का जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है और गुलाब सेहरा उसमें मददगार हैं।

मान्यवर, मैं सत्ता के पक्ष में था तब भी लड़ा करता था। यह सदन के सदस्यों के अधिकार का प्रश्न है। इसलिय मेरा कार्य मंत्रणा समिति से त्यागपत्र हो गया, स्वीकार हो या न हो। मैं उसमें भाग लेने हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर आप असरकारी दिवस को आज ही निश्चित नहीं करते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

शुक्रवार, 8 तारीख को गैरसरकारी दिवस के लिये तो उन्होंने कहा ही था।

मुख्यमंत्री (श्री बनारसीदास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो आपत्ति की वह ठीक है। आप जानते हैं कि 30 तारीख को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस खत्म हो जानी थी। दुर्भाग्य से श्री त्रिलोकी जी का निधन हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। 31 तारीख को छुट्टी थी और पहली तारीख को गैर सरकारी दिवस निश्चित था परन्तु सभी माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि पहली तारीख को सदन न बैठे। दूसरी तारीख को शनिवार था। तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि गैर सरकारी दिवस न हो। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मैनेजर सिंह की जो भावनायें हैं, उनका आदर

किया जाना चाहिये और कल बैठकर असरकारी दिवस के लिये तय कर लिया जायेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मैनेजर सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि इस समय कार्य मंत्रणा समिति ने जो संस्तुति की है, उसको स्वीकार कर लिया जाय जो गैर सरकारी दिवस के लिये तारीख निश्चित होगी जिससे हमको भी संतुष्टि होगी उसको ले लिया जायगा।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**दिनांक 24 मई, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु वक्तव्य**

श्री उपाध्यक्ष—

स्वायत्त शासन मंत्री जी, उस समय शोरगुल मच रहा था। इसलिये अब आप कृपया अपना शोधन वक्तव्य पढ़ दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)—

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 24-5-1979 को श्री मित्र सेन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के संबंध में श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूंछा था कि मान्यवर, बस्ती में शमशान घाट नहीं होना चाहिये, यह ठीक है। लेकिन लखनऊ में आबादी बढ़ती जा रही है इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ क्षेत्र के लिये विद्युत चालित शमशान घाट बनाने की योजना उनकी है।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, अभी कोई योजना नहीं है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—

जी हां, लखनऊ में भैसाकुन्ड शवदाह गृह का निर्माण नगरपालिका, लखनऊ क विचाराधीन है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 591 पर)

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया)—

जिस अधिकारी ने यह गलत सूचना दी थी उसके विरुद्ध भी क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे? किस अधिकारी ने यह गलत सूचना दी थी?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो वे अवश्य ही करेंगे।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

जिस समय इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था यह विभाग मेरे पास नहीं था लेकिन उस समय पूरी सूचना उपलब्ध नहीं थी ।

श्री मैनेजर सिंह—

जिस अधिकारी ने यह गलत सूचना दी थी, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वैसे तो इस पर प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इजाजत दे दी है । इसलिये मंत्री जी कृपया उत्तर दे दें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जांच करा ली जायगी कि उत्तर कैसे और कहां से गलत आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है आप जांच करवा लें ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने तो व्यवस्था दे दी फिर जांच का प्रश्न कहां उठता है आपके निर्देश के बाद ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो पूछा था, निर्देश नहीं दिये थे ।

**दिनांक 13 जून, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में शोधन वक्तव्य**

सार्वजनिक राज्यमंत्री विभाग (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 13 जून, 1979 को श्री राम आसरे वर्मा सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछ गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या तीन के सबंध में श्रीराम आसरे वर्मा, श्री श्याम देव, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 17 जनवरी, 1978 को 12 पदोन्नतियों की सूची बनी थी और अब 9 को पदोन्नत किया गया । इस प्रकार 21 लोगों को पदोन्नत किया गया । इससे जो 15 प्रतिशत् का कोटा है वह पूरा नहीं हुआ है । यह बैठा जाकर 13.2 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत का जो कोटा बाकी है जिसे पूरा करना है, उसे कब तक पूरा कर देंगे ।

"मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मई 1979 में अवर अभियन्ताओं की जो पदोन्नति हुई है उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोगों की पदोन्नति हुई है और कोटा पूरा हुआ है कि नहीं ।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, जो 12 जनवरी, 1978 की बात बता रहे हैं, उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इन व्यक्तियों की जानकारी मुझको है, इन व्यक्तियों का कोटा पूरा किया गया है । 76 आदमियों की पदोन्नति की गयी है । 11.4 प्रतिशत का कोटा पूरा किया गया है । 11 आदमियों की पदोन्नति की बात है । 9 आदमी ही पाये । चरित्र पंजिका वगैरह के कारण भी आदेश नहीं हो पाये, उनको जल्दी पूरा कर दिया जायेगा । मान्यवर, यह जो अनुसूचित जाति का कोटा है, 14 आदमियों की पदोन्नति की गयी है और एक अनुसूचित जन जाति का आ गया है, एक आदमी जूनियर इन्जीनियर (टेक्निकल), संगणक हो गया है तो इस तरह से 16 आदमियों की पदोन्नति जूनियर

इन्जीनियर्स में की गयी है। इनका कोटा पूरा हुआ है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं जो पहले चयन हुआ था उसमें सिड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं किया गया है तो उसके हिसाब से 10 सीटे कैरी फारवर्ड हुयीं। इनको मैं शीघ्र भरवा रहा हूं"।

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

"मान्यवर, जो 17 फरवरी, 1978 की बात" बता रहे है, उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है लेकिन इन व्यक्तियों की जानकारी मुझको है, इन व्यक्तियों का कोटा पूरा किया है। 63 आदमियों की पदोन्नति की गयी है। 14.29 प्रतिशत का कोटा पूरा किया गया है। 11 आदमियों की पदोन्नति की बात है। 9 आदमी ही पाये। चरित्र पंजिका वगैरह के कारण अभी दो आदमियों के आदेश नहीं हो पाये हैं, उनको जल्दी पूरा कर दिया जायेगा।"

"मान्यवर, यह जो अनुसूचित जाति का कोटा है, 13 आदमियों की पदोन्नति की गयी है और एक अनुसूचित जनजाति का आ गया है, एक आदमी जूनियर इंजीनियर (टेक्निकल) संगणक हो गया है तो इस तरह से 15 आदमियों की पदोन्नति जूनियर इन्जीनियर्स में से की गयी है। इनका कोटा पूरा हुआ है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जो पहले चयन हुआ था उसमें सिड्यूल कास्ट का कोटा नहीं पूरा किया है तो उसके हिसाब से 10 सीटें कैरी फारवर्ड हुई। इनको मैं शीघ्र भरवा रहा हूं।"

4—मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 592 पर)

अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों के आमरण अनशन के संबंध में वक्तव्य

**श्री उपाध्यक्ष**—

माननीय मंत्री जी, आप पहला और अन्तिम पैरा पढ़ दें और शेष पढ़ा हुआ माना जायेगा।

**कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)**—

मान्यवर, इस वक्तव्य के शुरू में ही माननीय सदन को अवगत कराना है कि हमारे सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण को देखते हुए अनशनकारियों ने 30 जनवरी, 1980 की शाम को अपना अनशन समाप्त कर दिया है।

[अधीनस्थ कृषि सेवा संघ राज्य सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त संघ है। इस सेवा के कर्मचारियों के संवर्ग वर्ग-1, वर्ग-2 तथा वर्ग-3 है। इनके वेतनमान क्रमशः रु0 350—700 रु0, 280—460 तथा रु0 230-385 हैं। संघ ने अपने ज्ञापनों में 21 मांगों का उल्लेख किया था है। इन मांगों में कई प्रशासनिक बिन्दुओं पर सुझाव संबंधी है वैसे कृषि विभाग के ग्रामसेवकों को कृषि विभाग में वापस लिया जाना आदि इसके अलावा कुछ मांगे सामान्य प्रकृति की है जिन पर विभाग विशेष को ध्यान में रखकर कोई कार्यवाही संभव नहीं है वैसेटर डिस्पेन्स एलाउन्स तथा दैनिक भत्ता बढ़ाया जाना, सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिया जाना सामूहिक बीमा योजना में देय धनराशि बढ़ाया जाना चिकित्सा भत्ता दिया जाना, तथा बोनस दिया जाना, आदि। संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार है:—

(1) कृषि विभाग को प्राविधिक घोषित किया जाना।
(2) कृषि प्रशासन में एक सूत्रीय व्यवस्था स्थापित करना।

---

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री शिव मंगल सिंह]

(3) सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना।
(4) सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत करने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना ।
(5) वेतनमानों में अभिवृद्धि करना।
(6) सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों के नियत यात्रा भत्ते में अभिवृद्धि करना।
(7) राजकीय कार्य भवन किराये पर लेने के अधिकार का प्रतिनिधान और किराये की स्वीकृत सीमा रु० 50 को बढ़ा कर रु0 100 प्रतिमाह किया जाना।
(8) मोटर साइकिल क्रय करने में अग्रिम (एडवान्स) की सुविधा प्रदान करना।
(9) तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण किया जाना।
(10) कृषि विभाग में ग्रामसेवकों की पदोन्नति का रोका जाना।
(11) विष रसायन तथा जोखिम भत्ता दिया जाना।
(12) उच्च शिक्षा (प्रशिक्षण) की सुविधा अन्य की भांति दिया जाना।

(1) कृषि विभाग को प्राविधिक घोषित किया जाना—

अन्य तकनीकी विभागों की भांति कृषि विभाग को भी शासन तकनीकी मानता है और तकनीकी विभागों की तरह इसे तकनीकी कर्मचारियों द्वारा संगठित किया जायेगा।

(2) कृषि प्रसाशन में एक सूत्रीय व्यवस्था स्थापित करना—

कृषि उत्पादन का विषय एक विभाग का नहीं है। इसके सफल कार्यान्वयन में कई विभाग शामिल हैं। शासन की ओर से इसकी छानबीन करायी जा रही है। तद्नुसार निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

(3) सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना—

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के लिए क्रमशः 64 एवं 281 पद सेलेक्शन ग्रेड के स्वीकृति किये जा चुके हैं। वर्ग 3 के लिए सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृति करने हेतु तो पिछले वेतन आयोग ने कोई संस्तुति की थी और न असंगतियों के निराकरण हेतु गठित वेतन असंगतियां समिति की ही कोई सिफारिश इसके लिए थी। फिर भी मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि आवश्यकता हुई तो विशेष सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर नवगठित वेतन आयोग की संस्तुतियां प्राप्त कर तद्नुसार वर्ग-3 के लिए भी सैलेक्शन ग्रेड स्वीकृति के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(4) सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत करने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना—

फर्टीलाइजर मे संबंधित सर्वे रिपोर्ट के आदेश जारी किये जा चुके हैं। पेस्टीसाइड्स के संबंध में आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

(5) वेतनमानों में अभिवृद्धि करना—

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1, 2 एवं 3 के वर्तमान वेतनमान पिछले वेतन आयोग के संस्तुतियों के अनुसार ही इन वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का प्रश्न है। संघ की एतद् संबंधी मांग नये वेतन आयोग को विचारार्थ भेज दी गयी।

(6) सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों के नियत यात्रा भत्ते में अभिवृद्धि करना—

सहायक भूमि संरक्षण के नियत यात्रा भत्ते (रु0. 10) में अभिवृद्धि किये जाने के के संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे।

(7) राजकीय हेतु कार्य भवन किराये पर लेने के अधिकार का प्रतिनिधायन और किराये की स्वीकृत सीमा रु0 50 को बढ़ाकर रु0 100 प्रति माह किया जाना

इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही शासनादेश जारी हो जायगा ।

(8) मोटर गाड़ी क्रय करने में अग्रिम (एडवान्स) की सुविधा प्रदान करना—

कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह उचित ही है कि मोटर साइकिल खरीदने हेतु अग्रिम (एडवान्स) देने के लिए आबंटित धनराशि में अभिवृद्धि की जाय। तद्नुसार इस प्रयोजन हेतु कृषि विभाग के लिए इस वर्ष जो प्राविधान 1,50,000 रु0 का था उसे रु0 2,50,000 रु0 की व्यवस्था करा दी गई है।

(9) तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण किया जाना—

तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण की समस्या के दृष्टिगत सरकार ने तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण हेतु एक नियमावली मई, 79 में प्रकाशित की है जिसके अनुसार सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्तियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में एक समिति का गठन किया जा चुका है जो नियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही निष्पादित करायेगी। पदोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्ति लोगों के संबंध में भी आवश्यकतानुसार लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव "आयोग" को भेजने के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(10) कृषि विभाग में ग्राम सेवकों की पदोन्नति का रोका जाना—

15 जून, 1961 के शासनादेश में ग्राम सेवकों की वर्ग-2 में प्रोन्नति के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही ग्रामसेवकों की प्रोन्नतियां दी जाती हैं। इसको रोकना उचित नहीं है।

(11) विष रसायन तथा जोखिम भत्ता दिया जाना—

इस मांग के संबंध में संघ द्वारा अभी तक पुष्ट तर्कों पर आधारित कोई औचित्य नहीं दिया गया है और न उन्होंने न कोई ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत किया है जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि अन्य विभाग के लोगों के मुकाबले के कृषि विभाग के लोगों के साथ कोई भिन्न व्यवहार हो रहा है। फिर भी विभागाध्यक्ष से कहा गया है कि वे आवश्यक आंकड़ों के साथ तथा पुष्ट दृष्टान्त की परीक्षा में अपना प्रस्ताव शासन के विचारार्थ भेजें। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायगा।

(12) उच्च शिक्षा (प्रशिक्षण) की सुविधा अन्य की भांति दिया जाना—

उच्च शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन सिद्धान्त रूप से सहमत है और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ]

इस प्रकार विदित होगा कि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की मांगों के संबंध में हमारा दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण रहा है। संघ के सदस्यों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा उचित हल निकाल कर समस्याओं का निराकरण भी किया गया है और किया जा रहा है।

**जिला कानपुर में अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी कथित अनियमितता के संबंध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन**

**श्री उपाध्यक्ष**---

इसको मैं स्थगित कर देता हूं । यह प्रार्थना आई है कि इसको 6 तारीख के लिए ले लिया जाय ।

**राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में शारदा महेश इण्टर कालेज के छात्रों पर हुये लाठी-चार्ज के संबंध के वक्तव्य**

**प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)**---

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-1-80 को राबर्ट्सगंज के मुन्ना खटिक नामक सब्जी विक्रेता व सब्जी खरीदने आए हुए स्थानीय इण्टर कालेज को दो छात्रों के बीच कुछ कहा सुनी हो गयी जिस पर छात्र उसे धमकी देते हुए कालेज की ओर चले गये । कुछ देर बाद लाठी, डन्डा तथा कट्टा लिये हुए छात्रों की भीड़ को अपनी दुकान की ओर आते देख उक्त सब्जी विक्रेता थाने पर रिपोर्ट करने भागा । अभी वह अपनी रिपोर्ट लिखा रहा था कि एक हेड कान्स्टेबिल ने थाने पर आकर सूचना दी कि राजा शारदा महेश इंटर कालेज के छात्रों ने उपरोक्त मुन्ना खटिक के दुकान के बाहर लगे टेन्ट व अन्य समानों को फूंक दिया व अन्य दुकानों को भी नष्ट-भ्रष्ट किया । उपस्थित फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे इससे पहले ही भारी संख्या में छात्र असामाजिक तत्वों के साथ उक्त मुन्ना खटिक को खोजते हुये थाने पर पहुंचे और पथराव शुरू कर दिया । उन्होंने थाने के फाटक, टेलीफोन ट्यूब लाइट खिड़कियों के शीशों को क्षतिग्रस्त किया तथा हवालात का ताला तोड़ दिया । उन्होंने सड़क पर जाती हुई बस को भी पथराव कर चार बस को क्षतिग्रस्त किया । स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा हलका बल प्रयोग किया गया तथा 12 छात्रों व 5 अन्य व्यक्तियों को चोटें पहुंचाकर बन्दी बनाया गया । तीन छात्रों को तथा एक अन्य को फ्रैक्चर की चोटें आईं । शेष 13 व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं । 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को चोटें आईं । सभी 17 बन्दी जमानत पर रिहा हो गये हैं । इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना में पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई यह भी सही नहीं है कि सैकड़ों लोग घायल हुये और एक 13 वर्षीय लड़के के पैर में कील ठोंकी गई । कोई छात्र गायब नहीं है । 25-1-80 को घटना के बाद तथा 26-1-80 को केवल राबर्ट्सगंज में दुकानें बन्द रहीं । गणतंत्र दिवस राबर्ट्सगंज तथा मिर्जापुर दोनों ही थानों में मनाया गया । वाराणसी में इसके संबंध में किसी प्रतिक्रिया की सूचना नहीं है ।

राबर्ट्सगंज थाने के तीन उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण पुलिस लाइन मिर्जापुर कर दिया गया है । जिलाधिकारी द्वारा घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)**---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान) ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर) ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं और किसी की भी बात यहां पर नहीं सुनने को मिलती है। एक वक्तव्य सरकार ने दे दिया.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधीकरण (चतुर्थ संस्करण) संख्या 212 को देखने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इसलिये आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से राज्य मंत्री ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि कोई गोली नहीं चली। मुझे माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर सन्देह करने के जो कारण हैं, मान्यवर, मैं इस संबंध में एक लिखित डाकूमेन्ट रखना चाहता हूं। मेरे पास वहां के एस0 डी0 एम0 की चिट्ठी है जिसके आदेश से गोली चली। मान्यवर, वहां पर बड़ा असन्तोष व्याप्त है, जनता में रोष पैदा है। मान्यवर, आप मुझे अनुमति दें तो मैं संघर्ष समिति के संयोजक की लिखित सूचना है कि गोली चलाई गई.....

श्री उपाध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में मेरा निर्णय यह है कि जो वक्तव्य आया है शासन की तरफ से अगर आप समझते हैं कि कुछ तथ्य सही नहीं है तो आप उसके बारे में लिखित सूचना हमें भेज दें, तो शासन से मैं पूछ लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैंने लिखित सूचना भेज दी है मान्यवर, इसमें साफ कहा गया है कि गोली चली है।

"My attention has been drawn to a statement, attributed to me, published in a certain news paper, alloging that I have denied both firing and Lathi charge during the unfortunate incident on Jan. 25, 1980. I wish to deny the statement in strongest possible terms. It is intirly baseless, if not necessarily melicious.

I shall feel personally grateful to you if you kindly circulate letter in the interest of public meal.

श्री उपाध्यक्ष---

आपने जो उदाहरण दिया है करण-212 का इसका 3 आप पढ़ें। इसके अलावा अंग्रेजी बोलने की परम्परा नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, एस0 डी0 एम0 ने कहा है कि फायरिंग हुई है। साफ बयान है मेरे पास चिट्ठी की फोटो स्टेट कापी है उसको मैं आपके पास भेज देता हूं उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि गोली नहीं चली। तो मान्यवर, मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है गलतबयानी की गई।

श्री उपाध्यक्ष---

एक तो अंग्रेजी में पढ़ा, और अगर पढ़ा तो उसका हिन्दी में अनुवाद कर देना चाहिये था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं हिन्दी में अनुवाद कर देता हूं । एस0 डी0 एम0 श्री आर0 के0 शर्मा ने सेक्रेटरी श्री एस0 एन0 लाल, आल पार्टी एक्सन कमेटी, राबर्ट्सगंज को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि, प्रिय बन्धु, मैं आपका ध्यान कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैंने वहां पर लाठी-चार्ज और गोली चार्ज का खण्डन किया है ।

मान्यवर, यह पत्र सब मजिस्ट्रेट का है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस समाचार का खण्डन करता हूं । इससे साफ स्पष्ट है कि वहां पर फायरिंग हुई, लाठी-चार्ज हुई और इसका दायित्व एस0 डी0 एम0 ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपने जो लिखकर भेजा है वह सही नहीं है इसमें जानकारी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करूंगा । कृपया करण 212 का (3) आप देख लें ।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, यह वक्तव्य वापस लें और दूसरा वक्तव्य दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर मैंने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं स्थिति की जानकारी करूंगा और उसके बाद आपको अवगत कराऊंगा अब जो कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में कह रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान) (कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

मेरे निर्णय के बाद जो चिल्ला रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(श्री ईश्वर प्रसाद ने वक्तव्य को फाड़ा)

श्री उपाध्यक्ष---

(व्यवधान के बीच) आप उन्हें बैठाल लें । मैंने कह दिया है कि मेरा निर्णय इस पर हो गया है कि घटनास्थल पर जाकर तथ्यों की जानकारी के लिए शासन व्यवस्था करेगा ।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायें । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जब कभी भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले आये हैं, आपने स्पष्टीकरण के लिए माननीय सदस्यों को मौका दिया है । नियम 301 तथा अन्य बयानों पर आपने मौका दिया है । मान्यवर, राबर्ट्सगंज के माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस गहन मामले के प्रति आप स्पष्टीकरण का मौका दे दें । अब तक मान्यवर, दो चार स्पष्टीकरण हो गये होते । मुख्य मंत्री जी भी सहमत हो जाएंगे । इस लिए मान्यवर, इस पर दो, चार स्पष्टीकरण करा दें ।

---

नोट --[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो लिखकर दिया है, उन आपत्तियों को शासन के पास भेज दिया जायेगा और सही स्थिति की जानकारी ज्ञात कर लेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, सदन में जो सूचनाएं दी जाती हैं वह जिले से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होती हैं और यह जो वक्तव्य दिया गया है । वह छात्रों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुयी । जिसमें कुछ छात्रों को फ्रैक्चर हुये और कुछ छात्रों को चोटें आयीं । श्री राजेन्द्र कुमार जी तथा अन्य मिर्जापुर के सदस्यों ने कहा कि रिपोर्ट सही नहीं है । यहां पर हम जो वक्तव्य दे सकते हैं, वह प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही दे सकते हैं । मैं इस संबंध में वहां के कमिश्नर से कहूंगा कि वह स्वयं आकर इसकी जांच करें और जो पत्र यहां पर दिया है, इस पत्र को भी मैं भिजवा दूंगा और सभी तथ्यों की जानकारी माननीय सदस्यों को कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट के बाद दिलाऊंगा ।

श्री ईश्वर प्रसाद---

मान्यवर, मेरी भी सुन लें । [ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाएं, आप बैठ जाएं । यह जो बोलते जा रहे हैं यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

## लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये श्री राज मंगल पांडेय के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार निर्वाचित श्री राज मंगल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के त्याग-पत्र देने से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार निर्वाचित श्री राजमंगल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के त्याग-पत्र देने से रिक्त हुए स्थान की पुर्ति हेतु विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

नोट---[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, अत: मैंने दोनों सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया ।

श्री दीप नरायन ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जबरिया नसबंदी कार्यक्रम चलाये जाने से उत्पन्न असंतोष तथा डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' ने उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय का सत्र के मध्य कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरण तथा लगभग 300 कर्मचारियों को स्वार्थ हित में दी जाने वाली यातना के संबंध में यह प्रस्ताव दिये थे ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

(शोर के मध्य) . . . .[×××] ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे निर्णय के बाद आप को इस तरह नहीं बोलना चाहिए ।

(शोर) (कुछ सदस्यों के बोलते रहने पर)

मेरे निर्णय के बाद जो कुछ आप लोग बोले हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

एक बात निवेदन करना चहता हूं कि वह जानबूझ कर उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए एक योजनाबद्ध षड़यंत्र किया जा रहा है और यह कहना कि केन्द्र सरकार का कोई निर्देश है कि जबरदस्ती नसबंदी की जायें, यह बिलकुल निराधार है । उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो ऐसा किया है और न केन्द्र का ऐसा कोई निर्देश है । रोज मैं देखता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से एक षड़यंत्र चल रहा है शासन को बदनाम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से श्री संजय गांधी का पंचसूत्री कार्यक्रम था और आते ही 21 सूत्री हो गया हो तो उधर के बैठने वालों को लगता है कि 74-75 की पुनरावृत्ति न हो । उनको डर है कि संजय गांधी जबरदस्ती नसबंदी न लगायें । मैं चाहता हूं कि अगर एक भी इस तरह की घटना लिखकर आप दे दें तो उस अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ।

श्री दीप नरायन--

मैं लिख कर दे दूंगा ।

### श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(क्रमागत)

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

महामहिम राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है और श्री रघुवर दयाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज अन्तिम दिन है और बोलने वाले काफी हैं अत: प्रत्येक सदस्य के लिए मैं समय 7 मिनट निर्धारित करता हूं ।

---

नोट--[×××] यह अंश माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 29 जनवरी, 1980 की कार्यवाही से ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवदी--

हमारी सरकार ने बाढ़ तथा सूखे का सामना किया और जिसमें सबसे पहले बाढ़ फिर बाद में सूखा। जिसमें 1085 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। हमारी सरकार ने जितनी राहत पहुंचायी है उतनी कभी नहीं पहुंचायी थी। कमजोर तबके के लोगों को खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण कराया गया। श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का जाल बिछाया गया। अगर ये योजना न चलायी जातीं तो हमारे प्रदेश का क्या हाल होता। जो बेकारी बढ़ रही है उसके लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। यानी चतुर्दिक विकास के लिए हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। प्रत्येक डेढ़ किलोमीटर की परिधि में एक विद्यालय खोला जायेगा। परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की दृष्टि से विचार यह सरकार कर रही है।

उधर के साथी हरिजन समस्या को लेकर बड़ी बातें कर रहे थे। वह शायद भूल गये थे कि नासिरपुर में क्या हुआ था? क्या वहां हरिजन नहीं थे? क्या इसी प्रकार से वहां पर जब इंदिरा गांधी का शासन काल था, मुंह में पेशाब नहीं किया गया था? आज भी वह याद ताजा है। आज अगर छोटी सी घटना हो गयी तो इतना बड़ा तूल देते हैं लेकिन अपने किये हुए पापों को भूल जाते हैं। इस तरह की मनगढ़न्त बातें फैलाते हैं। प्रश्न यह है कि हमारा प्रदेश किस प्रकार रहेगा अगर इसी तरह से आप लोगों ने अव्यवस्था फैलाने की बात की तो शायद जो कुछ लोग उधर बैठे हैं वे भी नहीं रहेंगे।

मान्यवर, जनता की राहत के लिए जो विकास की योजनायें है उनका जिलों में कार्यान्वियन पूर्ण रूप से हो इसकी ओर सरकार को सचेत रहना है। उन्नाव जनपद को मैं ले रहा हूं। वहां काम के बदले खाद्यान्न योजना का शुभारम्भ किया गया। ताकि किसी भी निर्धन व्यक्ति को भूखों न मरना पड़े। राहत कार्य हुआ लेकिन विकास विभाग द्वारा हमारे जिले में सबसे कम मात्रा में सड़कें बनीं और जो मुझे जानकारी मिली उसके अनुसार लोगों को कुछ जगह एक दिन में केवल एक किलो, डेढ़ किलो ही अनाज मजदूरी में मिला है, विकास क्षेत्र सफीपुर में बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, फतेहपुर चौरासी में सब से कम मात्रा में सड़कें बनीं। मैं बताना चाहता हूं कि विकास के क्षेत्र में शायद उन्नाव जनपद ही ऐसा है जहां पर सबसे कम सड़कें बनायीं गयीं।

यातायात का जहांतक प्रश्न है, मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, हमारे जिले में मात्र उन्नाव से हरदोई जाने वाली सड़क पर प्रायवेट बसें चलती हैं। उनमें अन्धाधुन्ध सवारियां चलती हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो सड़क उन्नाव से हरदोई जाने वाली हैं उस पर राजकीय परिवहन निगम की बसें चलायें ताकि लोगों को सुविधा हो।

हमारे यहां कानपुर से लेकर हरदोई तक गंगा जी में कोई ब्रिज नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नानामऊ घाट पर पीपों का पुल बनाया जाय। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था जिसका उत्तर मिला कि अभी धनाभाव है। जहांतक धनाभाव का प्रश्न है मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि जो कानपुर में पीपों का पुल पड़ा है उसको नानामऊ घाट पर लगावा दिया जाय। इसी प्रकार सई नदी पर संचान कोट में पुल का होना आवश्यक है।

चिकित्सा सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है जो प्राथमिक इकाई है उनमें कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। लोगों को आठ-आठ किलोमीटर दौड़कर जाना पड़ता है तब मुश्किल के बाद दवा मिल पाती है। हमारे बांगरमऊ निर्वाचन क्षेत्र में औषधालयों की अधिक से अधिक संख्या में स्थापना की जाय। मेरा आप से यह भी अनुरोध है कि जो उन्नाव जनपद में बड़ी-बड़ी फैक्टरियां खड़ी हुई हैं। जब कभी भी मंत्रीगण उन्नाव होकर कानपुर जाते होंगे तो देखते होंगे

(इस समय 1 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]--

और सोचते होंगे यहां के लोग काम में लगे हुए हैं । लेकिन टीन के खोखे खड़े हुए हैं । अभी तक वहां के निवासियों को किसी प्रकार का काम नहीं मिला है । इसलिए जो उन्नाव जनपद के निवासी हैं पहले उनको उन फैक्टरियों में काम दिया जाय । मान्यवर, आपके माध्यम से मांग करता चाहता हूं कि हमारे जिले में विकास कार्य जो नहीं हुआ है वह किया जाय । अन्त्योदय योजना, शायद आपने भी देखा होगा समाचार-पत्रों में, अन्त्योदय योजना का हमारे जिले में बिलकुल विनाश ही कर दिया गया है। किसी को अन्धा घोड़ा दिया गया है और किसी को टूटा हुआ तांगा दिया गया है । इस प्रकार अन्त्योदय योजना का बहुत दुर्पयोग हुआ है । जिला अधिका ी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्नाव जिले को जिसे उपेक्षा दृष्टि से देखा जाता है अपेक्षात्मक नीति का परित्याग कर, सरकार उसकी उन्नति और विकास की ओर ध्यान दें ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं । श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा, राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे दुःख है कि मैं उस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने में असमर्थ हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बड़ी-बड़ी नीतियों का वर्णन किया ।

उन्होंने दैवी प्रकोप सूखा, अकाल जैसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार की वकालत की है । उत्तर प्रदेश इतिहास ने इ : प्रदेश की 10 करोड़ जनता के ऊपर इतना बड़ा दैवी प्रकोप पड़ा है, जो प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं पड़ा। सूखा और अकाल से पीड़ित जन-मानस की समस्याओं का निराकरण करने में प्रदेश सरकार असफल रही और सरकारी अव्यवस्था और शोषण उन क्षेत्रों में बढ़ा है । सुविधायें और सहायता उन क्षेत्रों में दी गयी हैं जहां मंत्रि-मंडल के वरिष्ट सदस्य थे, उनके ही निर्वाचन क्षेत्रों में सारी सुविधायें पहुंचाई गयी हैं। केवल कागज पर सरकारी अधिकारियों ने लेखा-जोखा शासन के सामने प्रस्तुत किया और राज्यपाल महोदय के सामने रखा गया और महामहिम ने उसे पढ़कर सुना दिया। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रकोप जिसमें सरकार किसानों को डीजल और मिट्टी का तेल देने में विफल रही है सैकड़ों लोगों की झोपड़ियों में अंधेरा छाया हुआ है । बद्तर जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । लोकदल के कार्यकर्ताओं को और चापलूसों को 2-2 सौ हजार-हजार लीटर का परमिट बाराबंकी में दिया गया ।

आज कानून और व्यवस्था की यह हालत है कि हमा ` संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को संघर्ष करने का अधिकार है वर्तमान सरकार लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में आस्था रखते हुये भी जनतंत्रीय परम्पराओं की अवहेलना कर रही है । यह सरकार जनविरोधी सरकार है, जनतंत्र पर आधारित नहीं है। इसका आचरण संसदीय नहीं है । प्रदेश में अराजकता पैदा करके जन भावना को त्रसित करने का काम इस सरकार ने किया है और कोई काम इसने नहीं किया । लोक सभा चुनाव में सारे प्रदेश के अन्दर, बाराबंकी जिले के अन्दर जिस तरह का आतंक मचाया गया वह कहा नहीं जा सकता । सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया । गन्ना विभाग की सारी जीपें और जिला प्रशासन की सा ी जीपें भारत सरकार के भूतपूर्व आवास मंत्री श्री रामकिंकर को चुनाव जिताने में प्रयोग की गयीं । यदि आपको विश्वास हो प्रदेश की जनता पर तो इन सरकारी अधिकारियों का सहारा आप न लें । निष्पक्षता से और ईमानदारी से जनता का विश्वास प्राप्त करें । बाराबंकी जनपद में लोकदल के युवक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यकर्त्ताओं ने वहां के तथा कथित युवक कार्यकर्त्ताओं को मारा पीटा, उनके बाल मुड़वाये गये, उनको छोड़ा नहीं गया। इस प्रकार संविधान विरोधी कार्य किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाराबंकी जिले में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं।

हैदरगंज निर्वाचन क्षेत्र में दो लाख से अधिक आबादी है। वहां पर एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाये। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की व्यवस्था की जाय। लोगों को ोजगार देने के लिये छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना की जायें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला—गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जो परिस्थितियां इस प्रदेश में चुनाव में आई हैं वह किसी दल का विषय नहीं है, यह कम से कम इस सदन को सोचना पड़ेगा। मेरा विचार है कि इससे पहले कहीं-कहीं होता था कि निर्बल वर्ग के लोगों पर जुल्म होते थे। लेकिन सुनियोजित ढंग से शासन तंत्र का प्रयोग करके इस प्रदेश के अंदर हरिजन मतदाताओं को डिश्फ्रचाइज कर दिया गया। मान्यवर, लोक सभा ने उनके रिजर्वेशन के लिये 10 साल के लिये प्रस्ताव किया है। लेकिन प्रदेश में उन्हीं मतदाताओं से उनके मत देने का अधिकार छीन लिया गया। तो मैं अपने सामने बैठे हुये मित्रों से कहना चाहता हूं कि 2-4 सीट जीत लेने से, 2, 4 आदमियों को लोक सभा में भेज देना बड़ी बात नहीं है। गांधी जी का नाम लेकर हमें निर्बल वर्ग के लोगों को संरक्षण दें और संरक्षण प्रदान न कर सकें तो कैसे हमने इस देश के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट की है। हमारी कथनी और करनी में फर्क है।

मैं अपने जिले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताऊं। 5 दिसंबर को वहां मोरार जी भाई बड़ौत गये थे। लेकिन ज्योंही वह चले, पुलिस का स्क्वाड हट गया। बड़ौत में उनकी हत्या की कोशिश की गयी। कैलाश प्रकाश वहां उम्मीदवार थे उनको गंभीर चोट आई। लेकिन हत्या करने की कोशिश करने वाले आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। ग्राम जयसिंहपुर में हरिजनों को घ ों में बंद रखा गया। मेहर सिंह, रतन लाल जी वहां गये थे उनकी गाड़ी को ोका गया और सामान लूट लिया गया, उनको मारा पीटा गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। धारा 395 में मुकदमा कायम किया है। धारा 147 में चालान किया गया और जमानत ले ली गयी। मुख्य मंत्री ने एस0 एस0 पी0 का तबादला कर दिया। लेकिन दिल्ली से आदेश मिला कि एस0 एस0 पी0 नहीं जायेंगे। जब एस0 एस0 पी0 गोरखपुर चार्ज लेने गये तो उनको रोक दिया गया और कहा गया कि जब तक लोकदल की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मुझे यहां रहना है।

मेरी व्यक्तिगत जानकारी में, बलिया में, जनता पार्टी के अध्यक्ष के क्षेत्र में 91 प्रेसाइडिंग अफसरों को इसलिये बदल दिया गया, क्योंकि ऐसे प्रेसाइडिंग अफस ों को जाना था, जो जितायें तो कैसे इस अभिभाषण का समर्थन किया जाय लेकिन कुछ राष्ट्रीय समस्यायें हैं जिनकी वजह से समर्थन देना है वरना यह सरकार इस लायक नहीं है कि एक दिन बर्दास्त किया जाय। इनसे बड़ी पिशाचिनी शक्ति दिल्ली में पैदा हो गयी है। अगर वह पिशाचिनी दिल्ली के तख्त पर न होती तो यहां दफ्तर में बाबू बनारसी दास न बैठते। राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सौभाग्य से भले आदमी सामने बैठे हुये हैं। यादव जी बैठे हुये हैं। यादव जी आप समझायें हम लोग आपको जीवन दान देंगे लेकिन ग ीब को राय देने का अधिकार दें।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि मतदाता सूचियों में बड़ा भारी घपला हुआ है। निवेदन करना चाहता हूं कि जब मतदाता सूचियों में घपला हुआ है और शासन स्वीकार करता है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। नाम किसने काटे कौन जिम्मेदार है। अगर एक क्षेत्र

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर—]

से 70 हजार नाम काट दिये गये तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह आदमी जो वहां से जीता है जीतने के बावजूद हारा है।

तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि शासन को इस पर कुछ निश्चय करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे जनतंत्र को खतरा है। खतरा यह है कि शासन में आने के बाद इंदिरा गांधी ने इच्छा प्रकट की है कि यह विधान सभा भंग कर दी जाय। इसलिये इस अभिभाषण में इस तरफ इशारा होना चाहिये था। वह केवल सरकारी कामों का ही अभिभाषण नहीं है बल्कि उसमें इस खतरे का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था जो कि आने वाला है। इसलिये दिल्ली में इंदिरा गांधी बुनियादी जनतंत्र जिसके लिये हम लोग लड़ें है यह हड़पना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में जनतंत्र के अधिकारों को छीनना चाहती हैं। जनता पार्टी इन दोनों शक्तियों से लड़ना चाहती है इसलिये मैं समझता हूं कि श्री राम नरेश यादव जी, अपने साथियों को समझायेंगे कि वह सही मार्ग की तरफ जायें।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, हम उधर के लोगों को क्या समझायें।

*श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर; इस समय फैजाबाद जनपद में खासकर फैजाबाद तहसील में किसानों की दशा दयनीय है। चकबन्दी की शुरुआत में फैजाबाद में चकबन्दी हुई थी जिससे छोटे-छोटे किसानों को कई चक मिले हैं जिसे चकबन्दी की योजना सुचारु रूप से लागू नहीं हो पायी है। इस संबंध में राजस्व मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया कि फैजाबाद तहसील की चकबन्दी पुनः शीघ्रातिशीघ्र करायी जानी चाहिये। अयोध्या से लेकर टांडा तक माझा क्षेत्र का जैसे पड़ना, रामपुर पुआरी, मौजा बरहटा आदि की पुनः पैमाइश होनी चाहिये। इस संबंध में राजस्व मंत्री ने 1980 में पैमाइश शुरू करवाने का हमारे द्वारा किये गये एसेम्बली क्वीश्चन का जवाब दिया था।

मान्यवर, फैजाबाद में साकेत महाविद्यालय की दशा बड़ी दयनीय है। आज वहां के प्राचार्य और प्रोफेसरों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मिलने आया है। प्राचार्य ने बताया है कि साकेत महाविद्यालय में अराजकता फैली है। सैकड़ों छात्र कट्टा और पिस्तौल लिये पढ़ने आते हैं। इसलिये ऐसी स्थिति के समाधान के लिये शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया था कि फैजाबाद में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और साकेत महाविद्यालय जिसमें 3 हजार छात्रों की जगह इस समय साढ़े 9 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिससे वहां पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है। इसलिये फैजाबाद में आवासीय विश्वविद्यालय की या एक अन्य राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय, क्योंकि अवध विश्वविद्यालय की स्थापना तो जरूर की गयी है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, इस संबंध में मुख्य मंत्री को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसलिये साकेत महाविद्यालय का जबतक विकेन्द्रीकरण नहीं होता तब तक वहां अराजकता फैली रहेगी जो फैजबाद के लिये कष्टदायी है। फैजाबाद अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है जिसके विकास के लिये लिखा पढ़ी चल रही है केन्द्र सरकार ने राम परियोजना अयोध्या के विकास के लिये भेजा था जिसको उत्तर देश सरकार ने केन्द्र को भेजा था लेकिन उस पर आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये इस पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद मंडलीय मुख्यालय है । वहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है जबकि सभी मण्डलीय मुख्यालयों पर मेडिकल कालेज हैं। इसलिये फैजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना होनी चाहिये । और वहां पर जिला अस्पताल में शय्याओं की इतनी कमी है, मेडिकल इन्सट्रूमेन्ट्स की इतनी कमी है, वहां पर रोगियों की चिकित्सा समुचित रूप से नहीं हो पाती। फजाबाद जनपद मंडलीय मुख्यालय होने के कारण अन्य जनपदों से भी रोगी वहां पर आते हैं और उनकी समुचित चिकित्सा नहीं हो पाती ।

मान्यवर, इस समय फैजाबाद में सब से बड़ी समस्या उन गांवों की है जहां फैजाबाद और बस्ती के बीच सरजू नदी बहती है । इस समय करीब 88 गांव फैजाबाद में बस्ती जिले से लाए जा रहे हैं और फैजाबाद से 40 गांव बस्ती में जा रहे हैं । इससे बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। फैजाबाद जनपद में जो किसान हैं उन की खेती बस्ती में चली जायगी जिस कारण वह खेती नहीं कर पायेंगे । इस सिलसिले में फैजाबाद के किसानों का एक प्रतिनिध मंडल माननीय राजस्व मंत्री से भी मिला था और बोर्ड आफ रेवेन्यू की बैठक जो गोरखपुर में हुई थी उसमें यह बात उठाई गई थी । मेरी माननीय राजस्व मंत्री जी से यह अपील है कि फैजाबाद जनपद के किसानों की खेती वहीं रहने दी जाय और बस्ती के किसानों की बस्ती में । यदि इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तो किसानों के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो जायगी ।

आज फैजाबाद में क ोड़ों, हजा ों की संख्या में ट्रक, ट्यूबवेल, डीजल के अभाव में नहीं चल पा रहे हैं, रुके हुये हैं । कई हजारों लोगों ने जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन भी किया डीजल की मात्रा में दिन प्रतिदिन फैजाबाद जनपद में कटौती की जा रही है जिससे वहां के किसानों के सामने गंभीर समस्या पैदा हो गई है । ीक इसी तरह से मिट्टी तेल की समस्या भी वहां पर चल रही है ।

ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कार्य होने चाहिये थे, विकास होना चाहिए था, कुछ तो हुआ है लेकिन काफी मात्रा में नहीं हो पा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत जो सड़के बनाई जा रही हैं उसमें यह नियम बना लिया गया है कि 30 फीट चौड़ी सड़क बननी चाहिए। ग्रामीण अंचलों में जितने ग्राम बने हैं, मस्टर प्लान के अनुसार नहीं बसे हैं । कहीं पर तीस फीट जमीन मिलती है कहीं पर उतनी नहीं मिलती । मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार 20 फीट से 18 फीट सड़क बनवाने की छूट दे और छूट दे कर ऐसे गांवों को जहां पर खाने की समस्या है, राहत पहुंचाये । हरिजनों तथा पिछड़े लोगों को अवसर देना चाहिये ।

मान्यवर, इसी प्रकार संस्कृत और उर्दू भी एक समस्या है । इस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए और दोनों भाषाओं को प्रतिष्ठित स्थान दिया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करता हूं ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य वर्मा जी ने जो औपचारिक रूप से धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उस के पक्ष में अपनी सहमति व्यक्त करने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं ।

मान्यवर, अभी इस धन्यवाद प्रस्ताव पर निरंतर तीन चार सम्मानित सदस्यों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया है । उन को देखने से लगता है कि महामहिम राज्यपाल ने देश और प्रदेश की सही स्थिति का अवलोकन नहीं किया है । आज की जो प्रदेश की स्थिति है वह उसमें दखने को नहीं मिलती । प्रदेश क अन्दर जो कानून व्यवस्था है जो राहत कार्य के नाम पर राहत का जिक्र किया गया है, हो सकता है, मंत्री महोदयों के क्षेत्रों में इन का उपयोग हुआ हो हमारे क्षेत्र में खास तौर पर हमारे जनपद जौनपुर में राहत कार्य के नाम पर कोई भी योजना आज तक नहीं

[श्री अरुण कुमार-]

चली । हो सकता है सरकारी कागजों पर यह देखने को मिल सकता है लेकिन खाद्यान्न योजना और पेय जल योजना, सड़क की योजना या अन्य कोई योजना वहां पर दृष्टिगोचर नहीं होती । अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जनतंत्रीय व्यवस्था कार्य कर रही है । इसमें मुझे शक है ।

संसदीय चुनावों के बाद जनतंत्र के नाम पर ढिढोंरा पीटने वाले लोग जनतंत्रीय व्यवस्था से मुंह मोड़ रहे हैं । जनतंत्रीय मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । जनता की अदालत ने जब उनके पक्ष में फैसला किया था तो फैसला जायज था और जब फैसला जनता ने श्रीमती गांधी के पक्ष में किया तो वह नाजायज हो गया । जनतंत्र तथा जम्हूरियत का नाम लेकर, जयप्रकाश नारायण का फोटो दिखा कर जो लोग इस देश की सत्ता पर बैठ गये थे, वह भ्रम में थे कि सत्ता में बने रहेंगे केवल नसबन्दी का थोथा प्रचार करके, अधिकारियों से साजिश करके और वैदेशिक शक्तियों तथा पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके हमेशा शासन में बने रहेंगे । वे शक्तियां दुनिया के मानचित्र में जो हिन्दुस्तान अपनी प्रतिभा एवं प्रभाव बढ़ रहा था, उसपर कुठाराघात किया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी तत्काल में प्रधान मंत्री के बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश की थी । मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे सरकार में किस लिये बने रहना चाहते हैं ।

आपके साये में नारायनपुर जैसा घृणित कांड घटित हुआ । कोई भी सम्मानित सदस्य वहां की जन भावना को समाचार पत्रों के जरिये से देश की जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वह संजय गांधी ही क्यों न हों तो उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना सर्वथा अनुचित है । यहां पर भाषणों में बहुत ज्यादा दलबदल की बात कही गयीं है उन लोगों के द्वारा जो दलबदल के शिरोमणि चौधरी चरणसिंह के साये में बैठे हुए हैं । उनके मुख से दलबदल की बात करना अच्छा नहीं लगता । चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं । उनके दल की नति है, दलबदल तथा कुर्सी पलट को बढ़ावा देना उनका इसमें क्या योगदान रहा है मैं इसकी अधिक चर्चा नहीं करना चाहता । लेकिन आप इसका अहसास स्वयं करें । कांग्रेस पार्टी जनतंत्र एवं जम्हूरियत पसन्द दल है । किसी भी दल का सदस्य हमारे दल में आना चाहता है तो उस पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती । प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी सियासी पार्टी का सदस्य क्यों न हो लेकिन अगर वह हमारी पार्टी तथा नीतियों में आस्था रखता है और मेरे नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के विचारों में आस्था रखता है तो सहर्ष कांग्रेस पार्टी का दफ्तर उसके लिये खुला हुआ है । यह पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा जाति विशेष की नहीं है और न हम दल बदल का बढ़ावा देने की बात करते हैं । दल बदल की बात वहीं करते हैं जिनका जन्म ही दलबदल से हुआ है ।

मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं क्योंकि जौनपुर जनपद में बादशाहपुर मछली शहर कांस्टीट्यूएंसी में आज तक किसी भी तरह का कोई निर्माण-कार्य नहीं हो सका है चाहे बादशाहपुर में डिपो खोलने की जो भी बात हो या टी० डी० कालेज को विश्वविद्यालय बनाने की बात हो या सड़कों का निर्माण कार्य हो सिंचाई की सुविधा की बात हो । जो भी जम्हूरियत तथा जनतंत्र पसन्द लोग हैं, जो संघीय व्यवस्था की बात करते हैं उन्होंने जनता पार्टी के शासन काल में किसी भी स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराया और जनतंत्र की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया । सूबे में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको निरीक्षण करने हेतु देश की प्रधान मंत्री कल दौरा करने जा रही हैं। उस पर मुख्य मंत्री जी को आपत्ति है कि उनका दौरा नाजायज है, जब कि स्वयं मुख्यमंत्री को जो शर्मनाक घटना घटित हुई है नरायनपुर में उसका निरीक्षण स्वयं जाकर उस जगह करना चाहिये था और इसके लिये उनको शर्म आनी चाहिये । अगर वहां के जनमानस की भावना को देखते हुये वहां के जोर और जुर्म को देखते हुए, वहां के अन्याय को देखते हुए देश की प्रधान मंत्री श्रीमती

गांधी वहां जाना चाहती हैं तो यह कहना कि वह प्रदेश के शासन तंत्र पर हस्तक्षेप कर रही हैं, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल निरर्थक बात है। ऐसी सरकार जिसके प्रति प्रदेश के जनता का विश्वास न रहे उसे शासन और सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज सारे प्रदेश की दुर्दशा हो रही है, प्रदेश के अन्दर कोई कानून और व्यवस्था ही नहीं और अधिकारियों के बढ़ते हुए स्वरूप से सारे कार्य ठप पड़े हैं, तथा निर्माणाधीन कार्य सभी अस्त व्यस्त हैं। शासन नाम की चीज दिखती ही नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि वह जनतंत्र और जम्हूरियत पर विश्वास करती हैं तो इस समय हमारे बीच में उप मुख्य मंत्री बैठे हुये हैं, वे तुरन्त इस सरकार से अपने आप को अलग करके एक मजबूत सरकार बनाने का प्रदेश की जनता से आवाहन करें। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद [XXX]।

श्री अधिष्ठाता--

[XXX] शब्द निकाल दिया जाय।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, जनतंत्र को दुहाई देने वाले कांग्रेस आई के ये लोग केवल 35 प्रतिशत मत प्राप्त कर सके हैं। आज वे लोग जनतंत्र को दुहाई दे रहे हैं जो दिल्ली की थैलियों के बलबूते पर विधान सभाओं में व्यापक रूप से दल-बदल करवा रहे हैं। जनतंत्र की दुहाई वे दे रहे हैं जो चुनी हुई सरकारों की अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के कारण भंग कराने की मांग करने वाले सन् 74 के आन्दोलनकारियों को गैर जनतंत्रवादी बताकर बदनाम करते थे और यह उत्तर देते थे कि चुनी हुई सरकारों को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था इसलिये इमरजेंसी लगाई गई। ऐसे लोग जनतंत्र का नाम नहीं लें तो अच्छा है।

श्रीमन्, मैं कुछ अपनी समस्याओं की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने बुन्देलखण्ड की समस्याओं की उपेक्षा की गई है। आज सारा क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। जो भी फसल किसान ने वर्षा के सहारे बो दी है वह अब नष्ट हो रही है और नहर से पानी भी नहीं मिल रहा है इस वजह से जो फसल बो दी गई थी उसको दूसरा पानी न मिलने की वजह से वह भी नष्ट हो रही है। आश्चर्य की बात है कि जब नलकूप लगाने की हम मांग करते हैं तो कहा जाता है कि यहां से चीफ इंजीनियर ने यह आदेश दिये हैं कि यदि वह नहर के कमाण्ड एरिये के अन्तर्गत आता है तो वहां नलकूप इनकी इजाजत के वगैर नहीं लग सकता है। इसलिये जहां पर 10 साल से आबपाशी नहीं हो पायी है वहां पहले अधिशासी अभियन्ता ही क्लीयरेंस देने के लिए सक्षम था अब नहीं है। जालौन जनपद में मात्र 140 सरकारी नलकूप हैं। प्रशासन ने अपनी क्षमता के अनुसार 40 नलकूप प्रतिवर्ष लगाने की अनुमति मांगी थी लेकिन केवल 10 नलकूप ही लगाने की अनुमति दी है। हमारे यहां सूखे से प्रभावित हुए केवल 4,600 लोगों को ही काम मिला है जब कि बांदा में एक लाख 62 हजार लोगों को काम दिया गया है।

वहां खाद्यान्न का कोटा कम कर दिया गया है। हमारे यहां सिहा ी-दाउदपुर सड़क पर काम हो रहा है। वहां 40 दिन से मजदूरों को गल्ला नहीं दिया गया है जिलाधीश कहते हैं कि अब गल्ले का आवंटन समाप्त हो गया है। हमारा जिला चारों तरफ से डकैतों से घिरा हुआ है 17 जनवरी को आई0जी0 वहां गये थे उन्होंने कहा था कि भले लोग को बन्दूक के लाइसेन्स दिये जायेंगे लेकिन कलेक्टर ने शस्त्रास्त की 2,000 दरख्वास्त कैंसिल कर दी हैं। वहां पुलिस और जनता की मदद से गबरसिंह डकैत मारा गया था। फिर

---

नोट [XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

भी जिलाधीश वहां लाइसेन्स नहीं दे रहे हैं । डाकू उन्मूलन में जनता को हमारा सहयोग करना चाहिये यह पुलिस वाले कहते हैं । तो क्या जनता लाठी लेकर सहयोग करेगी। आई0 जी0 ने भरी सभा में कहा लाइसेन्स मिलना चाहिये और एस0पी0 भी कहते हैं क्योंकि सारा जनपद डकैतों से घिरा हुआ है लेकिन हमारा जिलाधीश धड़ाधड़ लाइसेन्स कैंसिल करता जा रहा है मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब तक वर्तमान जिलाधीश मौजूद हैं तब तक या तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि सारे जिले की बन्दूकों के लाइसेन्स कैंसिल करा दें और जिले की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व प्रशासन या मुख्य मंत्री जी ले लें अन्यथा जिलाधीश को ठीक करें। इसके साथ-साथ मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि एक वर्ष में 10 लाइसेन्स देने वाला कलेक्टर दो हजार दरख्वास्तों को खारिज करता है जब कि चारों तरफ से यह इलाका डाकुओं से घिरा हुआ है । रोज इनकाउन्टर हो रहे हैं । तो क्या लाठी लेकर लोग डाकुओं का मुकाबला करेंगे ।

उद्योग मंत्री जी से मेरा निवेदन है, वह यहां पर बैठे हुए हैं । पहले के उद्योग मंत्री जी ने (लाल बत्ती जलने पर) आपने तो लाल बत्ती जला दी ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आपके 2 मिनट हैं ।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त--

झांसी में एक स्पिनिंग मिल लगी हुई है । उसी तरह की एक बड़ी स्पिनिंग मिल वहां और लगनी है। झांसी में जो सेमिनार हुआ था उसमें एक प्रस्ताव आया था कि एक सूत मिल जालौन में लगायी जाय । मोहन सिंह जी से प्रार्थना की थी जालौन में यह लगे । आप उस प्रस्ताव को देख लें अगर सर्वसम्मत से सूती मिल के लिए प्रस्ताव आया है जो कि 5 करोड़ की लागत से जालौन में लगाया जाता है तो उसे आप स्वीकार करें ।

शिक्षा के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि उरई नगर में हमारे यहां लड़कों के और डिग्री कालेजेज हैं लेकिन आज तक एक भी लड़कियों का डिग्री कालेज सारे जनपद में नहीं खुल सका । उरई में लड़कियों के लिये सरकारी डिग्री कालेज खोला जाय । जालौन के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि एक दो लाख रुपये जमा करा लिये जायं और सरकार वहां डिग्री कालेज खोल दे लेकिन वहां भी नहीं हो रहा है ।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि डीजल और मिट्टी के तेल के अभाव की यहां तमाम चर्चा हुयी। हमने अपने यहां जिलाधीश को कहा कि 4 हजार डुप्लिकेट राशन कार्ड बने हैं ए0 डी0 एम0 ने उनको पकड़ा है और जनता ने गवाही दी । 25 0 दीजिये डी0 एस0 ओ0 कार्ड बना देता है । जिनके पास नलकूप हैं उनको चलाने के लिये डीजल नहीं मिलता है और डुप्लिकेट कार्डों में डीजल का वितरण करके ब्लैक हो रहा है । मेरी चुनौती है कि आप जालौन जनपद में आये और देखें कि जितनी भ्रष्ट व्यवस्था मिट्टी के तेल, डीजल और सीमेंट के वितरण का जालौन में है उतनी शायद ही कहीं होगी ।

अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि मोठ के थानाध्यक्ष के खिलाफ जबरदस्त शिकायत वहां के विधायकों ने की, यही नहीं मुख्य मंत्री जी ने उनके तबादले के आदेश दे दिये इसके बाद भी वह बना हुआ है और भले प्रतिष्ठित लोगों की बेइज्जत कर रहा है यह अशोभनीय है । इन शब्दों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पर मैंने जो संशोधन दिये हैं उन पर आग्रह करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उस पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज इस तरह का प्रस्ताव पहली बार नहीं आया है। पक्ष और विपक्ष की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ती जा रही है और इलाज अपनी जगह बना हुआ है। ज्यों-ज्यों इलाज कर रहे हैं त्यों-त्यों मर्ज बढ़ रहा है। समस्यायें बराबर बढ़ती जा रही हैं। अभिभाषण में जो चर्चायें हैं वह बेकारी, भूमि सुधार, शिक्षा आवश्यक चीजों का अभाव है कानून और व्यवस्था की गिरती हालत है। यह बात पहले भी हुआ करती थी और आज भी हैं। इनमें किसी किस्म का कोई सुधार भ्रष्टाचार की कमी के संबंध में, बेकारी के संबंध में, भूमि सुधार के संबंध में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संबंध में नहीं हुआ है। मान्यवर, इस कुर्सी पर हमारे मुख्य मंत्री जी चाहे बनारसीदास बैठें, चाहे रामनरेश जी बैठें चाहे कल राजमंगल पाण्डे जी बैठ जायं और चाहे परसों नारायण दत्त तिवारी जी बैठ जायें या ऊदल जी बैठ जायें। (व्यवधान) उससे अभी आपको घबड़ाहट न हो। आज समाज और राज्य की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें इन चीजों का इलाज होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कांग्रेस ने कितनी ही कसमें खायीं, महात्मा गांधी की फोटू टांगी, लेकिन वह बढ़ता गया। दूसरे लोगों ने जयप्रकाश जी की फोटू टांगी, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गयी। जब तक बीमारी की सही पहचान और उसकी सही पकड़ न मिले तब तक और इलाज कारगर नहीं हो सकता है। वही हालत सरकारों का रहा है, वह भ्रष्टाचार के जड़ तक पहुंच ही नहीं सकी है। वृक्ष के ऊपर जल डाला जायेगा तो उससे पेड़ को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस देश के आर्थिक ढांचे में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक इन बुराइयों का समाधान निकालना मुमकिन नहीं है।

जब तक वर्तमान आर्थिक व्यवस्था रहेगी, जिसमें इस तरह की लूट करने वालों को सारी छूट रहेगी, कहीं कोई समाजवादी कदम नहीं उठ रहा है, कहीं कोई चेक है ही नहीं, बड़े-बड़े अधिकारी और पूंजीपति तथा सत्ता लिप्त मंत्री चाहे जितना अपना आर्थिक विकास कर लें उसमें कोई रोक नहीं है, ऐसी दूषित व्यवस्था से किसी गरीब का कोई हित होने वाला नहीं है। जब समाज में अर्थ की ही मान्यता रहेगी, तो निश्चित रूप से संपत्ति एकत्र करने के लिये गलत सही रास्ता अपनायेगा। किन्तु जब श्रम की महत्ता होगी तो निश्चित रूप से समाज उस ओर जाएगा और श्रम और श्रमिक का सम्मान होगा। हमारे समाज में मान्यताएं बदल दी गयीं हैं। समाज के लोग श्रम को हेय दृष्टि से देखते हैं, समाज के लोग काम नहीं करना चाहते हैं और जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने का रास्ता नहीं मिल रहा है। प्रदेश के नौजवान आज अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कानून और व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। आपने कालेजों और डिग्री कालेजों में जो मशीनरी खड़ी कर दी है, उसके छात्र रूपी पुर्जे आज समाज में गड़गड़ाहट और हड़कम्प पैदा कर रहे हैं।

भूमि व्यवस्था के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। अन्त्योदय के आंकड़े उसमें 5 लाख से 10 लाख तक के दिये गये हैं, लेकिन यदि आपने इतने लोगों को सुविधा प्रदान कर दी है तो क्या वह स्वावलम्बी हो गये हैं और इस दिशा में प्रदेश की समस्या हल हो गई है। आपको ऐसे बुनियादी कदम उठाने चाहिये जिससे पूरे प्रदेश की बेकारी और भुखमरी की समस्या का कोई निदान निकल सके। इस समस्या को देखते हुए ऐसा लगता है यदि आप भूमि व्यवस्था में कोई शीघ्र परिवर्तन नहीं लायेंगे तो गांवों में भी क्रान्ति और संघर्ष पैदा हो जायेंगे। आज हमारे देश के कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने भी इसके बारे में कहा है कि भूमि व्यवस्था के बारे में क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिए और भूमि, भूमि जोतने वालों को मिलनी चाहिए। दो-दो, एक-एक एकड़ के पट्टों का जो सरकार की तरफ से आवंटन हुआ है, उस पर भी भूमिहीनों का कब्जा नहीं मिला है। सरकार ने इस पर इसके

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन]

लिए कानूनी व्यवस्था की है, लेकिन उसका भी कोई लाभ उनको नही पहुंचा है । आज आपको संघर्षित शक्ति के रूप में खड़ा करना होगा, तब देश की सरकार का ध्यान उधर जायगा । यह सब कांग्रेस या जनता पार्टी से होने वाला नहीं है, न यह लोकदल से होने वाला है । ये केवल दल बदलने वाली पार्टियां हैं, यह केवल अपने चेहरे और टोपियां बदलती हैं । आज कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है, कुछ ऐसी जनता की आकांक्षा है । लोग भगदड़ मचाये हुए हैं, यह भगदड़ मचाने वाले प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते हैं । आज हमारे प्रदेश के सामने जो समस्यायें हैं जैसे डीजल, मिट्टी का तेल और सीमेन्ट नहीं मिल पाती है । यह समस्यायें तभी दूर हो सकती हैं जब हमारे प्रदेश की सरकार का दृष्टिकोण सामाजिक होगा ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जितने लम्बे संशोधनों की सूची प्रस्तुत की गयी है, उतनी लम्बी विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं आयी होगी । अगर वर्मा जी उन समस्त संशोधनों को स्वीकार कर लें तो मैं उनके धन्यवाद के प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लूंगा । ढाई वर्ष पहले जब जनता पार्टी का शासन प्रारम्भ हुआ तो उसका एक मजबूत इरादा था कि देश की और प्रदेश की प्रगति हो, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके । जनता पार्टी का प्रभाव कार्यपालिका पर उतना नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था । इस कारण जनता पार्टी ने जिन योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, वह योजनायें पूरी नहीं हो सकीं । उन योजनाओं में सरकारी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला । सड़कों की बात कही गयी यहां से आदेश गये लेकिन अधिकारियों ने उस काम को पूरा नहीं किया, आदेशों का पालन नहीं किया । मान्यवर, मैं अलीगढ़ जनपद की बात कहना चाहता हूं । वहां पर 10 विधान सभा क्षेत्र हैं लेकिन कुल 8 विद्यालय हैं । संविधान में इस बात का प्राविधान किया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जायगी और डेढ़ किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल तथा 3 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल होगा । हमारा अलीगढ़ जिला 26 लाख आबादी का जिला है, आप उसमें कितने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं । यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

मान्यवर, अब मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं । जो स्थिति बच्चों के शिक्षा की है वही स्थिति प्रौढ़ शिक्षा की भी है । जो क्रूर व्यवहार कांग्रेस ने किया है वही व्यवहार आपकी भी सरकार शिक्षा के बारे में कर रही है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई भी सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चल कर देख लीजिए, कहीं पर कार्य नहीं हो रहा है । मैं भी शिक्षा से सम्बन्धित हूं । शिक्षामंत्री जी से कई बार आग्रह किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई आपकी गिरती हुई व्यवस्था के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं परिवहन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं । हमारे जिले में सिकन्दराराऊ एक स्थान है । वहां पर सड़कों की हालत बड़ी खराब है और उसमें एक साल से गड्ढे हैं । माननीय मंत्री जी कभी परिवहन विभाग की बसों पर बैठकर यात्रा करें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि बसों में यात्रा करना कितना कष्टप्रद होता है । बसों की हालत अच्छी नहीं है । उनकी हालत से तो लाश की गाड़ियों की हालत अच्छी होती है । बसों में 100–150 यात्रियों को भर लिया जाता है जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनमें से किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में लगातार अस्पतालों की कमी रही है, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । बाजादपुर में एक अस्पताल खोलने की बात थी और कल्याण सिंह जी ने वाद कर लिया था, परन्तु वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । हमारे जिले में स्टाकमैनों की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है । माननीय उद्योग मंत्री जी चले गये

हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्लान बना ली है लेकिन मैंने उनकी एक भी प्लान नहीं देखी है। शायद वे केवल कागजों तक में ही सीमित रह गयी हैं, उनका कहीं भी विवरण देखने में नहीं आ पाया है।

जहां तक ला एण्ड आर्डर सिचुएशन के सुधार की बात की जाती है तो जबरदस्ती वहां के अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन उसमें सुधार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है जनता पार्टी और लोक दल की सरकार का प्रश्न है उसमें ढील रही है। मेरी निश्चित राय है कि हरिजनों का आरक्षण रहना चाहिए और पिछड़ी जातियों का भी जो आरक्षण कर दिया गया, वह रहना चाहिए। लेकिन इन मामलों में आज प्रदेश में बड़ी कुन्ठा फैल रही है। अलीगढ़ में ही आरक्षण के विरोध में राजधानी एक्सप्रेस के विषय को लेकर पथराव हुआ था। अग्रड़ी जातियों को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर आप 10 या 15 प्रतिशत का आरक्षण जरूर दें। इस बारे में क्या सुधार किए जाएं आज महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। आज जो लोग सेवाओं में पहुंच गये हैं, उनके प्रोमोशन में शासन ने जो नीति अपनायी है उससे दक्षता और उनकी योग्यता में ह्रास हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उनको प्रवेश में हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन यदि प्रोमोशन में भी यही आरक्षण की नीति रही तो जो प्रदेश का स्तर गिर रहा है, वह निरन्तर गिरता रहेगा।

हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं लेकिन उन्होंने जो पिछले दिनों उर्दू के सम्बन्ध में गलत नीति अपनाई। विद्यालयों में व्यवस्था है कि अगर 5 भी विद्यार्थी होंगे तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने संस्कृत के स्थान पर उर्दू को जैसा उन्हें सदन में आश्वासन दिया था, प्रदेश के हित में संस्कृत का पूर्वस्थान दिलायेंगे, यह मेरा आग्रह है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव किया गया है, उसका समर्थन करते हुए अपने विचार संक्षेप में रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आज सारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में एक ही सवाल है कि विधान सभा कब भंग हो रही है? मध्यावधि चुनाव कब हो रहे हैं? हमारे संविधान के निर्माता, अगर कहीं आज भी स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर व डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद होते, तो वे बताते कि संविधान के निर्माताओं ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि संविधान के संघात्मक स्वरूप में, यदि प्रदेशों की सरकार विपक्ष द्वारा गठित हों और यदि वे सरकारें केन्द्रीय सरकार के अनुकूल न हों तो केन्द्रीय सरकार ऐसा रवैया अख्तियार करेगी कि वह राज्य सरकारों को गिराने के लिए, संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ऐसे तरीके अख्तियार करेगी जिससे वहां पर शान्ति व्यवस्था बिगड़े। उसके खिलाफ कुछ न कुछ आन्दोलन छेड़ा जाय। या वहां का डीजल का कोटा ही काट दिया जाय। अगर देश के प्रधान मंत्री अपने किसी एमिसरी को या अपने दूत को राज्यों में केवल इसलिए भेजें कि भ्रष्ट से भ्रष्ट तरीके अपना कर वहां की सरकारों को गिराया जाय, तो इससे बढ़ कर और क्या बुरी बात हो सकती है। यह हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज वह स्थिति हमारे सामने है। हमारे प्रदेश की विधानसभा चाहे कल ही भंग हो जाय लेकिन आज जो अनिश्चितता की स्थिति सारे प्रदेश में बनी हुई है जिससे कि सारा कामकाज ठप्प होता जा रहा है, समाप्त

[श्री नरेन्द्र सिंह]

होनी चाहिए मैं अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ इन बातों को चैलेंज किया है और कांग्रेस (आई0) के चैलेंज को स्वीकार भी किया है और स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि अगर केन्द्र ऐसा करता है तो वह गलत होगा।

माननीय सोहनवीर सिंह जी ने बड़ौत घटना का जिक्र किया और यह कहा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की मीटिंग में प्राणघातक हमला किया गया, यह बिलकुल गलत है। उनके कुछ साथियों ने उत्तेजनात्मक भाषण किया जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की। छोटी घटना को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। इस बार तो हमारे यहां भी और हर जगह परिवेक्षक नियुक्त किये गये थे। हमारे क्षेत्र बागपत में भी परिवेक्षक काम कर रहे थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव शान्तिपूर्वक हुए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उनका यह भी कहना गलत है कि हरिजनों को वोट नहीं डालने दिये गये।

मान्यवर, मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ बुलन्दशहर, गाजियाबाद तथा अलीगढ़ की तरफ एक मध्य गंगा नहर बन रही है। यह क बड़ी परियोजना है। उसके लिये करीब 500-600 फुट चौड़ी भूमि किसानों की ली गयी है। भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री नारायण सिंह जी ने यह आश्वासन यहां पर दिया था कि जहां-जहां बड़ी परियोजना में जिन-जिन किसानों की भूमि ली जायेगी और जहां-जहां से होकर यह प्रोजेक्ट बनेगा, वहां पर दोबारा चकबन्दी करायी जायेगी। मुझे खेद है कि इस ओर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। इसके अलावा भूमि के लिये जो कम्पेन्सेशन दिया जाना निश्चित किया जाना चाहिये था उसका आधा भी किसानों को उनकी भूमि का नहीं दिया जा रहा है। इससे हजारों किसान बहुत दुखी है। मैं चाहूंगा कि जो आश्वासन भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया था कि दोबारा चकबन्दी करायी जायेगी और उचित कम्पेन्सेशन दिया जायेगा उसे यह सरकार अवश्य पूरा करे।

मान्यवर, एक बात और गन्ने के बारे में मैं कहूंगा। राज्य सरकार ने करीब 23 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में और करीब 22-23 करोड़ रुपये पिछले एरियर्स का भुगतान करने के लिये दिया है, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज एक संकट उत्पन्न हो गया है। शुगर मिलें किसानों को गन्ने का रेट 16-17 रुपये प्रति क्विन्टल दे रही है। इसके विपरीत क्रेशर वाले उनको 20-24 रु0 क्विन्टल तक दे रहे हैं। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि मिलों में गन्ना नहीं पहुंच रहा है और इस कारण मिलें बन्द होती जा रही हैं। सरकार को जिसके लिये कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये ताकि वे मिलें बन्द न हो पाएं। जो रेट गन्ने का क्रेशर वाले दे रहे हैं वही मिल वालों से भी दिलवाया जाये।

मान्यवर, इस बार सूखे के कारण किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा। बिजली भी नहीं मिली। किन्तु फिर भी जगह-जगह नहरों के लिये विभाग द्वारा भारी तावान लगाया जा रहा है। उन सारे तावान को सरकार एक अपने आदेश से विदड्रा कर ले। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। वर्ष 1979 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में समस्त विश्व में मनाया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक शब्द भी विगत वर्ष इसके बारे में या बाल निगम की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। यही नहीं श्रीमन्, हुआ तो यह है कि इस बाल वर्ष में, इस प्रदेश में सरकार का सिर लज्जा से झुक जाना चाहिए। यही नहीं हुआ है, यूनिसेफ संस्थाओं ने इस देश के ग्रामीण अंचलों के नौनिहाल, निरीह बालकों के लिए जो कुछ खाद्य सामग्री भेजे हैं, उनका 70 प्रतिशत काले बाजारों में बिक गया है। इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए यह सरकार उत्तरदायी है और यह सरकार बाल घातिनी पूतना के समान है। 60 प्रतिशत उसका भयंकर दुरुपयोग हुआ है। आज प्रारम्भिक शिक्षा की ऐसी दुर्गति हो रही है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर देखें, तो वहां पर खुले आकाश में लोटते हुए बालकों की कितनी दुर्गति हो रही है और वहां पर 70 प्रतिशत का दुरुपयोग श्रीमन्, खुलेआम किया जा रहा है।

श्रीमन्, मैं सिंचाई विभाग की बात करता हूं तो आश्चर्य आपको होगा। यह सरकार वह सरकार है जिसके पास भारतीय योजना के लिए पैसा नहीं, योजनेत्तर में पैसा नहीं। श्रीमन्, विश्व बैंक के पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है और भयंकर रूप से देश को त्रस्त किया गया है। ड्रेनेज के लिए जो करोड़ों के काम की धनराशि थी मेरी इस सरकार ने महज 15 प्रतिशत व्यय किया है और 85 प्रतिशत धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। जल निकासी योजनाओं के साथ खिलवाड़ करके किसानों को दोहाई देने वाले लोगों ने राष्ट्रद्रोह किया है। श्रीमन्, मैं स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति बताऊं, एक सिडवाइफ के ट्रांसफर को प्रशासन सीधे कर रहा है। मेरी चुनौती है कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी डाक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं, उसमें 80 प्रतिशत पैसे लेकर, घूसखोरी के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं।

भूमि सुधारों की बातें मैं बता दूं। एक वह जमाना था, लार्ड कार्नवालिस की सरकार जब थी, सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी, संचार की सुविधायें नहीं थीं, गांव-गांव जाकर उसने भूमि सुधारों का काम किया। आज चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी नहीं श्रीमन् चक्करबन्दी हो रही है। ऐसे चक्रव्यूह में किसान फंस गया है कि किसानों को चकबन्दी के नाम पर चौपट किया जा रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है। मैंने बार-बार माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना की, लिखित प्रार्थना की, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में कोई भी मंत्री जाकर यह कष्ट नहीं कर पाये कि किसानों की गर्दन काटी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

थोड़ा धीमे बोल। आपकी आवाज माइक पर बिगड़ रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन्, किसानों की गर्दन काटी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

थोड़ा धीमे बोलें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन् नारायनपुर की घटना को देखें। चिड़ियाघर का अजनबी जन्तु जलचर है या पशुपक्षी है? तक्षक सा घोर विषैला है, निर्दय, निशंश, नरभक्षी है। दुर्वंश, दुराचारी, दानव, जो दुरासाध्य, दुर्लक्षी है। अपशब्दों का भण्डार विपुल उत्तर प्रदेश आरक्षी है। श्रीमन्, यह सब चीजें हैं, मैं कहता हूं कि आप अपने गिरहबान में झांक कर अपनी काली करतूतों को देखें।

एक सदस्य--आपने दल बदल लिया है क्या?

श्री अधिष्ठाता--

दल-बदल कर सभी बैठे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जो ष्टाचार की राह में जा रहा है पागल आदमी ऐसी नाव पर सवार हो सकता है। मान्यवर, किसानों को दुहाई देने वाली इस सरकार के बारे में बताना चाहता हूं यू0पी0 शुगर कारपोरेशन में 10 करोड़ रुपये का घोटाला गत 4 महीनों में हुआ है। मान्यवर, इस सरकार ने 280 रु0 कुन्तल की चीनी को 450 रु0 में बिकवाया है। वह दिन अब दूर नहीं है जब आपको जो आपने सत्ता में बैठकर पाप किया है जसका प्रायश्चित करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाना महोदय, भ्रष्टाचार, जो आज ऊंची-ऊंची बातें कर रहे हैं, जो अपने मुंह से हरिश्चन्द्र बने हुए हैं, उनके बारे में आप भी एक साक्ष्य हो सकते हैं। मान्यवर, मुझे अधिक नहीं कहना है मैं केवल इतना कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मुझे विश्वास है कि वह पुराने आदमी हैं लेकिन लगता ऐसा है कि वह इस प्रकार से कुछ सन्तुलन खो बैठे हैं।

एक सदस्य—

कितने में बिके ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी शरीर से भी काफी भारीभरकम हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बोझ से प्रशासन दब गया है, इसलिये मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आप शुद्ध हृदय से आज क्या हो रहा है, देखें। चारों ओर बलात्कार, अपहरण, चीत्कार इस प्रकार की घटनायें इस प्रदेश को कहां ले जाने वाली हैं। इसलिये मैं इन चीजों को आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं कि हर चीज राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखी जाएं। मान्यवर, आशायें तो बहुत की गई थीं लेकिन उन आशाओं का नतीजा क्या हुआ—

"रोशनी मांगी थी चमकी आसमां से बिजलियां,
अब्र रहमत की दुआ मांगी तो शैलाब आ गया।"

न शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय रघुवर दयाल वर्मा ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल क अभिभाषण में सबसे पहले दैवी आपदाओं के विषय में यह कहा गया कि गत 100 वर्षों के भीतर इस प्रदेश ने इस प्रकार के बुरे दिन कभी नहीं देखा था, जिस प्रकार क बुरे दिन सन् 79 में पहले बाढ़ के रूप में फिर सूखे के रूप में इस प्रदेश को देखना पड़ा। इस प्रदेश में 1,081 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि हुई है। इतनी बड़ी हानि पर भी हमारी सरकार ने बड़ी साहस से काम किया और जिन क्षेत्रों में 60 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है वहां पर काश्तकारों के लगान तथा सभी वसूलियां स्थगित कर दी गईं। मान्यवर, इतना ही नहीं जिन क्षेत्रों में गरीब थे और जिनके पास कोई साधन नहीं था उन क्षेत्रों में 20 मैट्रिक टन गल्ला सरकार ने बंटवाया। इसके साथ-साथ ग्रामीण लोगों के मताधिकार और प्रत्येक को लाभ देने के लिए पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 का संशोधन करके 21 वर्ष की अवधि को घटाकर 18 वर्ष की अवधि कर दी। इसी तरह से परिवहन विभाग में परिवहन की आवश्यकताओं की देखते हुए बहुत सी अन्य प्रकार की गाड़ियां चलाने का प्राविधान किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष में इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। मैं उन माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी हमारी सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं दी हैं। इस राष्ट्रीय बाल दिवस में 5 वर्ष के बालक को बस में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी है। इसी तरह से मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो भी कार्य किये हैं, वे इसी धरती पर किये हैं कांग्रेसी शासन की तरह केवल कागजी कार्य नहीं किये हैं। इसी से सम्बन्धित एक उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का देना चाहता हूं। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जो विषम परिस्थितियों का सामना करके मेरी सरकार ने काम किये, वह कोई भी सरकार अभी तक करने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। वहां की पत्थरों की चट्टानों को तोड़कर राजकीय नलकूप लगवाये। बिना बिजली के बिना डीजल के वहां के नलकूप हमारे खेतों में बराबर पानी दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे गावों के क्षेत्रों में भी हमारी सरकार ने कई सराहनीय कार्य किये हैं। अभी सिंचाई के साधन के लिए पांच सीखर भी अनुमोदित किये गये हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम धरती पर किये हैं वह 30–32 वर्ष के शासन-काल में कांग्रेसी सरकार ने केवल कागजों पर ही किये हैं। अब मैं अपने क्षेत्र के लिए यह मांग करता हूं कि इसी प्रकार के सीखर और दे दिए जाएं क्योंकि वहां पर कोई नहरें आदि नहीं हैं, जिनसे सिंचाई का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार के 4–6 ट्यूबवैल और दे दिये जाएं ताकि वहां का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से कायम किया है और मान्यवर, यह जब से लोक सभा के चुनाव हुए हैं तभी से, मैं कह सकता हूं कि कानून और व्यवस्था बिगड़ी है और इन्हीं कांग्रेस के मताधिकारियों द्वारा बिगड़ी है अभी 31 तारीख को आगरे में एक पेट्रोल पम्प वहां के अराजक तत्वों द्वारा फूंक दिया गया और वहां लोग यह नारे लगा रहे थे कि "न जात पर, न पात पर, हर काम होगा इन्दिरा जी की बात पर" और अब जमाना चलेगा संजय की बात पर"। तो श्रीमन्, इस बात से साफ जाहिर होता है कि यह कांग्रेस जनों द्वारा आतंक और गलत बातें व विद्रोह फैलायें जा रहे हैं और इन्हीं के अनुयाइयों द्वारा फैलाये जा रहे हैं। इन सारी बातों का एक ही मसला सामने आया है कि किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था को भंग करो और इन पर आरोप लगाकर इन्हें बदनाम करो। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, महामहिम राज्यपाल ने इस बात का संकेत दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छी व्यवस्था और नये प्राइमरी पाठशालायें व जूनियर हाई स्कूल आदि भी खोले जायेंगे, जिससे गरीब लड़के-लड़कियां लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, इन बातों के देखते हुये यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने काम किया है। हमारी सरकार में छेद नहीं है। हमारी सरकार ने छेद किये हैं तो जमीन में किये हैं जमीन से उन पदार्थों को निकालने की कोशिश की है जिससे जनजीवन को लाभ पहुंच सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं। नैतिक दृष्टिकोण से उसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता है। जबसे मेरी सरकार आयी है तब से जुल्म, बलात्कार आदि बढ़ते गये हैं। भाई-भतीजा-वाद इतना बढ़ गया है कि मंत्रिगण खुल्लमखुल्ला उसमें हाथ दिखलाते हैं। हमारा जिला जैसा सबको विदित है पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत कम नलकूप वहां आवंटित किये गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह]

और जो किये गये वह एक दल विशेष के म0 एल0ए0 के नाम से आवंटित किये गये। क्षेत्र का ख्याल करके आवंटित नहीं किये गये जब मैं इस तथ्य को माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाया तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नलकूप जिलों में आवंटित होते हैं वे विधायकों से पूछकर और आवश्यकता को देखकर लगाये जाते हैं। किसी व्यक्तिविशेष के नाम पर आवंटित करना मुनासिब नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अभी पिछले दिनों सहकारिता विभाग ने हमारे बस्ती जिले में बड़ा जुर्म किया। वहां 5 र चुनी हुई सहकारी समितियां थी, उनके अध्यक्ष थे, उनको बर्खास्त कर दिया, बिना किसी नोटिस के, इसलिये मिस्टर रणजीत सिंह खड़े होने वाले थे, उनको मामूली-मामूली बातों पर बर्खास्त कर दिया। "मेरी सरकार" जो कह रहे हैं, ऐसे आदेश देंगे तो विशेष उत्तेजना फैलेगी। अध्यक्ष को भंग करने के साथ-साथ बस्ती जनपद से 75,80 लोग जो बैंकों में काम कर रहे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह पर, बस्ती पिछड़ा हुआ जिला है, वहां के लोगों को न रखकर बाहर के लोगों को रख दिया गया। यह सरासर बेईमानी की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, माननीय मुख्य मंत्री जी इस मामले को देखें। अगर ऐसा किया गया है जैसी मैं सूचना दे रहा हूं तो उसको ीक करने को कोशिश करें।

डीजल के आवंटन में जो धांधली हमारे जिले में हुई है शायद कहीं नहीं हुई होगी। जिसका मुख्य कारण वहां का जिला प्रशासन और पुलिस है। डीजल के लिए जो डिब्बे रख हैं डिब्बे न रख कर वहां पर ईटें रख दी गयी, सुर्ती की डिबिया रख दी गयी। पुलिस आठ-आठ, दस-दस रुपया लेकर के एक ईट हटा देती थी और उसके स्थान पर डिब्बा रख देती थी मैंने जिलाधिकारी से शिकायत किया, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कम से कम उनको दण्डित कर दीजिए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग जिनका कार्यकाल डेढ़-दो साल बाकी रह गया हो रिटायर होने में, उनको कभी भी जिलाधिकारी के पद पर न भेजा करें। क्योंकि वे लोग वहां की व्यवस्था को नहीं देखते हैं केवल अपने को देखते हैं। बहुत बड़ी धांधले बाजी हो रही है मैंने सुना है कि जिला अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जिनका कार्यकाल डेढ़-दो साल रह गया हो उनको या तो सेक्रेटियेट में रखा जाय या कम्पलसरली रिटायर कर दिया जाय। वह केवल अपनी व्यवस्था देखते हैं जिले की व्यवस्था नहीं देखते है।

एलेक्शन में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसका एक उदाहरण उपस्थित करता हूं। श्री शिव नारायण जी जनता पार्टी के कन्डीडेट थे। उनके एजेन्ट श्री श्रीपति सिंह जब वोट देने गये तो उनको मालूम हुआ कि उनका नाम सूची से काट दिया गया, उनको मृतक घोषित कर दिया गया जो एक कन्डीडेट का एजेन्ट है और 20 साल से उसी मकान में रहता है वह वोट देने जाता हो उसका नाम सूची से कटा हुआ हो। कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं ऐसी गड़बड़ी करने की इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए। अगर जानबूझ कर की गयी है तो यह निन्दनीय अपराधहै और अन्जाने में हुई है तो उनको ठीक करना चाहिए श्री श्रीपति सिंह जब वोट डालने गये तो उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हुआ हूं मुझे मृतक कैसे मान लिया गया बड़ा झंझट हुआ तब वह वोट देने पाये। परिवहन विभाग के बारे में कुछ यहां कहना चाहूंगा। बस की सफाई बिलकुल होती ही नहीं। अभी मैं फैजाबाद गया था, टांडा गया था, वहां की बसों की हालत अजीब थी 4–4, 5–5 घण्टे लगातार चलती रहती थीं कोई स्टाप आ जाय, कोई गांव आ जाये बन्द नहीं की जाती थी। मैंने कहा कि भई बन्द क्यों नहीं करते

डीजल की इतनी कमी है। उन्होंने कहा कि धक्का-पलट वाली बसें हैं। धक्का दें तो चलें नहीं तो नहीं चलेंगी। हर बस धक्का-पलट वाली हैं। बसों की यह हालत क्यों है। मैकेनिक रहता है, फोरमैन रहता है, फिर ऐसी हालत क्यों है। मान्यवर, डीजल इतना महंगा है, हर बस में 7-8 लीटर धक्का-पलट में खर्च किया जायेगा, तो शासन का कार्य कैसे चलेगा ?

खाद्य योजना पर कहूंगा, जो बना रहे हैं। इतने दिन तो बचा ले गये। कोई भूखों नहीं मरा, सरकार धन्यवाद की पात्र है इसके लिये। पंचायत स्तर पर योजना बनाई जा रही है। एक पंचायत अदालत में 9-10 ग्राम सभायें होती हैं, 30-40 गांव होते हैं। एक योजना चलाई जायेगी इतनों के बीच में तो कैसे लोग जिन्दा रहेंगे। यह योजना गांव स्तर पर ही चलाई जाये। इसे अभी बन्द न किया जाये। कम से कम मार्च तक चलाई जाये उसके पहले बन्द न की जाये। यदि इसे बन्द कर दिया गया तो जो लोग गेहूं और चावल खाकर जिन्दा हैं वह बच नहीं पायेंगे।

आरक्षण की नीति पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। सही है या गलत है, आप जानिये। आरक्षण के आधार पर जो पदोन्नति होती है वह गलत है। किसी भी तरह आप संविधान का सहारा लेकर इसकी प्लीडिंग नहीं कर सकते। पांच साल जूनियर है कोई आदमी आप उसकी पदोन्नति कर देते हैं, वह मातहत से आफीसर बन जाता है, सीनियर हो जाता है। पदोन्नति गुणों और सीनियारिटी पर होना चाहिये। वोट इससे आपको भले मिल सकते हैं। वोट के लिये आप क्या कर सकते हैं यह तो आपने संस्कृत वाले मामले में सिखला ही दिया है। आरक्षण हो या न हो यह और बात है, पदोन्नति नहीं होनी चाहिये। अगर आप पिछड़ी जाति को आरक्षण दे रहे हैं, हरिजनों को आरक्षण दे रहे हैं तो दूसरी जातियां जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिये। अगर कोई ब्राह्मण है, लोग उसे पैलगी कर लेते हैं तो उससे उसका रुतबा नहीं बढ़ जाता। अगर वह आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है तो उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। संस्कृत के बारे में आपने कहा था कि आप सूचित करेंगे। अभी तक कोई घोषणा नहीं की गयी।

मिसबरिया थाने के थानेदार की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अराजक तत्वों से मिलकर वह गोल-माल करते रहते हैं, इस पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में डिग्री कालेज हैं, लड़कियों का, जो कई सालों से चल रहा है। बराबर प्रयास कर रहा हूं परन्तु डिग्री कालेज में कोई चहारदीवारी नहीं है। कई वाक्या हो चुके हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसके चारों ओर चहार-दीवारी बनाई जाये। इन शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव है संशोधन का उसका, समर्थन करता हूं।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण जो हमारे हाथ में आया तो उसको पढ़ने के बाद हमने यह सोचा था कि इस अभिभाषण में अकलियतों पर कोई डिस्कशन नहीं है इसलिये इस पर जो संशोधन प्रस्ताव आयेगा, उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन संशोधन का जो प्रस्ताव माननीय राकेश चतुर्वेदी जी ने दिया वह आजाद खयाल के लोगों को गुमराह करता है। लोक दल की सरकार ने एलेक्शन के जमाने में एक पुरानी गल्ती को दूर करने की कोशिश की थी जो कांग्रेस के राज में की गयी थी। मैं खासतौर से लोकदल की सरकार का इस सिलसिले में शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जबान के मसले को हल करने के लिये कदम उठाया। मान्यवर, असल में किसी जबान की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब उसका ताल्लुक रोजी रोटी से जोड़ दी जाय। अगर कोई जबान सिर्फ लिटरेचर तक महदूद कर दी जायेगी, मुशायरों तक महदूद कर दी जायगी तो उस जबान की तरक्की नहीं हो सकती। उर्दू तो इसी प्रदेश में पैदा हुई और इसी प्रदेश में पली और बढ़ी जिसमें हर वर्ग और हर फिरक़े के

[श्री फजलुल बारी]

अफराद का नाम आज भी दरखशां सितारों की तरह ोशन है। उस जबान को कांग्रेस की हुकूमत के 30 सालों के दौरान जिस तरह से जिबह करने की साजिश की गयी लेकिन वह इतनी सख्त जान थी कि जिन्दा रही। लोकदल की सरकार ने एक बार फिर मौका दिया कि उर्दू पनप सके तो भाई राकेश जी को इस पर शिकायत पैदा हो गयी। हालांकि खुद उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो उनकी सेन्ट्रल इक्जीक्यूटिव है उसका भी फैसला है कि हिन्दुस्तान की शुमाली रियासतों में उर्दू को पनपने और बढ़ने का मौका दिया जा सकता है। मान्यवर, मैं आपके जरिये एक बात मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूंगा कि समाज में अगर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है तो उससे देश का निर्माण रुक जाता है। फ्रस्ट्रेशन से तरह-तरह की खराबियां पैदा होती हैं।

30 सालों से चूंकि प्लानिंग कायदे से नहीं हुई इसलिये बेरोजगारी बढ़ी, बे ोजगा ी बढ़ने का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज स्टूडेंट्स यह महसूस कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल अन्धेरे में है। वह जरा जरा-सी बात का बहाना बनाकर चलती गाड़ियां रोक देते हैं, बसों को फूंक देते हैं। यह फ्रस्ट्रेशन असल में इस वजह से पैदा हुआ है कि इनका फ्यूचर डार्क है। ऐसे ही एक कौम के साथ हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की नौकरियों में मुसलमानों के साथ किस तरह का भेदभाव बरता जा रहा है। मैंने एक सवाल किया था कि गोपन विभाग और बीजा सेक्शन में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें द्वितीय और तृतीय श्रेणी में कितने हैं और उनमें मुसलमान कितने हैं। इसका जवाब मिला कि 86 और 11 हैं। बीजा सेक्शन में कोई मुसलमान नहीं है। सिर्फ गोपन में 2 आद ी हैं जो शायद बाद में रखे गये हैं। 97 में सिर्फ 2 आदमी मुसलमान हैं जो बहुत कम है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 32 सालों के गुजरने के बाद भी यह समझा जा रहा है कि कान्फीडेंशल मसाइल, जो गोपनीय चीजें हैं उनमें मुसलमानों को न रखा जाय। ऐसा तो नहीं है कि उनको फिफ्थ कालमिस्ट समझा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उन पर शुबहा किया जा रहा है। इसलिये हर महकमें में इनकी घटती हुई तादाद को बढ़ाने के वास्ते एक प्लान्ड स्कीम बनायी जाय। अगर यह नहीं किया जायगा तो इससे पूरी कौम के अन्दर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा और वह समाज के लिये एक जहर, डेमोक्रेसी के लिये एक अजीम खतरा बन सकता है। इसलिये जमहूरियत के दायरे में रहकर इस मसले को सोचा जाय। इस मसले को एक कौम का मसला न माना जाय बल्कि प्रदेश का अहम मसला समझ कर इस पर तवज्जह दी जाय। मान्यवर, मैंने कई बार मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि पुलिस फोर्स पर जो ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने की जिम्मेदारी है। उसमें आज से 30 साल पहले 30 फीसदी मुसलमान होते थे लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ जगहों में 3 फीसदी, कुछ में 5 फीसदी और कुछ में 1 फीसदी मुसलमान हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके अन्दर से अब काम करने की कूवत घट गयी है जिससे ला एण्ड आर्डर की फोर्स में उनकी तादाद को घटाया जा रहा है। अभी सब-इन्सपेक्टर का सेलेक्शन हुआ है उसकी जो लिस्ट मेरे पास आयी उसको देखकर मालूम हुआ कि फिर भेदभाव बरता गया। इसलिये मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिये कुछ पाजिटिव स्टैप्स उठाये जाने चाहिय। साथ ही मैं कांग्रेस भाइयों से कहूंगा कि वह अक्लियत, दोस्ती की बात मुसलमानों के लिये कहते हैं और उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं। लेकिन 32 साल में नौकरियों में उनकी तादाद घटी है, जुबान का कत्ल हुआ है और एक कौम को रोजी-रोटी से दूर करने का काम किया गया है वह उनके समय में हुआ है। जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने यदि कुछ हमें दिया नहीं तो कम से कम खुशी की बात है कि अपने ढाई साला दौर में कोई नई प्राब्लम नहीं पैदा किया है। इसलिये इस तरह के खोखले नारे लगाकर आवाम को उन्होंने अपनी तरफ खींचने का काम किया है जिससे मैं आवाम को आगाह करना चाहूंगा कि वह किसी गुस्से में भले ही कुछ वोट उनकी झोली में डाल दिये हों लेकिन मुस्तिकबिल में ऐसा नहीं होगा।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा इस सदन म कुछ गम्भीर चर्चा और कुछ अच्छी किस्म की आलोचना करने का समय होता है। संयोग से यह दुर्भाग्य की बात है कि आज इस प्रदेश में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा उस समय हो रही है जबकि कुछ ऐसा वातावरण और घटनायें हो रही है कि जिस प्रकार की आलोचना वास्तव में इस पक्ष के लोग करना चाहते थे उसमें कुछ कमी करनी पड़ रही है। श्रीमन्, आपके माध्यम से श्री राकेश चतुर्वेदी ने जो पहले संस्कृत के बारे में कहा है मैं उसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विषय पर फिर से विचार करें और माननीय बारी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी भाषा को, किसी जुबान को हम तरक्की दें, उत्साहित करें, विकसित करें, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन यदि हमारे दिमाग में यह आये कि किसी दूसरी भाषा को नीचे कर दें, उसमें कमी कर दें, तो वह इस देश के लिए हितकर नहीं होने वाला है। मान्यवर, आप जानते हैं कि संस्कृत के मोहताज आज दूसरे देश भी हो रहे हैं। उस सूरत में हमको यदि और कुछ नहीं तो इस देश के रहने वालों की भावनाओं का विचार करना चाहिए। यदि आप एक तरफ यह कहते हैं कि किसी एक वर्ग की भावनाओं को ठेस नहीं लगनी चाहिये मैं दूसरी तरफ बड़ी विनम्रता से उनसे और आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी ध्यान रखिए कि दूसरे वर्ग की भावनाओं को भी, यदि वे भावनायें मात्र हैं ठेस नहीं लगनी चाहिये। इसलिये जो इस विषय में चलती हुई नीति थी उसको ऐसे वक्त में बदलना विशेष तौर पर चुनाव के वक्त में बदलना मुनासिब नहीं था। उसे बदलना नहीं चाहिए था। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस पर फिर से विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वह अवश्य कोई-कोई रुख अख्तियार करेंगे जिसे एक तरफ जो चतुर्वेदी जी संतुष्ट हों और दूसरी तरफ बारी जी।

इसके बाद एक दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक तो यह कि जहां तक मैं रचनात्मक आलोचना करना चाहता था उसका अवसर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बात सिर्फ आपके माध्यम से जिसमें सदैव कहता आया हूं और कहते नहीं थकूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में आपने यह तो लिखा है जो पिछड़े क्षेत्र हैं और उसमें यह भी कि बुन्देलखण्ड के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। मैं फिर नम्रता के साथ विश्वास दिलाता हूं कि यह सही नहीं है। बुन्देलखण्ड जिस तरह से उपेक्षित रहा है आज भी उपेक्षित है। वहां पर जिस तरह से सिंचाई की कमी रही है वह आज भी है। यह सही है कि उसकेलिए कुछ प्राकृतिक कठिनाई है यह उसका दुर्भाग्य है जिसकी वजह से जितनी आसानी से इस सुविधा को आप दूसरे क्षेत्रों में उपलब्ध करा पाते हैं उतनी आसानी से इस क्षेत्र में नहीं करा पाते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस तरफ कोई ध्यान न दिया जाय। आप देखते हैं कि जो विकसित देश हैं---यह उनकी मेहरबानी नहीं है उनका कर्तव्य, दायित्व है--उन्हें जो अविकसित देश हैं उनकी यथासंभव दूसरों के मुकाबले अधिक सहायता करके उन्हें बराबर लाने की कोशिश करनी है।

इसी प्रकार मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा (बिजली के चले जाने पर) श्रीमन्, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। (बिजली के आने पर) मान्यवर, समय की कमी है इसलिए मैं जो बात आपसे कह रहा था उनको अधिक विस्तार से न कह कर दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक बात यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि बुन्देलखण्ड में विशेष रूप से इस बात को देखें कि कहां-कहां पर पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नरायन]

की सुविधा उपलब्ध की जा सकती है । मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी स्वयं जाकर निवेदन किया है । आपको क्या विश्वास होगा कि महोबा क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल नहीं दिया गया और क्योंकि किसी ने एक नक्शा बना दिया है कि इस जगह ट्यूबवेल कामयाब नहीं होंगे इसलिये कोई सुनने को तैयार नहीं है हालांकि किसी ने खुशामद करके इंजीनियर साहब को खुश करके अगर कोई ट्यूबवेल बनवा दिया तो देखने में यह आया है कि वह कामयाब हो गया है । दूसरे यह जो विद्युत् परिषद् है इससे जितना नुक्सान हो रहा है उतना किसी दूसरे से नहीं हुआ है । अगर दो घण्टा देने की बात यह परिषद् करती है तो एक घण्टा बिजली नहीं दे पाती हैं । इस पर आपको विशेष ध्यान देना है और इसमें कोई न कोई सख्त कदम उठाना है ताकि जितनी बिजली पैदा होती है उसके वितरण में व्यवधान पैदा न हो क्योंकि इसमें जोभ्रष्टाचार होता है उससे मस्तक शर्म से झुक जाता है ।

जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है इसमें कोई शक नहीं है यह संतोषजनक नहीं है, किसी भी जगह संतोषजनक नहीं है लेकिन कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह जो गम्भीर चिन्तन की परिस्थिति पैदा हो गयी है उससे कहीं अधिक इस देश में संविधान की रक्षा की आवश्यकता हो गयी है । अब ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था किसी हालत में अब सुधर नहीं पायेगी क्योंकि अपने मक्सदों को हासिल करने के लिये कानून व्यवस्था को अगर हथियार बना लिया जाय तो फिर कैसे उसे कायम रखना संभव हो पायेगा । यदि प्रधान मंत्री और उनके सुपुत्र यहां की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहें तो दुनिया में उसको सुधारने वाला कौन हो सकता है ? फिर यह असंभव है कि उसे सुधारा जा सके । एक तो यह है कि कानून व्यवस्था खराब है इसलिये सरकार बदल दी जाय लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि क्योंकि सरकार बदलना इसलिये कानून व्यवस्था को खराब कर दिया जाय । इन दोनों में बड़ा अन्तर है और आज खुल्लमखुल्ला इस प्रदेश में यही हो रहा है जिसका मक्सद यही है कि कोई न कोई बहाना लेकर, बहाना न हो तो उसे पैदा किया जाय, इस सरकार को खत्म किया जाय । माननीय सेहरा जी ने भी आज कुछ कहा था कि आप जिला जज को बदल सकते हैं । उनको मालूम होना चाहिये कि मुख्य मंत्री के यह अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि वह किसी मुकदमें को उठा कर दूसरी जगह भेज दें । यह बड़ी आसानी से किया जा सकता है हाई कोर्ट में केवल एक दरख्वास्त दे दी जाय । यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे ले जाये लेकिन उसके नाम पर यहां उपद्रव किया जाय, यह नहीं होना चाहिये । दूसरे हमारे गुलाब सेहरा जी कुछ भविष्य की बातें भी कहा करते हैं जो ज्योतिषी की तरह होती हैं । उन्होंने कुछ इस तरह की इच्छा व्यक्त की कि वह इस तरफ बैठे हुए लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं कदाचित उन्होंने आज कुछ देख लिया होगा तभी ऐसा कह रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

(श्री भवगती प्रसाद सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है । आपने इसी पीठ से यह आश्वास दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री और उनकी सरकार वोटिंग के पहले संस्कृत के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वे समय के बारे में आपको बता देंगे ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपको 2 मिनट का मौका दे देंगे लेकिन आप इस तरह से समय न लें।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जनता पार्टी ने अपने प्रथम चरण में ही, जो उपलब्धियां पायी हैं वह नितान्त सराहनीय हैं। तानाशाही के विरोध में जनता पार्टी ने पुन: जनतंत्र की स्थापना की है। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह अपने किस्म की एक घटना है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ चीजें रखीं हैं। मान्यवर, एक-एक चीज को आप ले लें। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मजदूरों को राहत देने के लिये सरकार ने जो योजना बनायीं थी वह बिलकुल अधूरी ही नहीं बल्कि बिलकुल वह फेल हो गई है। इसके हमारे पास सबूत हैं। जनता सरकार की तरफ से 100 घनफुट पर 60 0 दिया गया। यह चीज मैं ठेकेदार से लाया हूं। मान्यवर, मैं मानता हूं कि देश में डीजल की कमी है, वह उपलब्ध नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि डीजल के वितरण में अव्यवस्था है। अन्त्योदय प्रोग्राम सरकार की तरफ से लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत हमने करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाई है। मंत्री जी को मालूम होगा कि गरीबों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। जहां तक ट्यूबवेल और नहरों की बात है। हजार करोड़ रुपया तक इस सरकार ने खर्च कर दिया है। कहा गया था कि हम सारे खेतों को पानी देंगे लेकिन इससे इस सरकार के जाते-जाते 35 फीसदी ही सिंचाई की सुविधा दे सकी है। मैं सेहरा जी की बातों को सुन रहा था। वे बड़े गौरव के साथ ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं। उसके बारे में आज भी कुछ सदस्यों ने कहा है। मैं यह भी मानता हूं कि सरकार की कुछ कमजोरियां हैं लेकिन जो उपलब्धियां जनता पार्टी की सरकार के अन्दर हुई है उनको नकारा नहीं जा सकता है। देश की प्रधान मंत्री देवरिया जाने वाली हैं। मैंने पूर्व के मुख्य मंत्री जी से भी कहा था हमारे क्षेत्र के 35 हरिजनों को पिछले महीने बुरी तरह से पीटा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप माइनोरिटी की बात करते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, जहां उनकी सरकार थी। वही बात मैं आज सेहरा जी से पूछता हूं। नारायण दत्त जी तो [ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह शब्द वापस लें। संजय गांधी का नाम न लें। यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

कहा जाता है--संजय गान्धी हमारे नेता, संजय गांधी हमारे नेता। मैं सेहरा जी से पूछता हूं कि आप यहां 425 सदस्यों पर कैसे दबाव डाल सकेंगे..... (व्यवधान) मुझे असली बात कहने दीजिये। मान्यवर, मैं सेहरा साहब को दावत देता हूं कि आप जरा बंगाल और त्रिपुरा की धरती पर गुंडई कराकर देखें। आप सरकारों को गिराने की बात करते हैं। हिन्दुस्तान की 60 करोड़ जनता से आपको लड़ना पड़ेगा। मैं जनता पार्टी और अपने लोकदल तथा अन्य जनतांत्रिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको जनतंत्र की रक्षा करनी है तो सब दलों को इस मुद्दे पर एक जुट हो जाना चाहिये और इसका मुकाबला करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्रीमती रामरति देवी का नाम पुकारने पर और कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

रामरति जी आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बाकी माननीय सदस्यों को सप्लीमेंटरी पर बोलने का मौका मिलेगा। अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

*श्रीमती रामरति देवी--

उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनेअभिभाषण में बाढ़ और सूखे पर वक्तव्य दिया मुझे उनके अभिभाषण पर बहुत संतोष हुआ। इसलिए सरकार द्वारा जो भी कदम उस संकट की घड़ी में उठाया है वह उचित है। हमारी सरकार ने पिछली सरकार की तरह सौतेला व्यवहार नहीं किया था। यहां की जनता सरकार ने जनता को समुचित सहायता संकट की घड़ी में जो भी साधन थे उपलब्ध कराये चाहे वह मिट्टी का तेल था चाहे डीजल रहा चाहे नहरों का पानी रहा हो। जिसका परिणाम हुआ कि हमारे किसानों को संकट से उबारा और किसान अन्न का उत्पादन कर पाया जिससे वह अपने जीवन की सामग्री जुटा पाता है और उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। इस तरह जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाये वह सराहनीय थे जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। मान्यवर, वह राजनीतिक दल जो बड़ी ऊंची आवाज में अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार हो गई तो गैलरियों में बैठे लोगों को सुनायेंगे कि अब हमारी आवाज को जनता सुन रही है। ऐसी बात नहीं है जनता के सम्मुख जो कदम जनता सरकार ने उठाये हैं उसको गांवों की जनता जानती है और स्वीकार करती है कि जनता सरकार ने गांवों के लिए ज्यादा काम किया है। आज शहरों की अपेक्षा ज्यादा साधन गांवों को उपलब्ध कराये गये हैं। जनता पार्टी ने जो नारा दिया था वह सही रूप में करके दिखाया।

आज यह राजनीतिक दल भेदभाव और अन्यायपूर्ण बात करता है। वह कभी नारायणपुर की बात करते हैं कि इस सरकार द्वारा यह काम हो रहा है और कभी कहते हैं कि फलां जगह फलां कांड हो रहा है और इस सरकार का काम ढीला है। मैं कहना चाहती हूं कि 30 वर्षों तक आपने किस तरह डंडों के बल पर सरकार चलाई। वह आपका ही जमाना था कि गाजीपुर में शेखपुरा कांड हुआ जिसमें 7 हरिजनों को जिंदा मिट्टी तेल डाल कर फूंक दिया गया। उस समय आपकी सहानुभूति कहां गई। आज आपकी बड़ी हमदर्दी उनसे है आज हमारे भाई नारायणपुर की बात कहते हैं। जो स्वर्णाक्षरों में अखबारों में छपा था उसको आपने नहीं देखा। आज हमारी प्रधान मंत्री एक महिला की हैसियत से कुर्सी पर बैठी हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय भाइयों से,जो गरीबों के शुभचिन्तक बन रहे हैं, बताना चाहती हूं कि उस समय जब बांदा जिले में एक महिला को जबरदस्ती हल के जुएं में लगाया गया, उनसे हल जुतवाया गया ऊपर से उस पर कोड़े बरसाए गये, तो क्या आपने उसे नहीं पढ़ा था? आज आप उनके साथ बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा अब आप बैठिए और सभी लोग बैठें। जो आज नहीं बोल सके हैं उन्हें बोलने के लिए हम कल सप्लीमेंटरी पर प्राथमिकता दे देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था कि संस्कृत पर कोई वक्तव्य हो जाएगा वह अभी हीं हुआ है, इसलिए आप मुझे एक मिनट का मौका दे दीजिए.....

न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह हो जाएगा ।

(व्यवधान)

अब मैं किसी को मौका नहीं दूंगा ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

चूंकि संस्कृत के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री के भाषण का बहिष्कार करता हूं ।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' सदन त्याग कर चले गये ।)

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार और सुझाव दिये हैं । उसके लिए मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । इतनी बड़ी संख्या में अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन दिये गये हैं, वह इस बात के सूचक हैं कि इस सदन के उभय पक्ष के बैठने वाले सदस्य इस प्रदेश की प्रगति के बारे में चिन्तित हैं और वह अपने अपने क्षेत्रों के बारे में विशेष रूप से आतुर हैं, कि जल्दी से जल्दी उनका विकास किया जाए । एक माननीय सदस्य ने, जो मैं समझ सकता हूं बड़े उत्साह के साथ उन्होंने सरकार की बहुत सी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । अगर सरकार में त्रुटियां नहीं रहेंगी और उसमें पूर्णता आ जाएगी, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, वह गवर्नमेंट ही हो ? जाएगी और गांधी जी जिसको कहते थे 'विलीन' तो ऐसी गवर्नमेन्ट विलीन हो जाएगी । (व्यवधान) जब तक समाज पूर्ण नहीं होगा, उस वक्त तक उस लक्ष्य की ओर बराबर हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे । श्रीमन्, राज्यपाल का अभिभाषण जनता की समस्त आकांक्षाओं की और प्रदेश के सभी कार्य क्रम का कोई कोष नहीं हो सकता है । उसमें अबतक जो उपलब्धियां की गई हैं उनका सिंहावलोकन और अगले वर्ष के लिए हम अपना क्या न्यूनतम कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उसका एक सिर्फ इशारा लिया गया है श्रीमन्, जब आगामी वर्ष का बजट इस सदन के अन्दर प्रस्तुत होगा विस्तार के साथ उसमें आगामी वर्ष की योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा । और अब चूंकि हमारे प्लान बजट का नियोजन का तीसरा वर्ष भी होगा और जबतक उसकी रकम निश्चित नहीं हो जाती उस वक्त तक हमारी इस प्रदेश की क्या अन्तिम वार्षिक योजना होगी, अंतिम रूप से इस के लिए कहना कठिन होगा । हाल के चुनाव के बाद योजना में कुछ परिवर्तन होना बड़ा स्वभाविक है । इस दृष्टि से जब तक नियोजन विभाग और कमीशन से पूरा निश्चय न हो जाये कि हमको कितनी सहायता मिलेगी, हमारे कितने संसाधन हैं यह तो हम जानते ही हैं उसके आधार पर आगे चलकर कोई रूप रेखा बनायी जा सकती है, लेकिन मैं यह गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले ढाई सालों में जो उपलब्धियां हुई हैं वह पिछले सालों की तुलना में ऐसी हैं जिन पर यह सदन गर्व करता है ।

यातायात की सुविधा के बारे में कहना चाहता हूं कि जब इस शासन ने कार्य भार संभाला तो 15,000 किलो मीटर सड़कें थीं और नयी सरकार ने इसको 48,000 किलोमीटर कर दिया। पिछले शासन ने केवल 3 हजार किलोमीटर पक्की सड़कें बनायीं थी और इस शासन ने साढ़े तीन हजार किलो मीटर पक्की सड़कें कर दी है । जो सम्पर्क मार्ग हैं वह 3,000 किलोमीटर थे और इस शासन ने 4 हजार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और 3,000 किलोमीटर पंचायत राज तथा अन्य विभागों के द्वारा सम्पर्क मार्ग बनाये गये हैं । कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है । पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का 4 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था लेकिन 1978–79 के अन्दर साढ़े चार लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था की गयी है । यह दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में इतना बड़ा सूखा पड़ा । मैं माननीय उदित नारायण शर्मा जी

[श्री बनारसी दास]

की भावनाओं से पूर्णतया अवगत हूं और इसको मैंने कमीशन के सामने रखा है। पर्वतीय विकास के लिए तो विशेष रूप से कमीशन ने व्यवस्था की है जहां पर हम 4 प्रतिशत को अपने हिस्से से और 4 प्रतिशत के करीब केन्द्र से जो सहायता मिलती है, उससे पर्वतीय विकास के लिए मिलता है। हम चाहते हैं कि बुन्देल खंड को भी पर्वतीय क्षेत्र की तरह रखा जाय। इसीलिए मैंने 100 नलकूपों के लगाने की व्यवस्था की है और वह 31 मार्च तक बन कर तैयार हो जायेंगे। पानी की अव्यवस्था मैं जानता हूं कि वहां पर अधिक है। जालौन के माननीय सदस्यों ने पानी की व्यवस्था के बारे में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आज इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी बहुत कुछ जिलाधिकारियों की है। मैं जानता हूं कि जालौन जिले में और बुन्देल खंड में आतंकवादियों और डाकुओं का जोर है। मुझे यह सुनकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि जिलाधिकारी ने 2,000 दरख्वास्ते लाइसेंस की खारिज कर दी। 3-4 रोज पहले मैंने वहां के जिलाधिकारी को हटाने के आदेश दे दिए हैं।

श्रीमन्, इसी तरह से हमारे माननीय सदस्य नेम सिंह चौहान ने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा। पर्वतीय क्षेत्र में एक किलो मीटर पर और मैदानी क्षेत्र में डेढ़ किलो मीटर पर पाठशाला होने का लक्ष्य है। कुछ समय पहले सर्वेक्षण किया गया था। उसके आधार पर आशा लगी थी कि इस साल तक 13 हजार पाठशालायें हो जानी चाहिए थीं और 78 तक 7 हजार हों। पिछले वर्ष 600 और 900 प्राइमरी पाठशालायें 31 मार्च, 1980 तक हो जानी चाहिए थीं और जैसे-जैसे हमारे पास धन उपलब्ध होगा, तो जो हमारी 13 1/2 लाख की योजना थी जिससे हमारे प्रदेश में पूरी तरह से सैचुरेशन हो जायगा, इसको भी पूरा कर लिया जायगा।

सूखे की वजह से सारे प्रदेश के अन्दर खास तौर से बिजली का संकट है क्योंकि नहरों और हमारे जलाशयों में पानी कम हो गया है। इसके अतिरिक्त इधर औद्योगिक अशांति और खास-तौर से बिहार से कोयला न आने के कारण ऐसे भी अवसर आये हैं कि हमारे थर्मल पावर हाउस हरदुआगंज और सोहावल में बन्द करने पड़े और आज भी ऐसी स्थिति है कि एक-एक घंटे का कोयला बाकी रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में थर्मल स्टेशन्स का पावर जैनेरेशन भी कम हो गया है और इधर हमारी बिजली की आवश्यकता भी बढ़ गयी है।

इस समय हमारे यहां पर 8 लाख पंपिंग सेट्स डीजल से चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक लाख ट्रैक्टर्स और इन ट्यूबवेल्स के लिए 90 हजार मीट्रिक टन डीजल की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारे ट्रान्सपोर्ट और उद्योगों की आवश्यकता है, इन सब को मिलाकर हमारी आवश्यकता लगभग 1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन की है। नवम्बर मास में हमें केवल 1 लाख 10 हजार मीट्रिक टन डीजल मिला। दिसम्बर में थोड़ा कम हो गया था लेकिन जनवरी के माह म हमें केवल 70 हजार मीट्रिक टन मिला जबकि दिसम्बर में यह हमें केवल 50 हजार मीट्रिक टन ही मिल पाया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे पंपिंग सेट्स को 45 लीटर के हिसाब से ही मिल पाया। मान्यवर, मुझे इस बात का बड़ा ही खेद है कि बाहर इस बात का भ्रम पैदा किया गया जबकि वास्तव में हमारी सप्लाई ही कम रही कि डीजल आयल पश्चिमी जिलों को भेज दिया गया जो एक प्रकार से आक्षेप था। मैंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी पूरे आंकड़ों के साथ इस बात का खंडन किया था। जितने भी वहां पर मुख्य मंत्री आये थे किसी नें भी जिलेवार तालिका नहीं दी। हमारे जिलों में मुगलसराय, कानपुर और इलाहाबाद में पाइप लाइन आती है। हमारे पूर्व के जो जिले हैं जैसे गोरखपुर, बस्ती आदि वहां पर जो वितरण व्यवस्था है वह डीजल एन0 ई0 रेलवे से आती है। इसी प्रकार से हमारे पश्चिम में जो जिले हैं जैसे मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, वे सब ब्रोड गेज से कनैक्टेड हैं। एन0 ई0 रेलवे में वर्क टु रूल के कारण जितना भी हमारा

वितरण गोरखपुर और बस्ती में हुआ वह कभी भी समय से नहीं हो पाया। मेरठ और मुरादाबाद में भी इसी तरह की कमी रही। बरौनी बन्द हो जाने के कारण पाइप लाइन भी करीब-करीब बन्द हो गयी। इसलिए डीजल का संकट पैदा हो गया था। मिट्टी के तेल की भी हमारी कम से कम 50 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता थी लेकिन इसके स्थान पर हमें जनवरी में केवल 30 हजार मीट्रिक टन ही मिल सका। इसलिए वितरण के अन्दर असंतोष रहा। हमने इस बात की कोशिश की सब को कार्डस बनवा दें और उनके द्वारा ही सब को वितरण हो जाय लेकिन जब चीजों की कमी होती है तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हमने इसलिए मीसा का भी प्रयोग किया और इस बात का प्रयत्न किया कि वितरण सही हो सके।

(कुछ सस्दयों के आपस में बातें करने पर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दुर्व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रणाली के खिलाफ है कि इस तरह से एक सभा ....

(व्यवधान)

यह अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री बनारसी दास—

माननीय सेहरा जी ने एक शिकायत यह की कि सन् 1978 के अभिभाषण में इस बात का संकेत किया गया था कि विश्वविद्यालयों की समस्याओं को हल करने के लिये एक गोलमेज परिषद् होगी। मान्यवर, 10 जुलाई को वह परिषद् बुलायी गयी जिसमें उप कुलपति तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधि आदि आये और उस में जो फैसले लिये गये उनको कार्यान्वित कराने के लिये कोशिश की जा रही है।

मैं जानता हूं कि माननीय सेहरा जी की दिलचस्पी उद्योगों में विशेष रूप से है। उन्होंने उद्योगों के बारे में भी बहुत सी शिकायतें की। यह कहा गया कि औद्योगिक आस्थान बिलकुल बेकार पड़े हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि ऐसी बात गलत है। 61 औद्योगिक आस्थान, 900 शेड्स और 2133 प्लांट्स है। 31 मार्च तक 874 शेड्स तथा 1872 भूखन्डों का एलाटमेंट किया जा चुका है। 1930 औद्योगिक इकाइयां काम कर रही है जिसके जरिये 13,766 व्यक्तियों को काम मिल रहा है।

आपने यह शिकायत की कि ब्रासवेयर निगम लगाने के लिये जो प्राविधान किया गया उसमें कुछ नहीं किया जा रहा है। यह भी ठीक नहीं है। हमने सप्लायर फर्म को 217 लाख रुपये की मशीनों आदि के आर्डर्स दे रखे हैं। भवन बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

कालीन उद्योग के लिये भी आपने शिकायत की। देश से जितना निर्यात इसका होता है आज भी उत्तर प्रदेश मे वह सबसे अधिक होता है। यह बात सही है कि बाहर के देशों में हमारा माल कुछ महंगा पड़ता है। इसीलिये हमने भारत सरकार से कोशिश की है कि हमें कच्चा माल मिले वूल आदि और साथ ही आयात निर्यात की सुविधायें भी प्राप्त हों।

हमने हैन्डलूम उद्योग के लिये वस्त्र निगम से जो उनकी आवश्यकतायें हैं उसके लिये मांग की है। एक लाख स्पिन्डल्स बढ़ाये हैं। दो सहकारी सूत की मिल कायम की गयी हैं इसके अलावा जो प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर का कारखाना है वह भी तेजी से कार्य कर रहा है और

[श्री बनारसी दास]

आशा यह की जाती है कि दूसरे साल 500 ट्रैक्टर्स वहां से बनकर निकल आयेंगे। लाल कुंवें में जो कागज का कारखाना लगने की बात थी और जो पहले पानी की कमी की वजह से सिकट होने वाला था, वह अब वहीं लगेगा और इस सबंध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री सेहरा की मुख्य शिकायत यह थी कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं निर्बल वर्ग उत्पीड़ित हो रहा है, कत्ल और डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं, जन जीवन असुरक्षित हो गया है और यह कहा कि इस चुनाव के बाद तो काली घटायें छा गयी हैं। आज तमाम प्रदेश में एक व्यापक आन्दोलन के जरिये अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का निकट का संबंध होता है। यद्यपि सन् 1947 में जिस वक्त इस देश में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी देश को एक रखने के लिये महात्मागांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद आदि इस बात पर सहमत थे। कि एक देश का एक संघ रहे और प्रतिरक्षा, यातायात और डिफेन्स (प्रतिरक्षा) विदेशों के संबंध और फाइनेंस ये केन्द्र में रहे और बाकी रजुडुअरी पावर ये सब राज्यों के अंदर रहे। दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ तो देश की परिकल्पना थी एक ऐसा संविधान जो कि फेडरल और यूनिटी दोनों का सम्मिश्रण हो। एक तरफ देश की आजादी हो और दूसरी ओर इस देश की अक्षुणता को बनाये रखने के लिये केन्द्र को कुछ अधिकार दिया गया। इसलिये प्रदेश की प्रगति के लिये और इस देश की शक्ति को बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार चाहे वह किसी भी दल की क्यों न हो और प्रदेशीय सरकारों के अन्दर कोई भी कंफेक्टशन या मतभेद नहीं है। केन्द्रीय सरकार पर इक्साइज ड्यूटी, इन्कम टैक्स, सरचार्ज टैक्स, पैसेंजर टैक्स, बहुत से टैक्सों के लिए ये फाइनेंस कमीशन्स के अनुसार और संविधान के अनुसार यह प्रदेशीय सरकार आश्रित है और देश का सुनियोजित विकास करने के लिए वहां पर राष्ट्रीय विकास परिषद् जिसमें सभी मुख्य मंत्री होते हैं और साथ ही साथ नियोजन कमीशन की स्थापना की गयी। लेकिन श्रीमन्, शांति व्यवस्था कायम रखना, प्रदेश की व्यवस्था कायम रखना, प्रदेश का विकास करना, यह एक प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है। इस चुनाव के बाद मैं ऐसा देखता हूं, इस बात की प्रवृत्तियां जो पकड़ रही हैं, एक तरफ प्रधान मंत्री कहती हैं कि मेरा यकीन प्रतिशोध की राजनीति में नहीं है, मैं राज्यों के साथ कंफंटेशन नहीं करना चाहती। लेकिन श्रीमन, जिस दिन से चुनाव हुआ है यहां पर जगह-जगह घूमकर यह कहा जा रहा है कि 5 तारीख को फरमान आ रहा है, 7 तारीख को यह सभा भंग होने वाली है। ज्योतिषी ने कहा है 15 फरवरी के बाद तो फिर अशुभ दिन हो जायगा उससे पहले भंग कर दिया जायगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

यह सभा भंग होगी तो लोक सभा भी भंग होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में शान्ति रखें।

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, इन सबका एक मकसद है। यहां के कलेक्टर, यहां के आई0 ए0 एस0 अफसर, यहां के पी0 सी0 एस0 अफसर, जिनका आदान-प्रदान केन्द्र में होता रहता है और उसके नियम और डिसिप्लिनरी रूल्स केन्द्र से संबंधित हैं, उनका मनोबल गिराया जाय और जिस तरह से श्रीमन् 1975 में कमिटेड जूडिशियरी, कमिटेड इक्जीक्युटिव और कमिटेड विधान परिषद् और कमिटेड पार्लियामेंट थी उसी प्रकार से रहे, यह उनका इरादा था। ... (हंसी) ... जब डा0 गाडिगिल मंत्री थी, तो उन्होंने कहा था कि सेवा तो इंद्राणी है यानी सर्विसेज इंद्राणी है और जो भी इन्द्र आता है, उसी को प्रसन्न करता है।

(हंसी)

तो इस निष्ठा को बिगाड़ने के लिए आज जिला मजिस्ट्रेट यह देखते हैं कि कल को शायद हमारे ये आका बनने वाले हैं और इस तरह की प्रवृत्तियां रूल आफ ला को खत्म कर जैसे 1975 में असंवैधानिक और अनकंस्टीट्यूशनल काम संजय गांधी का था, वह एक शहजादा बन गये थे । ..(हंसी).....

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में शांति रखें ।

श्री बनारसीदास—

शहरों का सुन्दरीकरण किया गया आगरा के मन्दिरों को गिराने, वहां की भव्य इमारतों को गिरवाने दिल्ली की इमारतों को गिरवाने में किस के आदेश थे । वही जगमोहन जो बड़ा विध्वंसक था, आज उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करके दिल्ली का लेफ्टीनेन्ट गवर्नर बनाया गया है । श्रीमन्, मैं जानता हूं कि सर्विसेज न किसी दल के प्रति निष्ठावान है न किसी व्यक्ति के प्रति, उन्हें निष्ठावान संविधान के प्रति होना चाहिये । उनकी निष्ठा कानून के प्रति होनी चाहिये लेकिन हुआ क्या । जैसा मैंने प्रधान मंत्री को लिखा, मैं जानता हूं, नरायनपुर की घटना जो हुई वह शर्मनाक थी लेकीन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा मकसद दोषारोपण करने का नहीं बल्कि मैं चाहती थी कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो । इस तरह की पुलिस में भावना न हो कि उनपर कोई अंकुश नहीं । लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रीमती गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शायद ऐसी घटना नहीं हुई । मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं अक्टू- बर सन् 1976 में मुजफ्फरनगर में 13 कैराना में 4 जिनका पता नहीं लगा 8 यह 25 आदमी मुजफ्फरनगर के अन्दर मारे गये थे तो क्या श्रीमती गांधी या श्री संजय गांधी या पार्लियामेंट का कोई डेलीगेशन मुजफ्फरनगर गया था ।

(शेम-शेम की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्ति रखें ।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, सुल्तानपुर की रनखेड़ी जहां 8 आदमियों को 27 अगस्त, 1976 को मारा गया था क्या वह इंसान की जान नहीं थी । क्या वहां पर इससे बड़ी कोई घटना हो सकती है, श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, कहां पर देखने के लिये गई थी । श्रीमन्, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा कि यह वही पुलिस फोर्स है जिसने साइक्लोस्टाइल वारन्ट के जरिये एक नहीं इस सूबे के हजारों आदमियों को गिरफ्तार किया था । यह वही पुलिस फोर्स है जो बेलगाम हो गई थी और जिसके अन्दर भय बाकी नहीं था लेकिन हमने बड़े प्रयास के बाद उनको लगाम लगाया, उनको अनुशासित किया और यही वजह है कि हमारे प्रदेश में पुलिस विद्रोह नहीं हुआ जबकि कर्नाटक, आन्ध्र में सेन्ट्रल पुलिस के अन्दर विद्रोह हुआ । श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि शीशे के महल में रहने वाले लोगों को जरा समझदारी से पत्थर फेंकना चाहिये ।

(मेजें थपथपायी गयी)

जब से दिल्ली में श्रीमती गांधी का शासन कायम हुआ है दिल्ली का जन जीवन असुरक्षित हो गया है वहां पर डकैतियों की भरमार है । महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है । जो बेचारी असहाय महिलाएं हैं, उन पर हमला किया जाता है और वहां के गृहमंत्री जी क्या फरमाते हैं कि सेंसर-शिप तो नहीं है लेकिन जो उपद्रव और टकराव हो रहे हैं तो इन अपराधों को अखबारों में प्रकाशित न किया जाए । (किसी माननीय सदस्य के बीच में बोलने पर) आप तो राजा साहेब हैं आपको इन बातों से क्या मतलब । आप आराम से रात में सोइये । तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब से आई0 जी0 श्री भिण्डर फिर आये हैं, तब

[श्री बनारसी दास]

से अपराध के आंकड़ों में फिर कमी आने लगी है और जब से यह कांग्रेस फिर आयी है, तब से अपराधों की संख्या में फिर से वृद्धि हो गयी है। श्रीमन्, गोहाटी में रेल के अन्दर 40 से अधिक आदमी मारे गये। तो क्या मैं कहूं कि श्री कमलापति त्रिपाठी त्याग-पत्र दें। श्रीमन्, आसाम में प्रेसीडेण्ट रूल है। वहां के लोगों को सताया जा रहा है, वहां के घरों में आग लगायी जा रही हैं, लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इंदिरा कांग्रेस क्या वहां के जन-जीवन की रक्षा करने में कामयाब हो सकी है, तो क्या मैं कहूं कि इन्हें अपना शासन छोड़ देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में श्री गुलाब सेहरा और इनके साथी प्रदर्शन करते हैं और यह मांग करते है कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल में केरल में जो चुनाव हुये हैं; उसके नतीजों को देखते हुये तो क्या मैं यह मांग करूं कि केन्द्र सरकार से कि अब उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। खिचड़ी का दाना एक ही देखा जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांत रह कर सुनें।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, इन्दिरा गांधी का शासन आसाम की जनता की समस्याओं को समझने और सुलझाने में असमर्थ रही है, बिल्कुल असफल रही है तो क्या मेरा यह कहना उचित नहीं होगा कि आसाम की रक्षा करने के लिए वहां की जन-जीवन की रक्षा करने के लिए इंन्दिरा गांधी योग्य नहीं हैं तो अमरीका और रूस को इसके लिए बुलाया जाए। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किसी की जागीर नहीं है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश दिल्ली का सूबा नहीं है और उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर केन्द्र का गुलाम नहीं है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश केवल केन्द्र का एक हिस्सा है और श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे कई प्रदेशों के विभाजन हो गये हैं। नागालैण्ड को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अलग करके, अरुणाचल को अलग करके एक अलग सूबा बना दिया, मेघालय को एक अलग सूबा बना दिया गया। तो क्या मैं यह मांग उठाऊं कि यह कांग्रेसजन जो इस संकीर्णता का प्रदर्शन कर रही है और संकीर्णता से काम ले रही है। तो श्रीमन् मैं पूछना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से जो यहां की सरकार से इस्तीफे की बात कहते हैं, तो क्या उनका ध्यान इस ओर भी जा रहा है। सन् 1977 में अब यह कहा जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांतिपूर्वक सुनें।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में सन् 77 में कांग्रेस को केवल 24 प्रतिशत मत मिले और जनता पार्टी को 68 फीसदी। श्रीमन्, जनता को 70 फीसदी और इन्दिरा को 17 फीसदी बिहार में जनता को 65 फीसदी इन्दिरा गांधी को 22 फीसदी। (व्यवधान) राजस्थान में जनता को 65 प्रतिशत और इंदिरा कांग्रेस को 30 प्रतिशत

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सदन में शांति रखें। मैं कई बार कह चुका हूं। यह माननीय मुख्य मंत्री आंकड़े दे रहे हैं उनको कहीं नोट कर लीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिये

(व्यवधान)

अभी अभिभाषण पर आ रहे हैं

श्री बनारसी दास---

जो लोकतांत्रिक परम्परायें हैं और जिसको कांग्रेस का कल्चर कहते हैं वह किस कदर बदल करके, जैसे गंगा नदी, चल करके कोई पतली धार बन जाती है और कहीं कहीं नाला बन जाती है, यह व्यवहार इस बात का सबूत है। वह महान् परम्परायें आज उसका सबूत दे रही हैं, जिनमें सुनने की क्षमता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब सुनिए।

श्री बनारसी दास--

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस (आई) को केवल 35.9 प्रतिशत वोट मिले और जनता पार्टी को 23 प्रतिशत..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

क्यों व्यग्र हो रहे हैं? अभी सुन लीजिए।

श्री बनारसी दास--

लोक दल को 29 प्रतिशत। श्रीमन्, सिर्फ 4 स्थानों पर कांग्रेस (आई) को 51 प्रतिशत मत मिले, 10 स्थानों में जनता और लोक दल को मिलाकर अधिक वोट मिले। 71 स्थानों में कांग्रेस (आई), जनता और लोकदल दोनों को मिलाकर हारी है। (व्यवधान) श्रीमन्, जो एसेम्बली के सेगमेंट्स थे उनमें 167 लोकदल, 24 जनता, 3 निर्दलीय और 5 सी0पी0आई0 और केवल 95 कांग्रेस (आई) एसेम्बली के क्षेत्रों में जीती है। और 131 में उनकी जीत केवल इस वजह से है कि जनता और लोकदल के वोट बंट गये। तो श्रीमन्, इस बात का वह ध्यान रखें। 1977 का जिक्र करना अप्रासंगिक है। कर्नाटक विधान सभा और आंध्र विधान सभा को यद्यपि 5 साल से ज्यादा का समय बीत गया था, संविधान का दुरुपयोग करके जनता के मैनडेट के खिलाफ उनका कार्यकाल 6 साल किया गया था। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में आस्था रखने वाली जनता सरकार ने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को अल्पमत मिला केवल 20 सीटें मिली थीं और 28 जनता को मिली थीं फिर भी महाराष्ट्र विधान सभा को भंग नहीं किया गया। उस वक्त कांग्रेस सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। उस वक्त जस्टिस भगवती, जस्टिस गुप्ता ने यह कहा था कि प्रेसीडेन्ट को अधिकार है, भंग करने का लेकिन यदि वह अपना निर्णय किसी दुर्भावना से या अन्य कारणों से करता है, तो प्रेसीडेन्ट का आदेश अव्यवस्था होगा। परन्तु जब जनता और सरकार के बीच में अन्तर पैदा हो जाये उनमें सामान्जस्य न हो तो उस दृष्टि से प्रेस मैनडेट हासिल करना उचित है। इसलिये जो तालिका मैंने पढ़कर सुनाई, पंजाब से लेकर बिहार तक कहीं पर भी इन्दिरा गांधी का पता नहीं था।

उस पक्ष के लोगों को कहूंगा कि सन् 67 में राम प्रकाश जी, पंडित उदित नारायण जी जो उधर बैठे हैं, यहां बैठते थे, मैं उस स्थान पर था। कांग्रेस की परम्पराओं में पला था। उस वक्त पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश कहीं भी कांग्रेस शासन नहीं था। मैं इस पार्टी का मुख्य सचेतक था। श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थी। लेकिन वह कांग्रेस जवाहरलाल जी की मर्यादाओं, परम्पराओं के अनुसार थी। उसमें उद्दण्डता, अराजकता की प्रवृति, अशांति की प्रवृत्ति नहीं थी। कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि यह संविद की सरकार भंग कराई जाये। हमने कभी इस बात की मांग नहीं की। हमने कहा कि जनता को पूरा अवसर दिया जाय इनका परीक्षण करने के लिये। तो यह थीं कांग्रेस की परम्परायें।

[श्री बनारसी दास]

आज हकीकत क्या है। रोज-रोज यह कहना कि विधान सभा भंग हो, सूबे की प्रगति में बाधक है। सूबे में शान्ति व्यवस्था कायम रखने में बाधक है। जो लोग इस तरह के आन्दोलन चला रहे हैं वह सूबे की सुरक्षा में बाधक है, सूबे की प्रगति के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं।

आज हकीकत क्या है, मैं जानता हूं। राज्य सभा में करीब 80 आदमी रिटायर हो रहे हैं। जिसमें 4 नामीनेटेड हैं। बाकी 76 हैं। अधिकांश व्यक्ति सन् 74 के चुने हुए हैं। 74 के चुने हुए व्यक्तियों में अधिकांश इन्दिरा गांधी के साथ हैं। तो आज इन्दिरा गांधी और उनके दल को परेशानी क्या है अगर 31 मार्च सन् 1980 को राज्य सभा का चुनाव हो गया तो राज्य सभा के अन्दर फिर उनका पूरा अल्प मत हो जायेगा। यह संविधान को बदलने का जो इरादा है। बंगला देश की तरह पाकिस्तान की तरह जो यूनीटरी फार्म बनाने का इरादा है, यहां की राज्य सभा उस नापाक इरादे पर अंकुश लगा देगी। इसलिये बैचेनी है। कहीं, कहा जाता है नारायनपुर का मामला, कहीं कुछ . . । मैं समझता हूं उस वक्त इन्दिरा गांधी परिपक्व नहीं थी नहीं तो पंडित जवाहर लाल जी को यह सलाह देती कि संविधान में राज्य सभा न हो या ऐसा प्राविधान हो कि लोक सभा में अगर सत्तारूढ़ दल का बहुमत हो जाय तो स्वयं ही राज्य सभा अपने आप ही भंग हो जाये। लेकिन यह तो इन्दिरा जी से भूल हो गयी। इसलिए इरादा क्या है कि किसी तरह से राज्य सभा में हमारा कब्जा हो जाये और यह जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं इसलिए खटकती हैं। जो हमारे संविधान के जनक थे उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि लोक सभा राज्य सभा भिन्न हो सकती हैं। उनकी परिकल्पना में यह नहीं था कि प्रदेश और केन्द्र की सरकार भिन्न भिन्न होंगी। तो कोई भी संविधान उस वक्त तक नहीं चल सकता है जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों की आस्था न हो।

श्रीमन्, हिटलर चुना गया था भारी बहुमत के साथ। पार्लियामेंन्ट के मेंम्बर्स को गिरफ्तार कर लिया। क्रामवेल ने पार्लियामेन्ट में ताला लगा दिया और कहा कि माननीय सदस्य अपने घर जा सकते हैं। लेकिन श्रीमन, आज क्या हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं आन्दोलन चलाओ, इंदिरा हटाओ। मैं इनके विरुद्ध हूं। इंदिरा गांधी को जनता ने चुना है। उनको संविधान के अनुसार 5 साल तक का शासन चलाने का अधिकार है। लेकिन उनको जनता की आजादी के साथ खिलवाड़ करने और मौलिक अधिकारों का हनन करने और प्रदेश की आजादी के अन्दर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। म कहना चाहता हूं कि यह कहना कि उत्तर प्रदेश का जज यहां पर इन्क्वारी नहीं कर सकता है, बाहर से आयेगा। तो क्या हम यह डिमान्ड करेंगे कि केन्द्र सरकार पर हमारा यकीन नहीं तो हमारा फैसला करने के लिए कोई यू0 एन0 ओ0 से आदमी बुलाया जाय? श्रीमन, हमारा नदी जल का विवाद है, यमुना जल का विवाद हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्य मंत्री तो लीक बदल गये तो क्या मैं यह कहूं यमुना के जल का विवाद हरियाणा के साथ मैं इन्दिरा गांधी को सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो शासन कैसे चलेगा?

श्रीमन, आज क्या हो रहा है, सब लोगों ने एक साथ मिल कर इस बात की मांग की कि मतदाता सूचियां रिवाइज की जायं और चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि 15 फरवरी से 15 अगस्त, तक यह सूचियां फिर से संशोधित की जायेगी और पोलिंग वार की जायेगीं। चुनाव नवम्बर से पहले नहीं हो सकते। लेकिन अगर बीच में हो तो इस अपूर्ण सूचियों पर हो सकते हैं। कुछ लोग बातें करते है कि उत्तर प्रदेश में आप की सरकार थी। तो हाईकोर्ट भी हमारे मातहत है तो क्या जज पर हमारा अधिकार है। इसी प्रकार जब कोई मजिस्ट्रेट अपनी जुडिशियल इन्क्वारी करता है क्या उसमें किसी मिनिस्टर को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कन्टेप्ट आफ कोर्ट का मुकदमा चल सकता है मैं खुद कहता हूं कि चुनाव की घोषणा करने के बाद रिवीजन लिस्ट के अन्दर किया गया, बहुत नाम काट दिये गये। तो मैं कहता हूं कि अब अगर चुनाव होते

है तो क्या वजह है कि इस सूची को शुद्ध न किया जाय। अगर 15 अगस्त तक यह लिस्ट बननी है तो रोज यह चर्चा करना कि विधान सभा भंग होगी, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान संविधान के अनुसार प्रेसीडेंट रूल 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है। उसका रेटीफिकेशन लोक सभा और राज्य सभा का अनिवार्य है। राज्य सभा से यह रेटीफिकेशन, यह संविधान पर बलात्कार हो नहीं सकता है। इसलिये अगर संविधान का रेटीफिकशन, अगर प्रसीडेंशियल प्रोकल्मेशन का रेटीफिकशन नहीं हो सकता तो क्यों नहीं इंदिरा गांधी इस बात क लिय उन लोगों पर लगाम लगायें जो इस तरह की अनर्गल बातें बन्द करो। यह हमारे प्रदेश के संबंधों के बीच बाधक है। इस तरह के क्यों आदेश नहीं देती हैं। मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर बतलायें जब कि महाराष्ट्र की विधान सभा भंग नहीं हो सकती है, यू0 पी0 में काफी सीटें मिली हैं तो कैसे भंग कर सकती हैं और हरियाणा के अन्दर जबकि 5 सीटें इंदिरा गांधी को मिली हैं तो वहां की विधान सभा का क्या होगा। कर्नाटक में तो शत प्रतिशत मिली हैं। कहा जाता है कि पश्चिमी जिलों मे मेरठ में जो जाट हैं उन्होंने हरिजनों को आ 'कित कर रखा है, लेकिन हरियाणा में यह जाता रहा है चूंकि वहां भजनलाल ने अपना ईमान बदल दिया, अपना रंग बदल दिया है। हरियाणा में अब हरिजनों का उत्पीड़न नहीं है। यदि यहां भी कोई भजनलाल मिल जाय तो अगले दिन आप समझ लें कि यहां भी हरिजनों का उत्पीड़न बन्द हो जायेगा।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि 1974 में प्रदेश के अन्दर 867 डकैतों से मुठभेड़ें हुई जबकि 1979 में 2792। 1974 में 145 डकैत मारे गये और 1979 में 596 मारे गये।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री बनारसी दास—

कम से कम थोड़ी तो तमीज पार्लियामेन्टरी पद्धति की सीखें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह नये रंग रूट हैं इनको आप कुछ सिखायें।

श्री बनारसी दास—

गुरु गुड़ ही रहे चेले शकर हो गये। तो इसमें बहुत से चेले शकर हो गये हैं।

श्रीमन्, 1974 में नाजायज हथियार 2411 पकड़े गये थे। 1978 में 359 मुठभेड़ें हुईं जिसमें 359 डकैत मारे गये और 4777 नाजायज हथियार पकड़े गये।

श्रीमन्, अपराधों को देखें तो 1974 में रेलों में जो डकैतियां हुई उनकी संख्या है 45, 1978 में 19, 1977 में 18 और 1979 में यह संख्या 15 है और 1974 में ट्रेनों में लूट मार 129, 1979 में 941 रेलों में हत्यायें हुई 1974 में 47, 1979 में 30, बलबे हुये 1974 में 81, 1979 में 61....

श्री अरुण कुमार—

1975 में मजबूरन कुछ काम बंद करना पड़ा कुछ अपराधों को रोकने के लिए और कोई बात नहीं थी।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, हरिजनों को बड़ा स्क्रेपगोट बनाया जा रहा है, वह भी सुन लीजिएगा। सन् 1975 में जो काग्नेजिब्ल अफेन्सेज थे उनके 3485 मुकदमे चले और इस साल 2978 चले। श्रीमन्, आप का यह कहना कि हरिजन सन् 1974 में नहीं मरते थे क्या यह दावा किया जा सकता है। और फिर मैं आप से कहता हूं कि आपका इतना बड़ा प्रभाव है तो आपकी यह तमाम शक्ति सेना कहां चली गयी, क्यों हरिजनों की रक्षा नहीं कर पायी। आप लोग तो महात्मा गांधी के अनुयायी बनते हैं। महात्मा गांधी की तरह से क्यों नहीं आप उनकी रक्षा करने में अपना बलिदान कर पाते।

तो श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अगर अपूर्व गति से, योजनाबद्ध प्रगति होनी है तो हमारा महान दुशमन गरीबी है, बेरोजगारी है। श्रीमन्, यह समझना कि इस चुनाव में हमारा बहुमत हो गया है। इस संसार का दुर्भाग्य यह है कि जब पांडव जाने लगे--प्यासे थे--तो जाकर युधिष्ठर से यक्ष ने पूछा संसार में सबसे आश्चर्यजनक क्या है। युधिष्ठर ने कहा जब लोग प्रत्यक्ष मृत्यु को देख कर यकीन नहीं करते। यही हाल तानाशाही का है। महात्मा गांधी ने कहा कि नैपोलियन स्वप्न देखता था संसार में साम्राज्य का और सेंट हैलनी में कैदी बन गया। जिस वक्त मुसोलिन की मृत्यु का समाचार सुना हिटलर की चाय की प्याली गिर गयी। ऐसा लगता था कि चाय से बिजली की करेन्ट दौड़ गयी और हिटलर ने अपने को और अपने बंदियों को जहर देकर और गोली मार कर खत्म कर दिया। तो श्रीमन् 1977 में उसी तानाशाही का परिणाम था। मैं जानता हूं यहां की संस्कृति जो उत्पीड़ित होता है जनता उसका साथ दे देती है। श्रीमन्, इसलिए इंदिरा गांधी को बरखास्त किया था और आशा यह की जाती थी चाहे हमारी भूल की वजह से हो कि इंदिरा गांधी को एक अवसर मिल गया वह विनम्र थी और अपने बयानों में विनम्रता दिखाई भी थी लकिन उसके बाद से वहीं 1975 की प्रवृत्ति और उसी तरह से उन के सुपुत्र की फिर से यह घोषणा कि उत्तर प्रदेश में, केन्द्रीय सरकार बैठी हुई तमाशा नहीं देख सकती, यहां पर केन्द्र की पुलिस आयेगी जब इस पर भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं इंदिरा गांधी ठीक कहती हैं। संजय गांधी संसद सदस्य हैं। उनको अधिकार है। लेकिन यह संसद सदस्य के उद्गार हैं या सरकार के प्रवक्ता की भावना है पहले मुझको भी सन् 28 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज्य की लड़ाई में भाग लेने का, दूसरी लड़ाई लोकनायक के नेतृत्व में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तीसरी लड़ाई के लिये अन्तिम बलिदान करना होगा। याद रखियगा कि इस देश की जनता प्रदेश के अधिकारों पर इस प्रहार को बर्दाश्त नहीं करेगी।

केन्द्र में जो यह बहुमत है यह काल्पनिक है। विक्टर ह्यूगो ने लिखा है नैपोलियन क्यों पराजित हुआ? वह कहता है कि नेलसन की वजह से या जनरल बूचर की वजह से पराजित नहीं हुआ था बल्कि इसका निर्णय उस अदृश्य शक्ति ने किया था जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जब सत्ता का संतुलन नष्ट हो जाता है और एक मस्तिष्क में सत्ता केन्द्रित हो जाती है तब वह दैव शक्ति कम्पायमान हो जाती है और फिर से वह संसार में संतुलन कायम करती है। उस शक्ति ने नैपोलियन की पराजय का फैसला किया था और संसार की प्रगति के हित में नैपोलियन की पराजय अवश्यम्भावी हुई। विक्टर ह्यूगो कहता है कि विधवाओं के आंसू, कबरों में ठठरियें और अत्याचार ये सब कारण हैं। महात्मा गांधी ने जैसे लार्ड लिलिथगो को लिखा था कि मैंने आपसे अपील की थी वह बहरे कानों पर चली गयी लेकिन मैं उस शक्ति से अपील कर रहा हूं। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं अगर लोकतंत्र का हनन हुआ और संविधान पर बलात्कार किया गया तो यहां की जनता उसका उसी तरह से मुकाबला करेगी और वही परिणाम होगा जो सन् 77 में हुआ था।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, सबसे पहले मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये । मैं समझता हूं कि करीब-करीब मेरे संशोधन पर सबने सहमति प्रकट की है दिल से, लेकिन जबान थोड़ी सी बदल गयी । मुख्य मंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहुत कम बोले विदेश पर ज्यादा बोले और अन्य प्रदेशों पर बहुत बोले । मुझे ऐसा लगा काजी जी दुबले क्यों, शहर के अन्देशे से । विधान सभा भंग के डर से रात को उनको नींद नहीं आती और रात दिन विधान सभा का भूत उनको नजर आ रहा है । इस सदन में भी उनको वही दिखाई दे रहा है । श्रीमन्, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जिन मुद्दों को मैंने उठाया था उन्हें तो मुख्य मंत्री जी बाइपास कर गये । मैंने एक बुनियादी प्रश्न उठाया था लेकिन उनको हटा कर मुख्य मंत्री जी ने राजनीति की बात शुरू कर दी । महाभारत की एक कथा का भी उदाहरण उन्होंने दिया । श्रीमन्, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की भावी नीतियों का निर्देशन करता है कि आगे यह सरकार क्या-क्या करेगी और मैंने यह भी कहा था कि शेक्सपियर की कमेडी की तरह से कि एक प्रहरी आता है राजा आ रहा है, पानी पी रहा है । उसी तरह की स्थिति इस शासन ने आज राज्यपाल की कर दी है । कुछ मुद्दों को मुख्य मंत्री जी ने उठाया है । आप यह बतायें कि सन् 75 के ला एन्ड आर्डर के आंकड़े मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किये । मैं पूछता हूं कि उनको पेश करने से आपको इस समय क्या लाभ है । मैं तो इधर की बात कर रहा हूं । मैं तो मुजफ्फरनगर कांड की बात कर रहा हूं । वहां जिलाधीश ने अपनी पिस्तौल से लोगों को मारा था और आपने उसको प्रमोशन दे दिया . . . .

एक सदस्य—

आपने क्या किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

आपने अपने भाषण में मुजफ्फरनगर कान्ड का जिक्र नहीं किया, आपने बेलछी का कोई जिक्र नहीं किया, स्वदेशी काटन मिल का जिक्र नहीं किया । राम नरेश जी के समय में 58 गोलीकान्ड हुये और 1200 लाठी चार्ज हुये । आप बड़े प्रसन्न हैं । आप कहते हैं कि यह आपका कसूर नहीं है । श्रीमन्, जिस व्यक्ति ने कभी मोटर साइकिल न चलाई हो उसको अगर ले-लैंड का ट्रक दे दिया जाय तो वह कैसे चलायेगा, यह सोचने की बात है । माननीय राम नरेश जी की वही स्थिति है । 10 करोड़ का बजट उनको दे दिया . . . . . (व्यवधान) । जब वे हटे तो हमको ऐसा लगा कि अब बनारसी दास जी आये हैं, हमारे चाचा हैं, नये मुख्य मंत्री हैं, नयी क्रांति लायेंगे लेकिन ऐसा लगा कि :

रंगे महफिल देखने को आये थे हम,
लेकिन होश फिर उड़ने लगे, रंगे महफिल देखकर ।

श्रीमन्, मैं पूरी फाइल लेकर आया हूं । पिछली दिसम्बर जनवरी में जितने भी ला एन्ड आर्डर के केसेज हुये, उसने पिछले सब रिकार्ड तोड़ दिये । "प्रतिशत" की जो बात बार-बार यहां कही जाती है, उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । यह बैन पहली बार देखा कि मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं और जिस तरह से सारंगी के साथ सुरैया होती है, वही स्थिति आज विरोधी पक्ष की हो गई है । विरोध पक्ष की यह स्थिति हो गई । मुख्य मंत्री भाषण दे रहे हैं और मेंजे थपथपाई जा रही हैं । सुरैया का काम कर रहे हैं . . . . . (व्यवधान)

एक सदस्य—

आप अपनी सुरैय्या का नाम बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसा हमको न कहा गया हो। खैर, श्रीमन्, विरोध पक्ष का काम है वह संशोधन दे। आज इस प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी बात हुई है। जो मान्यता प्राप्त दल हैं उसने अपने कर्त्तव्य का वहन नहीं किया और कोई संशोधन नहीं दिया और हमारी बैंचों पर बैठ गये। हमें विरोधी पक्ष की भूमिका निभानी है। हम कहते हैं कि आपने उधर जाना है तो चले जाइये।

हमारेमुख्य मंत्री जी प्रतिशत की बात करते हैं, यह बड़े ताजुब की बात है। वह कहते हैं, हमारे लोकदल को इतने बोट मिले और जनता पार्टी को इतने मिले। श्रीमन्, जरा बताइये यह बोट किस चीज पर मिला था। लोक दल ने बोट मांगा था कि हमारे भावी प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह होंगे और जनता पार्टी ने वोट मांगा था कि हमारे प्रधान मंत्री जगजीवनराम होंगे। अब यह दोनों का प्रतिशत मिला देते हैं और जगजीवनराम और चौधरीचरण सिंह को एक साथ इन्होंने कर दिया। मेरा यह कहना है कि जिन मुद्दों पर बोट मांगा था उसी पर रहें लेकिन वह प्रतिशत की बात करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शांति पूर्वक भाषण सुने।

श्री गुलाब से रा—

नकाब के भीतर उधर बैठने से कोई लाभ नहीं। हम कहते है कि आप इधर मिल जाइये, ताकि बात साफ हो जाय इस सरकार के वायदों को मुख्य मंत्री जी भूल गये "तुम उनके वायदों का जिक्र उनसे क्यों कर गालिब" पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें कहीं थी उनका जिक्र मैंने उठाया था। उस अभिभाषण में कई चीजों की घोषणा की गई थी जिसमें ग्रामीण स्वास्थय रक्षक, भूमि सेना विद्यार्थी यूनियनों के चुनाव आदि की घोषणायें पिछले अभिभाषण में की गई थी उनका जिक्र इसमें नहीं है कि वह कार्यान्वित हुई या नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण पर जिन चीजों का जिक्र हुआ था उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस अभिभाषण में भी घोषणायें हुई हैं उन पर भी मुख्य मंत्री जी मौन हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश में लोक सभा के चुनाव लोक दल के शासन में हुए हैं। उस समय केन्द्र में चौधरी चरण सिंह की मिनिस्ट्री अल्पमत में थी और आज बाबू बनारसी दास की मिनिस्ट्री भी अल्पमत में है।

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

1971–72 में इंदिरा जी की सरकार क्या थी जब वह प्रधान मंत्री थीं।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा कहना है कि इस चुनाव में, लोक सभा चुनाव में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया आप आश्चर्य करेंगे कि जिन हरिजनों ने वोट डालने की कोशिश की उनको गोली से भून दिया गया।

(दर्शक दीर्घा से तौलिया फेंका गया) (व्यवधान)

अकबरपुर में हरिजनों की नृशंष हत्या हो गई आगरा में सोबरन सिंह हरिजन के लड़के के 11 टुकड़े कर दिये गये। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरठ में एक तहसील में मुक्तसर गांव में हरिजनों को इस वक्त भी निकलने नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमन्, मेरठ के फौजीवानी मोहल्ला में हरिजनों को मारा गया, हरिजन महिलाओं को, इतना अधिक मारा गया पुलिस द्वारा कि उसका गर्भपात हो गया। मेरठ में ही सफाई मजदूरों

पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ जिसमें कितने ही बेचारे घायल हुए । बागपत में जबरदस्ती एक व्यक्ति महेन्द्र सिंह को, जिसने ऐलान किया था . . . . . .

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

(इस समय सदन में श्री भगवती प्रसाद सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के बीच परस्पर उग्र वाद-विवाद होता रहा ।)

श्री उपाध्यक्ष--

भगवती प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए, कृपया सदन में शांति रखिये । कृपया बैठिये, यह बड़ा गैर-मुनासिब तरीका है । आपको, जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, तब सदन ने शान्तिपूर्वक सुना, अब इनकी बात सुनिये । श्री भगवती प्रसाद सिंह जी आप कृपा करके गड़बड़ न करें ।

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा कहना यह है कि एक जगह की घटना हो तो कहूं, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की शर्मनाक घटनायें हुई हैं । दौराला, बागपत, छपरौली, सरधना, बिनौली, बड़ौत, किरावली (आगरा) अलीगढ़, मथुरा, कन्नौज, आगरा, मैनपुरी, शिकोहाबाद और करहल अदि तमाम जगहों पर बूथों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है । मंत्रि-मण्डल के सदस्यों ने अधिकारियों से मिलकर यह सब किया है । यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि मंत्रि-मण्डल के सदस्यों ने, यह प्रेस में भी निकला है, अधिकारियों को प्रभावित करके पोलिंग स्टेशनों पर जबरन कब्जा कराया है और हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया । मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं अपके माध्यम से कहना चाहता हूं जनता पार्टी के लोगों से विशेष रूप से कि जाटवों ने जो आपको वोट दिया वह पीटे गये उन पर लाठियां चलाई गईं और गोली बरसाई गई । मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके जिन निरपराध मतदाताओं पर इन लोगों ने इस तरह के तमाम अत्याचार किये और वोट नहीं डालने दिया, आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं । इससे ज्यादा गिरी कोई बात नहीं हो सकती है । वोटर्स इनके, और यह बोल नहीं रहे हैं, और हम इनका पक्ष ले रहे हैं । मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया, एलेक्शन कमिश्नर पर यह आरोप लगा दिया कि एक क ोड़ मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गये । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहां पर लोक-दल की सरकार थी और केन्द्र में भी लोकदल की सरकार थी । चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिये यह जो मशीनरी काम में आती है वह भी आपके पास थी । फिर भी कहा जाता है । कितनी बड़ी जालसाजी की गई कि जो मतदाता सूची राजनैतिक दलों को दी गई उससे उन्होंने वोटर पर्चियां बनाईं और बांटी और जब वही पर्चियां लेकर मतदाता पोलिंग स्टेशन पर गये तो उसका नाम कटा हुआ था । यह बड़ा नियोजित षड़यंत्र था, जिसमें हरिजनों और अल्पसंख्यकों को अपने वोट के अधिकार से वंचित किया गया और जो आपका षड़यंत्र कामयाब भी हो गया । मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे . . . . . .

(कुछ सदस्यों के बीच में बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो प्रजातन्त्र के हामी हैं । बरदाश्त करने का भी माद्दा रखें ।

श्री गुलाब सेहरा--

कुछ लोग आरोप लगाते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी एलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिया । आप देखें, शांति व्यवस्था की बात की गयी बड़े जोर शोर से । हर जिल में हत्यायें, लूटमार, डकैती और चोरियां हो रही हैं । श्रीमन्, डेढ़ महीने के कुछ समाचार-पत्रों की कटिंग्स म लाया हूं और उनको बताना चाहता हूं तो आपको शान्ति व्यवस्था की बात मालूम हो जावेगी ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सेहरा जी आप बैठ जाइये । मुख्तार अनीस जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसका गुलाब सेहरा जी उत्तर दे रहे हैं । परन्तु वह अपने भाषण में जवाब न देकर नयी-नयी बातें उठा रहे हैं । तो उनकी बातों का जवाब देने के लिए हमें भी समय देना चाहिये या तो वह माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण का जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह उत्तर दे रहे हैं । जिसका वह मुनासिब नहीं समझते हैं उसका उत्तर वह नहीं देते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मुख्य मंत्री जी अपने मंत्रियों को व्यवस्था समझायें । वह तो हम लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि संसदीय प्रणाली को नहीं जानते हैं । 7 दिसम्बर का 'आज' है उसमें है अपराधों में वृद्धि, 1 मास में 17 डकैतियां । यह इलाहाबाद का है । दूसरा आप देखें, एक मास में 25 अपराध यह दैनिक जागरण का । 12 दिसम्बर डाकू प्रीतम सिंह द्वारा एक रात्रि में 12 हरिजनों की हत्यायें, यह है स्वतंत्र भारत का । अब आप देखें, 2 वर्षों में चलती ट्रेन पर 42 गार्डों और 62 अन्य लोगों की हत्यायें यह 14 दिसम्बर का 'आज' है । इलाहाबाद का सर्वे निकला है । आप देखें । यह ला एण्ड आर्डर की बात कर रहे हैं । कार्यवाहक अध्यक्ष लोकदल के बारे में समाचार है यह दैनिक जागरण 17–12 का है । राजनारायण जी की अटैची और कई यात्रियों का माल गायब । जब केन्द्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीज कानपुर आये, दिन भर पुलिस उनके साथ रही और रात में उनका ब ुआ गायब । राजनारायण जी की अटैची चली गयी और कह रहे हैं कि ला एण्ड आर्डर बहुत अच्छा है ।

एक सदस्य—

यह आप कब के आंकड़े बता रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

पिछले साल का है । 7 दिसम्बर से जनवरी की है । अमृत प्रभात में 13 दिसम्बर को छपा है कि डाकुओं को संरक्षण देने का मंत्री पर आरोप । इलेक्शन के पहले 88 क्रिमिनल्स को बाहर कर दिया । मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं । चोर की दाढ़ी में तिनके की बात आ गयी ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

आपने पेपर कटिंग में बड़ी मेहनत की है ।

श्री गुलाब सेहरा—

अब आप देखें । चलती ट्रेन मे 2,212 घटनायें, 14 जनवरी का तरुण भारत । आप देखें कि जिलाधिकारी के बंगले पर चोरी हो गयी । सामान चोरी चला गया । मान्यवर, यह पायनियर अखबार है । इसमें लिखा है कि 36 घंटों में लखनऊ में 8 हत्यायें लकिन कोई गिरफ्तार नहीं किया गया । दिनांक 20 जनवरी के स्वतंत्र भारत में लिखा है कि डकैती पड़ी, 2 की हत्यायें हुई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ लकिन कोई पकड़ा नहीं गया । प्रदेश में यह हालत है लेकिन यहां पर ला एण्ड आर्डर की बात बड़े जो ों के साथ कही जा रही है ।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहन सिंह)--

आन्ध्र प्रदेश में जहां पर इनकी सरकार है, वहां पर चुनाव के दौरान कितने मुसलमानों को गोली मा ी गयी और कितने दिनों तक वहां पर करफ्यू लगा रहा ?

श्री गुलाब चेहरा--

मैंने यह तो देखा कि साम्प्रदायिक दंगे होते रहे लेकिन यह कभी नहीं देखा कि 2-2 महीने तक चलते रहे और मंत्रिगण अपने-अपने पदों पर बने रहे । आप अलीगढ़ के मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे पाये । आप का इस कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था । नारायणपुर कांड हुआ । सरकार के मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसमें बलात्कार हुआ । उसके सम्बन्ध में डी0 आई0 जी0 का भी बयान आया .....

श्री मोहन सिंह--

श्रीमान, जो चीजें जुडिशियल इन्क्वायरी के तहत हों, उनके बारे में यहां पर टीका टिप्पणी करना माननीय सेहरा जी को शोभा नहीं देता है । वे अपनी पार्टी द्वारा शासित आन्ध्र प्रदेश की बातों को नहीं कह रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

हां, तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यहां के डी0 आई0 जी0 और एक सचिव वहां पर ग ए थे । जब इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी ो रही है तो आज उनको पूरा विवरण देने का क्या अधिकार था ? वह तो उसको प्रभावित कर रहा है । तो या तो वे सही हैं या आपकी बात गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गये हैं, अब आप और कितना समय लेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, यहां की परम्परा यह रही है कि समय की सीमा तो आप ही निश्चित करते हैं । उत्तर के लिए 15 मिनट से ज्यादा कभी समय नहीं दिया गया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति बड़ी कृपा की थोड़ी सी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी कर लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

5 मिनट का और समय आप ले लीजिये ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में डीजल और कै ोसीन आयल की बात कही और कहा कि दिसम्बर, सन् 79 में इस सरकार को 1 लाख 10 हजार टन लीटर का आवंटन हुआ । उसके बाद 70 हजार टन लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं दिया कि जो कटौती की गयी वह कब हुई । वह 5 जनवरी, 1980 को हुई जबकि चौधरी साहब का शासन था । एक भ्रम फैलाने की दृष्टि से यह कह दिया कि कन्द्रीय सरकार न उत्तर प्रदेश सरकार को डीजल और कैरोसीन आयल कोटे के अनुसार नहीं दिया । इस तरह की भ्रम की बात कह दी (व्यवधान)

[श्री गुलाब सेहरा]

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों की बड़ी बात कही, मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग कुटीर उद्योगों में लगे हुये हैं वे आज भूखों मर रहे हैं, उत्पादन घटा है और विकास की दर घटी है। विद्युत संकट भी आप दूर नहीं कर पाये है। (व्यवधान) जितने भी निर्माण के कार्य हैं वे अधूरे पड़े हैं।

इसके अलावा श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कुछ मुद्दे पहले उठाये गये थे और कुछ इस बार भी उठाये गये मगर उन पर किसी पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। केवल विधान सभा भंग होने तक ही अपने भाषण को सीमित रखा। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि इस सरकार को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह सरकार अल्पमत में है। आज कभी यह किसी का सहयोग मांग रहे हैं तो कभी किसी का मांग रहे हैं। सरकार अगर बहुमत में होती तो क्यों आज तथाकथित मान्यताप्राप्त विरोध पक्ष से सहयोग प्राप्त करने के लिये दिल्ली भागती और कभी माननीय मुख्य मंत्री जी श्री चन्द्रशेखर के पास जाते, कभी किसी के पास जाते। विरोध पक्ष से सहयोग लेने से ही यह सिद्ध होता है कि यह सरकार अल्पमत में है। इस अभिभाषण पर इन भाइयों से कभी पुरानी बातों की याद दिलाकर कभी नयी के लिये माफी मांग कर, तरह-तरह से बातें करके यह सरकार सहयोग मांग रही है। श्रीमन्, जिस दिन यह प्रस्ताव धन्यवाद का रखा गया था उसी दिन यह सरकार अल्पमत में थी और आज भी है क्योंकि यह विरोध पक्ष वाले अभी तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि क्या करें, इनका समर्थन करें या नहीं। (व्यवधान)।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सौभाग्य से हमारे गुलाब सेहरा जी उस स्थान से आते हैं जहां पर कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है। (व्यवधान) इसलिये यह स्वाभाविक है कि उसका असर कुछ होगा और इसी कारण गुलाब सेहरा जी जो मन में आता है, कह जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद जब वे जवाब दे रहे थे तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रधान के पद के चुनाव लड़े जाने की बात कही (व्यवधान) मैं उनको चैलेंन्ज करता हूं, और उनसे यह कहता हूं कि क्या अगर यह बात गलत सिद्ध हो जाये तो वे इस्तीफा देंगे? (व्यवधान) इस तरह की झूठी बातों का एक पुलन्दा बनाकर जो उन्होंने अपने सामने रखा वह सदन को गुमराह करने के लिये लाये थे। (व्यवधान) वे चाहते थे कि सदन को किसी तरह गुमराह किया जाये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी लम्बी-चौड़ी भाषा में इस सदन में भाषण दिया। लेकिन एक शब्द भी अभी तक अपने संशोधन के पक्ष में नहीं कह पाये। मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस माननीय सदन के विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिये है, वह बुनियादी आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला रखने में सक्षम नहीं है और माननीय गुलाब सेहरा बड़े दुखी शब्दों में कह रहे थे कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री गांव के प्रधान भी नहीं बन सके थे, उनको एक बड़े ट्रक का ड्राइवर बना दिया गया। नेता बनने की एक ही परिवार में जो परम्परा नेहरू परिवार की चली आ रही है, उसे तोड़ना है अगर वही परम्परा रहती है, तो देश के गांव के लोग नेता नहीं बनेंगे। माननीय डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि अब देश स्तर के नेता नहीं बल्कि गांव स्तर के नेता ही देश को नेतृत्व देंगे, उसी कड़ी में रामनरेश यादव भी हैं। लेकिन मान्यवर, प्रशासनिक सुधार में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये, जिससे कि गरीबों में होने वाले उत्पीड़न को दूर किया जा सके। कानून के अन्दर समानता का राज्य इस मुल्क में श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में नहीं हो सकता। जब उनके खिलाफ जांच दी गयी और उस जांच अधिकारी ने

जो विवेचना प्रस्तुत की, तो उस विवेचना प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को श्रीमती गांधी ने गिरफ्तार कराया। कानून की परिधि में लाने के लिए यदि कोई अधिकारी किसी तरह से निष्पक्ष प्रयास करेगा, कानून के तहत प्रयास करेगा तो आपके लोग, आपकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें नहीं छोड़ेंगी। यदि कोई निष्पक्ष अधिकारी, आई0 ए0 एस0 अफसर एक गरीब को और एक राजा को एक परिधि से लेकर कार्य करे, तो उसे श्रीमती इन्दिरा गांधी जेल भिजवा देंगी। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि हरियाणा जैसे लोगों को लेकर दलबदलू लोगों को लेकर जेल में बन्द करा देंगी और कानून का पालन करने के लिये आप जैसे लोगों को कानून का पालन करने की बात कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

1976 में जो घटना घटी उस समय केन्द्र में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी और श्री नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश की हुकूमत के मुख्य मंत्री थे। मुजफ्फरनगर में 25 व्यक्तियों की सरेआम हत्या हो गयी। सुलतानपुर में घटना हुई, सतिया जैसा काण्ड हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गयी? कानून की परिधि में इस मुल्क के लोगों को आजादी न देना यह पद्धति किसने इस प्रशासन के अन्दर डाली है। मुख्य मंत्री ने ठीक कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस मुल्क में जब से शासन में आई हैं और जो उनके शासन काल में प्रशासन का ढांचा था उस ढांचे को कमिटेड बनाने के लिए आज आई0 ए0एस0 अफसर को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि श्री गुलाब सेहरा साहब आपने नरायनपुर के काण्ड की तो बात कही है लेकिन यह नहीं कहा कि जैसे ही वह काण्ड हुआ, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया और जो प्रशासनिक कदम उठाना था, वह कदम प्रशासनिक ढंग से उठाया गया। प्रागदर्शन में जिनके खिलाफ मुकदमा बना, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की गयी। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर की घटनाओं में कोई प्रागदर्शन क्यों नहीं बना। आप हमको दोष दे रहे हैं कि 1977 में आपने वहां के कलक्टर को पदोन्नति दी उन्हें दण्ड देना था तो क्यों नहीं कांग्रेसी हुकूमत ने दिया? आप हरिजन के उत्पीड़न के नेता बनना चाहते है। आपने क्यों नहीं कहा कि मुजफ्फरनगर की न्यायिक जांच होनी चाहिये? क्यों नहीं हुई। ऐसे काले कारनामें के लोग, जनतन्त्र के हत्यारे लोगों को इस विधान सभा के अन्दर अपनी धूमिल गरिमा से हटकर कोई बात करने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1972 में फिरोजाबाद में क्या नहीं हुआ, मैं वहां का रहने वाला हूं जब सन् 1972 में कमलापति त्रिपाठी की सरकार थी मुसलमानों पर घोर अत्याचार किया गया, सन् 42 से लेकर इस तरह का इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं हुआ जैसा वहां हुआ। क्या इस की न्यायिक जांच हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी पार्टी के नेतृत्व में न्यायिक जांच कराने के लिये कमलापति त्रिपाठी जी से कहा। कमलापति त्रिपाठी कहते हैं हम न्यायिक जांच नहीं करायेंगे। श्री गुलाब सेहरा से साफ कहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में मुजफ्फरनगर, अमेठी में जो काण्ड हुआ था जहां से उनके राजकुमार श्री संजय गांधी आय हैं, इन्दिरागांधी का हाथ कौन पकड़ रहा था कि सुलतानपुर मुजफ्फरनगर काण्ड की न्यायिक जांच नहीं की जावे, क्यों नहीं कराई। मैं कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र के हत्या कांगी के नेताओं तुम्हारे दोष को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार अल्पमत में है या बहुमत में आज यहां पर अभी सिद्ध होने वाला है, आपको मालूम हो जायेगा, हमारा जो विरोध-पक्ष है वह हमको सैचारिक रचनात्मक सहयोग देगा इस देश की प्रगति और विकास के लिये जो आधारशिला रखी गयी है उसका समर्थन करेगा। आपका जैसा विरोध पक्ष नहीं है कि औपचारिक रूप से विरोध करेगा। दूसरी बात आपने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जनजीवन की किसी प्रगति की कोई रूप रेखा नहीं रखी गई है। प्रदेश में 542 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गई है। 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 पलंगों के अस्पताल के रूप में अपग्रेड किये गये हैं। देहाती जन जीवन में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बहुत

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

बड़ी आवश्यकता है उस देहाती जन जीवन के लिये 900 शैय्याओं का प्रबन्ध किया गया यह सरकार का अभूतपूर्व कार्य है। यह संजय सेहरा चौकड़ी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संजय सेहरा चौकड़ी प्रशासनिक सुधार में आमूल चूल सुधार नहीं दे पायी। श्री गुलाब सेहरा जी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं दे पाये। मैं कहना चाहता हूं श्री गुलाब सेहरा श्रीमती इन्दिरागांधी की गुलामी छोड़कर, श्री संजय गांधी के जूतों को उठाने की बात को छोड़कर अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सन् 1971–72 के आंकड़ों को ले लिया जाय, हमारी सरकार ने सन् 78–79 में प्रति व्यक्ति आमदनी को बढ़ाकर 479 से 509 किया है ऐसे भीषण सूखे और बाढ़ की स्थिति में प्रति व्यक्ति आमदनी को बढ़ाकर अपने आप में एक अनूठा कार्य किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई, लखनऊ में भी इसका गठन हुआ है जिसके माध्यम से देहाती क्षेत्रों में काफी काम किया गया है। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने श्री जे0 पी0, डा0 लोहिया और महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर, उनके पथ-प्रदर्शन से सीखा है। उसी पथ-प्रदर्शन से समाजवादी कार्य उठाने का कार्य-क्रम बनाया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हीं के पथ-प्रदर्शन पर चल कर प्रदेश की जनता का उद्धार करना संभव होगा। जनतांत्रिक जीवन को प्रगति शील बनाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

रघुबर दयाल वर्मा जी, आपका समय समाप्त हो गया है अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सेहरा ने कहा कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। उनको प्रगति के रास्ते से रोका जा रहा है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अक्टूबर से दिसम्बर, 1979 प्रदेश स्तर पर चुनाव के दौरान एक भी रिपोर्ट इस शासन के काल के दौरान कहीं भी दिखाए किसी थाने में दिखाएं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें एक भी रिपोर्ट नहीं है कि लोकदल के लोगों ने हरिजनों को रोका, परन्तु इधर जो रिपोर्ट्स थाने में मौजूद मिलेगी वह कांग्रेस (आई) के उच्छृंखल लोगों के विरूद्ध मिलेगी। कांग्रेस (ई) के लोगों द्वारा कर्मचारियों को मारा पीटा जा रहा है। और अन्य वर्गों के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा थानों में है। परन्तु इसका कि लोक दल के लोगों ने ऐसा किया। कोई रिकार्ड कहीं मौजूद नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जरा धीरज से काम लें। श्रीमन्, आप से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके सामने इस प्रदेश की शकल को बदलने के लिए और अच्छी योजनाओं और अच्छे कामों के करने के लिये कई आयोग गठित किये हैं। उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े हुए इलाकों को उठाने के लिए कई योजनायें और कई कार्यक्रम बनाये गये हैं ताकि पिछड़ी जाति के लोग विकासशील हो सकें। इसी से सम्बन्धित एक कमेटी बनायी गयी है। उस कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल ने प्रस्तुत किया है वह सही मानों में उत्तर प्रदेश का प्रगति का द्योतक है। जिसमें कितने ही क्रियात्मक और क्रांतिकारी कदम उठाये गये हैं। जिससे मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल के इस प्रगतिशील अभिभाषण को मान्यवर, समस्त उत्तर देश सर्वसम्मति से स्वागत करेगा।

श्री गुलाब सेहरा—

माइनारिटी की गवर्नमेन्ट को मैं समझता हूं कि कोई हक नहीं है कि धन्यवाद का प्रस्ताव लाए। (व्यवधान)

(श्री गुलाब सेहरा कांग्रेस (आई) के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं श्री गुलाब सेहरा के संशोधन प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव क पहले, चुनाव क दौरान और चुनाव के बाद, प्रदेश में हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के ऊपर घातक हमले किये जाने तथा अब उन्हें लगातार आतंकित किये जाने और उनकी जान की उत्पन्न खतरे एवं प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो इन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को 23 जनवरी, 1980 को दिया है, कृतज्ञता-पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं प्राप्त हुई है। इसमें मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीराम द्विवेदी और श्री श्रीनारायण की सूचना जो फैजाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर सोहज कस्बे के निकट 2 फरवरी, 1980 को नदी में नाव डूब जाने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया। इस पर बयान 7 फरवरी को सदन में दिया जायगा।

दूसरी सूचनाएं जो श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री गुलाब सेहरा, श्री राम सजीवन तथा श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह ने दी है इन सब को मैंने अस्वीकार किया।

## प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

मद 18, माननीय विद्युत् मन्त्री।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

वह परिषद् में है।

(विद्युत् मंत्री के आने पर)

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

मान्यवर, इस वर्ष अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग बहुत अधिक रही है। राज्य विद्युत् परिषद् तथा शासन की तरफ से पूरे प्रयत्न किये गये कि किसानों को कृषि कार्यों के लिये समय पर तथा उचित मात्रा में बिजली प्रदान की जा सकें। इसके लिये भारी उद्योगों पर तथा शहरों में भी बिजली की भारी कटौती करने में भी सरकार नहीं

[श्री रेवती रमण सिंह]

हिचकिचाई। सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता और पूर्ति के प्रति सदा सजग रही है। औद्योगिक उत्पादन में अवश्य ही कुछ हानि हुई है लेकिन यह कृषि क्षेत्र को वरीयता देने के कारण हुई और सूखे से उत्पन्न विषम स्थिति में इस पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सका।

2—माह नवम्बर तथा दिसम्बर में विद्युत अभियन्ताओं के आन्दोलन को सरकार ने बड़ी सफलता पूर्वक सामना किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में माह नवम्बर में 5 घंटे तथा दिसम्बर में औसतन 4 घंटे बिजली उपलब्ध करायी गई। जनवरी से औसतन 6 घंटे प्रति दिन औसतन बिजली उपलब्ध कराया जा रही है। यह कहना निराधार है कि माह नवम्बर या दिसम्बर में विद्युत आपूर्ति नाम मात्र को भी नहीं रही।

3—फैजाबाद जनपद में कृषि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का केवल 24 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विद्युत अभियन्ताओं के आन्दोलन के कारण उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। लेकिन अन्य दिनों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अच्छी रही और माह नवम्बर का दैनिक औसत उपलब्धि लगभग 4/30 घंटे रही। माह दिसम्बर में दैनिक विद्युत आपूर्ति का औसत 4 घंटे रही। तथा माह जनवरी में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 घंटे बिजली उपलब्ध करायी गयी है कृषकों को निजी नलकूप चलाने हेतु विद्युत नियत दर 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमास से दी जाती है। समरुप लघु उद्योग वाले उपभोक्ताओं को बिजली 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है। यदि कृषकों को प्रति दिन मात्र लगभग 2 घण्टे बिजली मिल जाती है तो इस्तेमाल बिजली का मूल्य 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रति माह से अधिक हो जाती है जबकि कृषकों को इससे कहीं अधिक बिजली दी गयी है। फिर भी शासन ने यह आदेश दिया है कि सूखे से पहले 3 वर्ष का औसत निकाला जाय और यदि बिजली उससे कम दी गई है तो उतने का ही चार्ज किया जाय। यदि उससे अधिक बिजली दी गयी है तो वास्तविक यूनिट का चार्ज किया जाय।

4—राज्य विद्युत परिषद ने यह निर्णय लिया है कि उन निजी नलकूपों/पम्प सेट उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने से रोक दिया जाय जो अपने बकाया विद्युत देयों का 25 प्रतिशत् तुरन्त जमा कर देते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से बकाये का अवशेष धनराशि को वर्तमान मासिक बिलों की धनराशि एवं विलम्ब से भुगतान किये जाने के अभिभार सहित 4 समान मासिक किश्तों में वसूल किये जाने के आदेश भी दिये गये है। यदि कोई कनेक्शन पहिले ही काट दिया गया हो तो उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर उसे पुनः तुरन्त जोड़ दिये जाने के भी आदेश दिये गये है। जिन निजी नलकूप/पम्पसेट उपभोक्ताओं के विरुद्ध ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी की जा चुकी है उसके द्वारा भी बकाया विद्युत देयों का 25 प्रतिशत जमा किये जाने पर रिकवरी सर्टिफिकेट वापस ले लिए जाने तथा उनका कनेक्शन पुनः जोड़ दिये जाने का आदेश दिये गये है।

5—जहां तक फैजाबाद के जनपद के ग्रामीण उपभोक्ताओं के विद्युत -विच्छेदन का प्रश्न है क्षेत्रों के प्राप्त सूचना के आधार पर केवल माह दिसम्बर में लगभग 40 उपभोक्ताओं के विद्युत-विच्छेद हुए हैं। यह संख्या कुल उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए नगण्य है। माह नवम्बर में कोई विद्युत-विच्छेदन नहीं हुआ है। अधिकारियों को आदेश दिये जा चुके है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं पर सौहार्दपूर्ण विचार करके तुरन्त निदान करें जिसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के जन-आक्रोश की घटना शासन के समक्ष नहीं आई।

6—इस सन्दर्भ में यह भी बता देना उचित प्रतीत होता है कि वर्ष 1979—80 में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा औद्योगिक क्षेत्र से लगभग 9350 लाख यूनिट काटकर कृषि क्षेत्र को देने का अनुमान है। इससे राज्य विद्युत परिषद् को कृषि क्षेत्र से किसी प्रकार के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति न होगी जब कि उसे औद्योगिक क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व में लगभग 33.66 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। सरकार ने सदा ही कृषकों के प्रति नरम रुख अपनाया है और उनकी समस्याओं को भली प्रकार से हल करने के लिये कृत संकल्प है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर तक फैजाबाद जनपद में बिजली की सप्लाई नहीं हुई, मैं यह जानना चाहूंगा कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर या इसके अतिरिक्त महीनों में जिन-जिन दिनों में बिजली सप्लाई नहीं हुई उसके बिल न जमा करने के लिये आदेश देंगे ?

दूसरी बात कि माह नवम्बर और दिसम्बर में बिजली आपूर्ति के कारण किसानों ने अपने बिल नहीं जमा किया। उन्होंने यह नारा लगाया कि बिजली नहीं तो दाम नहीं। बाद में उन पर सर चार्ज लगाकर वसूला गया।

(सदन से बिजली चली गयी)

(बिजली आने पर)

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि हड़ताल के दिनों में जब बिजली नहीं रही, उस समय का बिल माफ करें और जो बिल नहीं जमा कर पाये हैं, उनके ऊपर जो सर चार्ज लगाया गया है उसको माफ करने का आश्वासन देंगे?

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, इससे ऐसी परम्परा बन जायेगी कि आने वाले दिनों में कठिनाई होगी। फैजाबाद और इलाहाबाद में यदि ऐसा किया गया तो फिर पूरे प्रदेश में इस तरह की प्रक्रिया हो जायगी। मैं मित्रसेन जी से आग्रह करूंगा कि वह इस बात पर जोर न दें। मैंने बताया कि 2 घण्टे अगर बिजली दी जाये तो पूरा हो जाता है। अगर किसी कारण से 6 दिन बिजली नहीं दी जा सकी तो 6 घण्टे की आपूर्ति की जा रही है, उसी रट पर। 8 घण्टे, 10 घण्टे, 12 घण्टे, 14 घंटे उसी रेट पर बिजली दी जाती है 'रेट में परिवर्तन नहीं होगा। कम करने की बात और है, माफ करने की बात उचित नहीं प्रतीत होती।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं माननीय विद्युत मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं, फैजाबाद जनपद में गेरालालगंज फीडर जो हैदर गंज के पास पड़ता है, पर नवम्बर और दिसम्बर के महीने में कितनी बिजली दी गयी ? यदि यह सही है कि बिजली बिल्कुल नहीं दी गयी, तो इस इलाके के उपभोक्ताओं को जिनको 2 महीने से बिजली नहीं मिली है, उनका न्यनतम चार्ज माफ करने की घोषणा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

न्यूनतम चार्ज माफ करने के लिये तो उन्होंने कहा कि इस बात पर बल न दें।

श्री रेवती रमण सिंह---

यह माननीय द्विवेदी जी हमें लिखकर दे दें। मैं जांच करवा लूंगा और जांच कराने के उपरान्त यदि सत्य होगा कि दो महीने बिजली नहीं मिली है तो निश्चय ही उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इधर जो 3-4 महीने से बराबर बिजली नहीं आ रही और बिल आते हैं और समय पर न अदा कर पाने से उन पर दो प्रतिशत माहवारी सूद अदा करना पड़ता है तो क्या मंत्री जी इसको समाप्त करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, विद्युत परिषद्, एल0 आई0 सी0 तथा अन्य संस्थाओं से सूद पर पैसा लेकर यह इन्वेस्टमेन्ट करती है लिहाजा माफ करना संभव प्रतीत नहीं होता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, बिजली मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि कुछ महीनों में लगातार बिजली फैजाबाद जिले में नहीं आयी तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन महीनों में बिजली नहीं मिली उन महीनों में जो मिनिमम चार्ज है उससे उस जिले में लोगों को छूट दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सवाल सबेरे आया था। उन्होंने इंकार किया है कि ऐसी छूट देना संभव नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह--

बिजली नहीं दी जा रही है लेकिन मिनिमम चार्ज वसूल किया जा रहा है। तो उस जिले से संबंधित प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर मिनिमम चार्ज वसूल करेंगे या उसमें छूट देंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी यह खत्म करने की कोई बात नहीं है। न्यूनतम चार्ज जैसा मैंने बताया कि 12 रुपये कर दिया गया था जिससे किसानों को कम से कम मूल्य पर बिजली उपलब्ध हो सके। तमाम बड़ी बड़ी इकाइयों से बिजली काट कर किसानों को दी गयी और मिलों के ेट बढ़ा दिये गये। तो न्यूनतम चार्ज अगर नहीं लिया जायगा तो फिर पसा कहा से आयगा।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर)--

मान्यवर, शासन की स्पष्ट मंशा है, रबी की फसल के संबंध में क्या मन्त्री जी सदन को आश्वस्थ करेंगे कि काश्तकारों को 8 घण्टे बिजली दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि नवम्बर-दिसम्बर में, फैजाबाद का डेटा मंगाकर देख लें, मंत्री जी 6 दिन स्वीकार करते हैं, हमारा कहना है कि नवम्बर-दिसम्बर में 5 दिन बिजली गयी है और इसमें स्वीकार किया है कि पूरे महीन में 4 घंट औसत बिजली दिया है 24 घंटे में, तो यह गलत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद में कृषकों ने यह कहकर कि नवम्बर-दिसम्बर में बिजली नहीं तो बिल नहीं और बिल नहीं जमा किये। तो उन पर जुर्माना लगाकर अब बिल वसूल किये जा रहे हैं और नहीं तो कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसलिये नवम्बर-दिसम्बर में जो बिजली नहीं दी गयी है तो उसकी छूट दें या फिर जुर्माना माफ करें। वहां का आप डेटा मंगाकर देख सकते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह--

यदि उस पीरिएड का बिल होगा जिसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिली है तो उस पीरिएड का जुर्माना माफ करने पर सरकार विचार करेगी और 24 तारीख से 30 नवम्बर तक जो फैजाबाद जनपद में बिजली नहीं मिली है उस पर जुर्माना नहीं लेंगे।

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, पहले मीटर लगाकर बिजली दी जाती थी उससे पता चलता था कि कितनी बिजली कंजूम हुई। लेकिन उसको अब संशोधन करके 15 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया है और सूखे से बिजली का उत्पादन घट गया जिससे किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, इसलिय मैं जानना चाहता हूं कि जब तक बिजली सुचारु रूप से नहीं दते हैं तब तक क्या मंत्री जी पहले की तरह मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब मंत्री जी दे चुके हैं। अब इसको मैं समाप्त करता हूं। अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं।

**दर्शक दीर्घा से सदन में तौलिया फेंके जाने वाले व्यक्ति श्री हरपाल सिंह निर्भय की रिहाई का प्रस्ताव**

श्री उपाध्यक्ष---

आज सायंकाल 5 बजे जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर सदन में चल रही चर्चा के दौरान श्री गुलाब सेहरा नेता (कांग्रेस आई) बोल रहे थे, दर्शक दीर्घा नं0 1 से एक व्यक्ति ने एक सफेद तौलिया विपक्ष की ओर बैठे माननीय सदस्यों की ओर फेंकी जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। उक्त व्यक्ति को तत्काल उक्त दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया और वहां से हटा दिया। इस सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट यह है कि पूछ-ताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम हरपाल सिंह निर्भय पुत्र तिरखा सिंह निवासी फूल डहरा जिला गाजियाबाद बताया। उक्त व्यक्ति के पास दर्शक दीर्घा का प्रवश पत्र सं0 18503 था जो माननीय श्री अजीतसिंह सेठी, सदस्य विधान सभा की संस्तुति पर जा ी किया गया था। अन्य कोई अवांछनीय वस्तु नहीं प्राप्त हुई। उक्त श्री हरपाल सिंह मार्शल की हिरासत में है। प्रवेश पत्र सं0 18503† सूचनार्थ एवं आदेशार्थ संलग्न है।

प्रश्न यह है कि उक्त व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा से तौलिया फेंककर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया और सदन का अवमान किया। उक्त व्यक्ति को तौलिया फेंकते ही मार्शल की अभिरक्षा में ले लिया गया था। एसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये, अत: यदि सदन सहमत हो तो उक्त व्यक्ति, जितनी देर मार्शल की अभिरक्षा में रह चुका है, उसे उसके अपराध का पर्याप्त दंड मानते हुए, रिहा कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
4 फरवरी, 1980

† छापा नहीं गया।

नत्थी "क"

(देखिय अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 488 पर)

तालिका "क"

तहसील भिनगा जनपद बहराइच में 24-11-79 से पूर्व चयनित सम्पर्क मार्गों की सूची

| क्रमांक | विकास खण्ड का नाम | चयनित सम्पर्क मार्ग | प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) | पूर्ण किए गए मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) | अवशेष मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | हरिहरपुर रानी | 1—गोठवा से लबैदपुर तक .. | 4.000 | 3.750 | 0.250 |
| | ,, | 2—भिनगा से बैरागी जोत | 3.000 | 0.750 | 2.250 |
| | ,, | 3—पूरे खैरी से गलकटया | 0.600 | 0.050 | 0.550 |
| | ,, | 4—लबैदपुर से भिनगा पी0डब्लू0डी0 मार्ग | 3.000 | 0.020 | 2.980 |
| 2 | सिरसिया | 5—सिरसिया से जौगढ़ | 4.500 | 0.825 | 3.675 |
| | ,, | 6—सिरसिया से बाला-पुर तक | 4.000 | 0.600 | 3.400 |
| | ,, | 7—लछमनपुर बाजार से जोखवा बाजार तक | 6.000 | 0.950 | 5.050 |

## तालिका "ख"

### तहसील भिनगा, जनपद बहराइच में 24-11-79 को स्वीकृत सम्पर्क मार्गों की सूची

| क्रमांक | विकास खण्ड का नाम | स्वीकृत सम्पर्क मार्ग | प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) | पूर्ण किये गये मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) | अवशेष मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | हरिहरपुर रानी | 1--पांडेपुरवा इकौना रोड से मुहम्मदपुर कला सम्पर्क मार्ग (शुक्लपुरवा) तक | 0.600 | .. | 0.600 |
| | " | 2--भिनगा बहराइच रोड से राजगढ़वा गांव तक | 1.000 | .. | 1.000 |
| | " | 3--मछोरहवा से परसा डेहरिया | 5.000 | .. | 5.000 |
| | " | 4--भिट्ठी सेवनधर सरा लिंक रोड | 1.500 | 0.100 | 1.400 |
| | " | 5--इटकरिया मजानडीह (अमवा) लिंक रोड | 1.500 | .. | 1.500 |
| | " | 6--भिनगा भयापुरवा रोड से राजकीय पशुचिकित्सालय | 0.400 | .. | 0.400 |
| 2 | सिरसिया | 7--चौधरी डीह करदरी मार्ग से पिपरहवा तक | 1.500 | .. | 1.500 |
| | " | 8--पिपरहवा ककरदरी सम्पर्क मार्ग से जांगा गांव । | 1.000 | .. | 1.000 |
| | " | 9--लछमनपुर भिनगा रोड से लालपुर अयोध्या जाने वाली सड़क | 4.000 | .. | 4000 |
| | " | 10--अमरौली कोठी से पैकोरी तक | 1.800 | .. | 1.000 |
| | " | 11--सिरसिया पश्चिमी कले से चांद गढ़ी गांव तक । | 0.800 | .. | 0.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | " | 12—सतलिया से लछमनपुर बाजार तक । | 5.000 | .. | 5.000 |
| | " | 13—बीरपुर बगही तालाब गहरा करना । | 1.0 हेक्टयर | .. | 1.000 |
| | " | 14—रामपुर देवमन गांव के पूरब का तालाब गहरा करना | 2 एकड़ | .. | 2 एकड़ |

विधान सभा प्रदेश मिश्र

## नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 488 पर)

मई, 1966 में मत्स्य निरीक्षक के पद लोक सेवा आयोग से विज्ञापित हुए थे तथा उनकी आयोग द्वारा साक्षात्कार की तिथि अक्टूबर, 1966 में निश्चित हो गई थी परन्तु उनका साक्षात्कार इस कारण नहीं हुआ कि मत्स्य निरीक्षक के पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर दिनांक 24-9-66 से हो गये थे।

यह सही नहीं है कि निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश ने 7 पदों पर सीधी भर्ती उन अभ्यर्थियों की, की जिन्होंने वर्ष 1966 में आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु आवेदन-पत्र दिया था एवं साक्षात्कार रद्द करके उनको आयोग ने सूचित किया था कि अब निदेशक मत्स्य ही नियुक्तियां करेंगे। लोक सेवा आयोग में 114 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाया था। इन 114 अभ्यर्थियों में 55 विभागीय कर्मचारी भी थे। निदेशक मत्स्य ने मार्च, 1967 में 7 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मत्स्य निरीक्षक के पद पर नियमानुसार साक्षात्कार करके की थी। इनमें 6 वह अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने लोक सेवा आयोग को भी आवेदन पत्र भेजे थे। निदेशक मत्स्य ने 7 अभ्यर्थी सीधी भर्ती द्वारा वही नियुक्त किये थे जिन्होंने शासनादेश संख्या 69/12-एफ 122/1964 दिनांक 4-3-65 के अनुपालन में गूजरताल (जौनपुर) से 9 मासीय सीनियर डिप्लोमा कोर्स इन फिशरीज पर किया था। इन नियुक्त किये गये 7 प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि उनकी सेवायें एक माह की नोटिस पर जो किसी भी पक्ष द्वारा दी जायें, या उच्च पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन होने पर, जो भी पूर्व घटित हों, समाप्त की जा सकती थी। चूंकि इन कर्मचारियों को मौलिक पद के विरुद्ध नियुक्ति न होकर केवल स्थानापन्न में थी, अतः उन कर्मचारियों को नियमित नहीं माना गया।

## नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे तृष्ठ 489 पर)

प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में कथित नियुक्तियों के पूर्व वर्षों में जो तदर्थ नियुक्तियां की गई थी, उन्हें निदेशक मत्स्य द्वारा दिनांक 24-9-66 से दिनांक 6-7-67 की अवधि में नियमित इस कारण वश नहीं किया जा सका क्योंकि आयोग ने दिसम्बर, 1966 में विभाग को सूचित किया था मत्स्य निरीक्षक के पद आयोग के विचार क्षेत्र से हटा लिये गये हैं और अब उनके द्वारा चयन नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर एक समिति जिसके उप निदेशक मत्स्य (अनुसंधान) उप निदेशक मत्स्य (उत्प्रेरित प्रजनन) तथा सहायक निदेशक मत्स्य (विकास) सम्मिलित थे। नियमित चयन हेतु गठित कर दी गई। तदोपरान्त समस्त कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त कर चरित्र पंजिकाओं को पूर्ण करने एवं तदर्थ रूप में कार्यरत कर्मचारियों की सूचियां तैयार करने आदि की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही विभाग द्वारा जारी ही थी कि शासनादेश संख्या 33/81/66-नियुक्ति (बी) दिनांक 7-7-67 के द्वारा मत्स्य निरीक्षक के पद आयोग के विचार क्षेत्र में पुनः रख दिये गये। चूंकि उपरोक्त कार्यवाही निदेशालय स्तर पर पूर्ण नहीं हो सकी थी, इसलिये आयोग के निर्देशानुसार पुनः आयोग को नियमित चयन हेतु संदर्भ कर दिया गया। आयोग द्वारा प्रश्नगत पद मई, 1970 में विज्ञापित किये गए। तदोपरान्त निदेशालय स्तर से जून, 1970 में समस्त ऐसे कर्मचारियों को जो आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं थे, को अवगत करा दिया गया था कि वे नियमित चयन हेतु अपने आवेदन पत्र आयोग को भेजें अन्यथा उनके स्थान पर अनुमोदित कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायगी। आयोग द्वारा मत्स्य निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन को अन्तिम रूप मार्च, 1972 में दिया गया। एवं ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया, को नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान कर दी गई। इसके पश्चात् मत्स्य निरीक्षक के पदों का चयन "सीधी भर्ती" के कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1977 में किया गया परन्तु फिर भी जो कर्मचारी आयोग द्वारा उपयुक्त न पाये जाने के कारण अनुमोदित न हो सके और दिनांक 1-1-77 को विभाग में कार्यरत थे, के नियमितीकरण की कार्यवाही विभागीय चयन समति शासनादेश संख्या 19/8-75(1)-कार्मिक-1 दिनांक 14-5-79 के अन्तर्गत की जा चुकी है।

इस प्रकार दिनांक 24-9-66 से दिनांक 6-7-67 की अवधि में कर्मचारियों के नियमित न होने के निमित्त कोई दोषी नहीं है क्योंकि विभाग की ओर से प्रयास जारी था और विभाग को यह आशा नहीं थी कि वह पद पुनः इतनी जल्दी आयोग के विचार क्षेत्र में रख दिये जायेंगे।

## नत्थी "घ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 531 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे गु वार के लिए निर्धारित श्री मित्रसेन के तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 4—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 जनव ी, 79 को जनपद लखनऊ शहर के विभिन्न मुहल्लों के निवासियों का निराला नगर में स्थित पतौरा-गंज हिन्दुओं के प्राचीन शमशान घाट को नष्ट न करने के विषय में नगर महापालिका के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध शासन को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी है और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? | जी हां । पतौरागंज शमशान के निराला नगर कालोनी में आबादी के बीच में आ जाने के कारण उसे बन्द करना आवश्यक था । उक्त शमशान के लिए एक वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था कर दी गयी है । |

राम अधार पाण्डे,
स्वायत्त शासन मन्त्री ।

---

विधान सदन

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 532 पर)

विधान सभा के वर्तमान द्वितीय सत्र 1979 के लिये श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मई, 1979 में अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के आरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त का अनुपालन किया गया ? यदि हां, तो पिछड़ी जाति से सम्बन्धित किन-किन उम्मीदवारों की पदोन्नति की गयी ? | जी हां । चयन के समय आरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त का पालन किया गया है ।<br>यद्यपि अभी कोई भी पदोन्नति नहीं हुई है फिर भी पिछड़ी जातियों से संबंधित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता सिविल पद पर पदोन्नति के लिए चयनित किया गया--<br>सर्वश्री--<br>1--संकटा प्रसाद वर्मा<br>2--देव प्रयाग यादव<br>3--जसवन्त सिंह भोगल<br>4--रसिक बिहारी सिंह<br>5--शिव राज सिंह वर्मा<br>6--राम प्यारे गिरी<br>7--अखलाक अहमद अंसारी<br>8--जवाहर लाल<br>9--युद्ध वीर सिंह<br><br>**त्रिलोक चन्द्र,**<br>मन्त्री,<br>सार्वजनिक निर्माण विभाग । |

पी0एस0यू0 पी0--ए0पी0 22 वि0 सभा--22-5-80--(588)--835--(हि0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा